सर्व शिक्षा अभियान

दीर्घ कालीन योजना
2002 - 2007
वार्षिक कार्ययोजना
बजट सहित

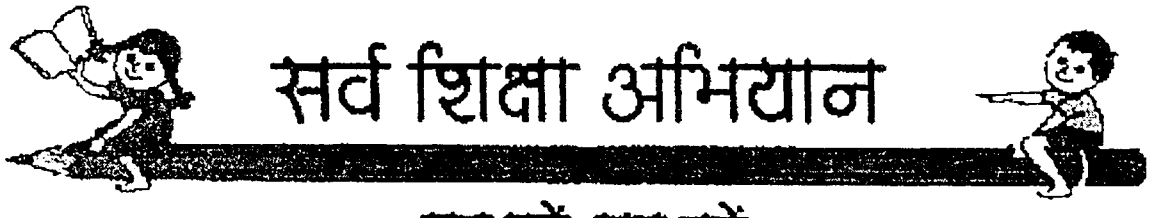

सब पढ़ें सब बढ़ें

जनपद - ललितपुर

ललितपुर

अनुक्रमणिका

कम सं0	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	जिले की पृष्ठभूमि	1–6
2	शैक्षिक परिदृश्य	7–20
3	नियोजन प्रकिया	21–63
4	सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य	64–68
5	समस्यायें एवं रणनीतियां	69–80
6	शिक्षा की पहुंच का विस्तार – 1 नवीन विद्यालय	81–86
7	शिक्षा की पहुंच का विस्तार – 2 ई0जी0एस0 / ए0आई0ई0	87–102
8	ठहराव में वृद्धि	103–123
9	प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन	124–190
10	परियोजना प्रबन्ध एवं अनुश्रवण	191–214
	परियोजना लागत	
	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट	

अध्याय– 1

ललितपुर जनपद की पृष्ठभूमि

झांसी मण्डल का ललितपुर जिला ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं औद्योगिक दृष्टि से अत्यन्त सम्पन्न जनपद है। लगभग 93 किमी0 उत्तर–दक्षिण तथा 54 किमी0 पूर्व–पश्चिम की लम्बाई में 5043 वर्ग किमी0 क्षेत्रफल में फैले इस जनपद की दक्षिण–पश्चिम व पूर्व की सीमायें मध्यप्रदेश से मिलती हैं, जबकि उत्तर में मण्डल मुख्यालय झांसी स्थित है वैसे तो ब्रिटिश शासन में भी सन् 1861 से सन् 1891 ईसवी तक ललितपुर जनपद मुख्यालय रहा था, परन्तु इसके बाद यह झांसी जनपद का ही अंग हो गया । एक मार्च 1974 को झांसी जिले का विभाजन हुआ और ललितपुर फिर से जिला मुख्यालय हो गया ।

वर्ष 2001 में हुई जनगणना के अनुसार जनपद की जनसंख्या 9,77,447 है। गौड़ राजा सुम्मेर सिंह की पुत्री रानी ललितकुवॅर के नाम पर इस जनपद का नामकरण ललितपुर किया गया। बाद में राजा सुम्मेर सिंह ने यहां ललितेश्वरी देवी के मन्दिर का निर्माण कराया। विन्ध्याचल की मनोरम वादियों में बसा यह जनपद ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से अत्यन्त सम्पन्न है। कौमी एकता के प्रतीक बाबा सदन शाह की मजार पर लगने वाले उर्स के मेले में हर वर्ष देश भर से हजारों श्रद्वालु आते हैं। यह मजार नौ मणि बत्तीस खम्भ के नाम से भी विख्यात हैं। जनपद में हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई आदि सभी धर्मों के प्रसिद्ध तीर्थस्थल विद्यमान है। तुवन टीला पर स्थित तुवन मन्दिर, प्राचीन काल का हजारिया महादेव मन्दिर, जनपद मुख्यालय पर स्थित ललितेश्वरी मन्दिर,जागेश्वरी माता, बैरावट माता का मन्दिर, मेघासन मन्दिर, नरसिंह मन्दिर, चण्डीमाता का मन्दिर, रामराजा का मन्दिर, चर्च,गुरुद्वारा तथा जैन धर्म के क्षेत्रपाल और अटा मन्दिर की घटा देखते ही बनती है।

ललितपुर से 38 किमी0 पूर्व में स्थित महरौनी में क्षेत्रपाल जी एवं लक्ष्मी नारायण जी का ख्याति प्राप्त मन्दिर है। महरौनी – मडावरा मार्ग पर छायन ग्राम से तीन किमी0 दूर कुम्हैड़ी गॉव के पास अंजनी माता का प्रसिद्ध मन्दिर है। यहां प्रति वर्ष चैत्र मास के महीने में विशाल मेला लगता है। ललितपुर जनपद अर्थात पुरातन काल का चैदि–राष्ट्र, पाषाणकालीन धरोहरों से सम्पन्न वर्तमान बुन्देलखण्ड का यह हृदय स्थल चन्द्रवंशी ययाति और यदु का क्षेत्र रहा है। कालान्तर में राजा सुबाहु के समय दमयन्ती ने अपने सबसे पीड़ा भरे दिन यहीं गुजारे थे। ललितपुर का पाण्डव वन आज भी पाण्डवों के अज्ञातवास की कथा कहता प्रतीत होता है। मदनपुर और अमझरा घाटी क्रूर ब्रिटिश हुक्मरानों के खिलाफ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की कहानी चित्रित करते हैं। द्वितीय गांधी के नाम से विख्यात संत गणेश प्रसाद वर्णी तथा सदन कसाई के नाम से मशहूर बाबा सदन शाह कमशः अहिंसा और भाई–चारे की बेजोड़ मिसाल हैं। प्रसिद्ध देवगढ़ राजा वत्सराज और नागभट्ट की कहानी कहते हुए जैन, शैव्य व ब्राम्हण मतों को अभिव्यक्त कर रहा है तो धौरी सागर और सीरोन जी, चन्देलो की गाथा गाये बिना चैन नही लेते।

जनपद मुख्यालय से 33 किमी0 दूर बेतवां नदी के तट पर बसे देवगढ़ में जैन धर्म से सम्बन्धित अनेक मन्दिर थे जिनके अवशेष आज भी अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाते है। यहां के छठवीं शताब्दी में निर्मित दशावतार मन्दिर की कीर्ति तो सम्पूर्ण विश्व में फैली हुई है।

इसी प्रकार जाखलौन रेलवे स्टेशन से 11 किमी0 दूर घने जंगलो में विद्यमान एकान्तप्रिय शिव त्रिमूर्ति का शिखरहीन देवालय भी जग प्रसिद्ध है। इसका निर्माण चन्देल शासकों ने कराया था। यहां हर वर्ष महाशिवरात्रि पर विशाल मेला लगता है। धौर्रा से लगभग 5 किमी0 दूर रणछोड़ नामक स्थान पर भी एक शिखरविहीन मन्दिर है जिसमें विष्णु और लक्ष्मी की चित्ताकर्षक प्रतिमाओं के अलावा हनुमान जी की भी एक विशाल प्रतिमा है। द्वापर युग के राजा के नाम पर बसे बानपुर के पास गणेशपुरा में अटठारह हाथों वाले गणेश

जी की मूर्ति नृत्य मुद्रा में हैं। यहां पर महरौनी मार्ग पर जैन अतिशय क्षेत्र है, जहां एक चैत्यालय भी बना हुआ है।

इसके अतिरिक्त बार के नौ ग्रह, नृत्य गणेश, शिव व विष्णु मन्दिर तथा चन्दन वन,सीरोनखुर्द स्थित शान्तिनाथ का मन्दिर, चांदपुर(जहाजपुर) में विद्यमान 17 फुट ऊँची शान्तिनाथ की मूर्ति, तालबेहट में महाराज मर्दनसिंह का दुर्ग तथा उसके अन्दर बनी मानसरोवर झील तथा इसी भॉति अनेक अन्य ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जो पुरातात्विक दृष्टि से इस जनपद के महत्व को द्विगुणित करते हैं।

आल्हाखण्ड के रचयिता लोककवि जगनिक की जन्मस्थली मदनपुर में आज भी ढोला और आल्हा का गायन बडी तन्मयता से होता है।

जनपद में बहने वाली सप्त नदियां बेतवा, सजनम, जामुनी, सहजाद, धसान, रोहिणी और जमदार समूचे क्षेत्र को अपनी पावन जलधारा से अभिसिंचित कर जनपद को धन–धान्य से परिपूर्ण बनाने के लिए कृत संकल्पित है। बेतवा नदी पर बने माताटीला, सुकुवॉ–ढुकुवॉ, रानी लक्ष्मीबाई बांध (राजघाट), सजनम नदी पर बिरधा के पास सजनम बांध, जामनी नदी पर मडावरा के पास जामनी बांध, सहजाद नदी पर ललितपुर के पास गोविन्दसागर बांध तथा तालबेहट के पास सहजाद बांध तथा रोहिणी नदी पर मडावरा के पास निर्मित रोहिणी बांध ने इस क्षेत्र में कृषि उद्योग को अत्यन्त समुन्नत बना दिया है।

खनिज सम्पदा की दृष्टि से भी ललितपुर अत्यन्त सम्पन्न जनपद है। जखौरा विकासखण्ड में काला पहाड़ पर निकाले जा रहे ग्रेनाइट पत्थर ने तो इस जनपद को पूरी दुनियॉ में प्रसिद्ध कर दिया। देश के कोने–कोने के अतिरिक्त अनेक अन्य देशों में भी ग्रेनाइट का निर्यात किया जा रहा है।

खनिज वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में की गई खोज के अनुसार मडावरा विकासखण्ड के सोरई नामक स्थान पर यूरेनियम मिलने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तब तो खनिज उत्पादन के नक्शे पर ललितपुर एक अलग ही

मुकाम हासिल कर लेगा। इसी प्रकार महरौनी विकासखण्ड के ग्राम समोगर में सीसा मिलने के संकेत मिले हैं।

वैसे तो जनपद की अर्थव्यवस्था का मेरूदण्ड कृषि उद्योग ही है किन्तु खनिज उद्योग एवं अन्य व्यवसाय भी तीव्र गति से प्रगति की ओर अग्रसर होकर अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। जनपद में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल 2,32,230 हेक्टेयर है। इमारती पत्थर का खनन, वन सम्पदा, चिरौंजीं, महुवा व वनौषधि भी यहॉ आर्थिक सम्पन्नता का आधार है। बेशकीमती इमारती लकडी, शीशम व गुरार भी यहॉ बहुतायत में होती है। शहद, गोंद, लाख व तेन्दू–पत्ता का भी संग्रह होता है। गेंहूँ, चना, मटर, मसूर, उड़द व तिल यहां की प्रमुख फसलें है। इनके अलावा धान, सोयाबीन, मूंग, ज्वार व मक्का की पैदावार भी ली जाती है। देशी आम, पपीता व शरीफा के लिए तो यह जनपद जग–प्रसिद्ध है।

इतना सब होते हुए भी इस जनपद में कई विरोधाभास देखने को मिलते हैं। यहॉ की बहुसंख्यक आबादी निर्धन होने के कारण जीविकोपार्जन के लिए मजदूरी अथवा वनोपज पर आश्रित है। सात नदियां और अनेक जलाशय होने के बावजूद अधिकांश कृषि भूमि असिंचित है।

जीविकोपार्जन की चिन्ता, यातायात के साधनों का अभाव तथा जन–जाग्रति की कमी का प्रतिकूल प्रभाव यहॉ की शिक्षण व्यवस्था पर भी पड़ता है।

प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से जनपद ललितपुर में तीन तहसीलें – 1. ललितपुर 2.महरौनी 3. तालबेहट तथा छह विकासखण्ड 1. महरौनी 2. मडावरा 3. तालबेहट 4. बार 5. जखौरा व 6. बिरधा है। जनपद में एक नगरपालिका ललितपुर और तीन नगर पंचायतें – 1. महरौनी 2. तालबेहट 3. पाली तथा 48 न्यायपंचायतें एवं 340 ग्राम पंचायतें है।

सारणी 1.1

जिले की प्रशासनिक इकाईयॉ

ग्रामीण क्षेत्र	संख्या
1– तहसील	03
2– विकास खण्ड	06
4– ग्राम सभायें	342
5– राजस्व ग्राम	692
6– ग्राम/बस्तियों की संख्या	1256
नगरीय क्षेत्र	04
1– नगर पालिका	01
2– टाउन एरिया	03
3– वार्ड	56

स्त्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका जनपद ललितपुर

इस प्रकार जनपद ललितपुर की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि उद्यम एवं वन उपज है। ललितपुर जनपद के दूरस्थ विकास खण्ड मड़ावरा एवं विरधा में पत्थर का खनन एवं वन औषधियों पर लोग आश्रित हैं। शेष भाग में कृषि कार्य प्रमुख है। इस जनपद में प्रमुख रूप से गेंहूं चना, मटर, मसूर की फसलें उगाई जाती हैं। पशुपालन एवं चराई का कार्य भी किया जाता है। नदियों की बहुतायत एवं जलाशय होने के कारण अधिकांश भाग सिंचित है। किन्तु कृषि भूमि का वितरण असमान होने के कारण अधिकांश लोग मजदूरी एवं खदानों में कार्य करते हैं।

जनसंख्या

ललितपुर जनपद की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 9,77,447 है जिसमें 5,18,928 पुरुष एवं 4,58,519 महिलायें हैं। कुल जनसंख्या का 25.2 प्रतिशत अनुसूचित जाति की आबादी यहॉ निवास करती है। अति पिछड़ी जाति सहरिया जाति है जो प्रायः वन क्षेत्रों में या उसके निकट निवास

करती है। नगरीय एवं ग्रामीण आबादी में 1:6 का अनुपात है। जनपद में कुल 3,89,150 साक्षर हैं। पुरुष साक्षरता का प्रतिशत 64.25 तथा महिला साक्षरता का प्रतिशत 33.25 है। परिवार का औसत आकार 6 तथा प्रतिवर्ग किमी0 जनसंख्या का घनत्व 193.8 है।

ललितपुर जनपद हिन्दू बाहुल्य है। जिनका प्रतिशत 94.84 है। मुस्लिम आबादी 2.73 प्रतिशत है जो नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। इसी प्रकार जैन आबादी कुल आबादी का 2.2 प्रतिशत है जो नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। सिक्ख प्रायः नगरीय क्षेत्र में ही हैं, जिनका प्रतिशत 0.01 हैं।

सारणी 1.2

विकास खण्ड वार एवं नगरक्षेत्र वार जनसंख्या

		1991 की जनसंख्या						2001 की जनसंख्या					
	विकास खण्ड	कुल जनसंख्या			अनुसूचित जाति जनसंख्या			कुल जनसंख्या			अनुसूचित जाति जनसंख्या		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	तालबेहट	58377	48446	106823	14549	12950	27499	69990	61054	131044	19232	16634	35866
2	जखौरा	72595	62402	134997	1996	17708	37604	93647	84050	177697	25845	23003	48848
3	बिरधा	62416	54040	116456	17929	15957	33886	81011	71334	152345	23271	20712	43983
4	मड़ावरा	49362	42786	92148	15260	13581	28841	62215	56173	118388	20364	18851	39215
5	महरौनी	51224	44732	95956	13269	11810	25079	69030	61689	130919	17017	15711	32728
6	बार	53817	46298	100115	12153	10816	22969	70280	60644	130724	25315	20708	46023
7	योग ग्रा0क्षे0	347791	298704	646495	93056	82822	175878	446173	394944	841117	131044	115619	246663
8	नगर क्षेत्र	55894	49654	105548	7962	7087	15049	72755	63575	136330	8742	7781	16523
9	योग	403685	348358	752043	99961	88966	188927	518928	458519	977447	139786	123400	263186

स्रोत– जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी,ललितपुर

वर्ष 2001 की जनसंख्या के आधार पर महिलाओं की संख्या प्रति हजार पुरुषों पर 884 है।

अध्याय – 2

जनपद का शैक्षिक परिदृश्य

ललितपुर जनपद में वर्ष 1997 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया गया था। इसके अन्तर्गत पहुंच में विस्तार, ठहराव, तथा गुणवत्ता में वृद्धि एवं क्षमता संवर्धन के उद्देश्य से रखे गये थे। इनका लाभ जिले की शैक्षिक प्रगति में मिल रहा है। कार्यक्रम के फलस्वरूप नामांकन में वृद्धि, ठहराव तथा शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है। जिन उद्देश्यों की पूर्ति निर्धारित की गयी थी। उतना अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया है। कार्य को तीव्र गति लाने के उद्देश्य से जनपद में सर्वशिक्षा अभियान प्रारम्भ किया गया है।

1991 की जनगणना के अनुसार जिले की साक्षरता दर 32.1 प्रतिशत थी। जो वर्ष 2001 में बढकर 49.9 प्रतिशत हो गयी है। जिसमें महिला साक्षरता दर 33.25 प्रतिशत तथा पुरुष साक्षरता दर 64.75 प्रतिशत है।

सारणी 2.1

जनपद की साक्षरता दर जनगणना 2001

कुल साक्षरता	49.9 प्रतिशत	**उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता 5736 प्रतिशत**	
ग्रामीण साक्षरता	36.8 प्रतिशत		
नगरीय साक्षरता	63.0 प्रतिशत		
कुल पुरुष साक्षरता	64.75 प्रतिशत		
कुल महिला साक्षरता	33.25 प्रतिशत		
	पुरुष	महिला	योग
ग्रामीण साक्षरता	46.0 प्रतिशत	27.8 प्रतिशत	36.8 प्रतिशत
नगरीय साक्षरता	71.6 प्रतिशत	54.4 प्रतिशत	63.0 प्रतिशत

स्रोत :– जनगणना 2001

सारणी 2.2क

ब्लाकवार साक्षरता दर जनगणना 2001

क0 सं0	विकास खण्ड का नाम	साक्षरता दर (प्रतिशत में)		
		पुरूष	महिला	योग
1	तालबेहट	54.7	37.8	46.81
2	जखौरा	57.9	37.1	48.11
3	बिरधा	57.1	39.8	46.38
4	मड़ावरा	59.4	36.8	48.2
5	महरौनी	60.7	39.2	50.55
6	बर	53.8	33.65	44.54
	योग ग्रामीण	46.0	27.8	36.8
7	नगर क्षेत्र	71.6	54.4	63.0
	योग जनपद	64.75	33.25	49.9

सारणी 2.2ख

ब्लाकवार साक्षरता दर जनगणना 1991 के अनुसार

क0 सं0	विकास खण्ड का नाम	साक्षरता दर (प्रतिशत में)		
		पुरूष	महिला	योग
1	तालबेहट	35.3	9.2	23.7
2	जखौरा	39.0	9.5	25.6
3	बर	39.2	11.0	26.8
4	बिरधा	42.4	10.8	27.9
5	महरौनी	44.8	12.0	29.5
6	मड़ावरा	38.6	10.7	25.8
	योग ग्रामीण	39.8	10.5	26.4
7	नगर क्षेत्र	60.3	48.2	54.9
	योग जनपद	48.2	16.6	32.1

स्त्रोत :– अर्थ एवं संख्या अधिकारी ललितपुर

प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक वर्ष 2003–2004 के नामांकन की स्थिति बालगणना के अनुसार निम्नवत है।

सारिणी 2.3(1)

प्राथमिक विद्यालयों मे नामांकन की स्थिति

क0 सं0	ब्लाक/नगरक्षेत्र	6–11 वयवर्ग कुल संख्या			परिषदीय विद्यालय में नामांकन			मान्यता प्राप्त में नामांकन		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	तालबेहट	12452	10499	22951	11284	9210	20494	1079	582	1661
2	जखौरा	14870	12548	27418	12663	10975	23638	1745	859	2604
3	बार	11785	9724	21509	9350	7081	16431	969	717	1686
4	बिरधा	15546	13312	28858	10999	10304	21303	2756	1577	4333
5	महरौनी	11629	9973	21602	9524	9417	18941	2956	1516	4472
6	मड़ावरा	8398	7421	15819	8915	8002	16917	785	693	1478
	योग ग्रामीण	74680	63477	138157	62735	54989	117724	10290	5944	16234
7	नगर क्षेत्र	4995	4268	9263	1853	1977	3830	5845	5266	11111
	योग जनपद	79675	67745	147420	64588	56966	121554	16135	11210	27345

सारिणी 2.3(2)

उच्च प्राथमिक विद्यालयों मे नामांकन की स्थिति

क0 सं0	ब्लाक/नगरक्षेत्र	11–14 वयवर्ग कुल संख्या			परिषदीय विद्यालय में नामांकन			मान्यता प्राप्त में नामांकन		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	तालबेहट	5351	3456	8807	2797	1830	4627	967	246	1213
2	जखौरा	6367	4365	10732	3510	1603	5113	549	321	870
3	बार	5316	3341	8657	4414	2477	6891	323	212	535
4	बिरधा	6654	4492	11146	2475	1240	3715	1134	419	1553
5	महरौनी	5249	3432	8681	2882	1559	4441	405	172	577
6	मड़ावरा	4138	3014	7152	2569	1163	3732	385	301	686
	योग ग्रामीण	33075	22100	55175	18647	9872	28519	3763	1671	5434
7	नगर क्षेत्र	3533	3042	6575	249	239	488	2630	2022	4652
	योग जनपद	36608	25142	61750	18896	10111	29007	6393	3693	10086

जनपद में हाऊस होल्ड सर्वे वर्ष 2003 के अनुसार विद्यालय न जाने वाले चिन्हित बच्चों के सापेक्ष नामांकन की स्थिति निम्नवत् है

सरिणी 2.4(1)

स्कूल न जाने वाले बच्चों की स्थिति (6–11 वयवर्ग)

क0 सं0	ब्लाक/नगरक्षेत्र	चिन्हित बच्चों की संख्या (6--11 वयवर्ग)			विद्यालय में जाने वाले बच्चे			विद्यालय में न जाने वाले बच्चे		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	तालबेहट	2322	2431	4753	2270	2165	4435	52	266	318
2	जखौरा	2517	2771	5288	2379	2616	4995	138	155	293
3	बार	3071	3365	6436	3071	3357	6428	0	8	8
4	बिरधा	2519	2620	5139	2160	2159	4319	359	461	820
5	महरौनी	1657	1639	3296	1657	1639	3296	0	0	0
6	मड़ावरा	2359	2416	4775	2359	2416	4775	0	0	0
7	नगर क्षेत्र	566	655	1221	483	567	1050	83	88	171
	योग	15011	15897	30908	14381	14919	29298	632	978	1610

सरिणी 2.4(2)

स्कूल न जाने वाले बच्चों की स्थिति (11–14 वयवर्ग)

क0 सं0	ब्लाक/नगरक्षेत्र	चिन्हित बच्चों की संख्या (11–14 वयवर्ग)			विद्यालय में जाने वाले बच्चे			विद्यालय में न जाने वाले बच्चे		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	तालबेहट	1173	1164	2337	613	475	1088	560	689	1249
2	जखौरा	806	1018	1824	380	439	819	426	579	1005
3	बार	970	990	1960	923	962	1885	47	28	75
4	बिरधा	913	998	1911	555	468	1023	358	530	888
5	महरौनी	437	470	907	318	253	571	119	217	336
6	मड़ावरा	396	413	809	234	213	447	162	179	341
7	नगर क्षेत्र	199	161	360	189	153	342	10	8	18
	योग	4894	5214	10108	3212	2963	6175	1682	2251	3933

सारिणी 2.5

जनपद में शैक्षिक संस्थाओं की उपलब्धताओं का विवरण

क्र० सं०	विद्यालय	परिषदीय / शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल योग			गैर मान्यता प्राप्त		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1	प्रा० विद्यालय	812	27	839	70	85	155	882	112	994	59	27	86
2	मा०वि० से सम्बद्ध प्रा० वि०	0	03	03	01	05	06	01	07	08	0	0	0
3	उच्च प्रा०वि०	224	04	228	18	28	46	242	32	274	06	20	26
4	मा०वि० से सम्बद्ध उ० प्रा० वि०	03	05	08	07	07	14	07	12	19	01	0	01
5	केन्द्रीय विद्यालय	01	0	01	0	0	0	01	0	01	0	0	0
6	नवोदय विद्यालय	01	0	01	0	0	0	01	0	01	0	0	0
7	हाईस्कूल	02	0	02	04	03	07	06	03	09	06	0	06
8	इण्टरमीडियेट	0	05	05	04	05	09	04	10	14	01	0	01
9	स्नातक	0	03	03	0	01	01	0	02	02	0	0	0
10	परास्नातक	0	0	0	0	01	01	0	01	01	0	0	0
11	विश्वविद्यालय	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
12	आई०आई०टी० / पॉली ०	0	01	01	0	0	0	0	01	01	0	0	0
13	कम्प्यूटर शिक्षा संस्था	0	0	0	0	01	01	0	01	01	0	0	0
14	आंगनबाड़ी केन्द्र	755	0	755	0	0	0	755	0	0	0	0	0
15	मकतब / मदरसे	0	02	02	0	0	0	0	02	02	0	0	0
16	संस्कृत पाठशाला	0	0	0	01	0	01	0	0	0	0	0	0
17	अंधे व विकलांग वि०	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	डाइट	0	01	01	0	0		0	01	01	0	0	0
19	बी०आर०सी०	06	0	06	0	0	0	06	0	06	0	0	0
20	एन०पी०आर०सी०	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0

स्त्रोत जनपद की सांख्यिकीय पत्रिका

शिक्षकों की उपलब्धता :–

जनपद में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पद, कार्यरत संख्या, रिक्त पद एवं शिक्षामित्रों की संख्या निम्नवत है :–

सारिणी 2.5(1)

ब्लाकवार प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों का विवरण

क0सं0	ब्लाक का नाम	कार्यरत अध्यापक			शिक्षामित्र कार्यरत
		प्रधानाध्यापक	सहायक अध्यापक	योग	
1	तालबेहट	133	98	231	69
2	बिरधा	108	180	288	38
3	बार	83	87	170	52
4	जखौरा	118	195	313	32
5	मडावरा	76	91	167	62
6	महरौनी	100	102	202	42
7	नगर क्षेत्र	16	75	91	4
	योग	634	828	1462	299

सारिणी 2.5(2)

ब्लाकवार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों का विवरण

क0सं0	ब्लाक का नाम	कार्यरत अध्यापक			शिक्षामित्र कार्यरत
		प्रधानाध्यापक	सहायक अध्यापक	योग	
1	तालबेहट	11	58	69	0
2	बिरधा	19	87	106	0
3	बार	13	45	58	0
4	जखौरा	13	119	132	0
5	मडावरा	2	39	41	0
6	महरौनी	9	59	68	0
7	नगर क्षेत्र	1	9	10	0
	योग	68	416	484	0

सारिणी 2.5(3)

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सृजित,कार्यरत एवं रिक्त पद

विवरण	सृजित पद	कार्यरत	रिक्त	शिक्षा मित्र कार्यरत
प्राथमिक विद्यालय	1795	1462	333	299
उच्च प्राथमिक विद्यालय	610	484	126	0

स्त्रोत :– विभागीय आंकड़े

विद्यालयों की उपलब्धता :–

जनपद में विकासखण्ड वार असेवित बस्तियॉ जिनमें निर्धारित मानक (300 की आबादी तथा 1.5 किमी0 दूरी) के अनुसार उपलब्ध प्राथमिक विद्यालयों तथा असेवित बस्तियों की संख्या निम्न सारिणी में दर्शायी गई है :–

सारिणी 2.6

दूरी एवं आबादी के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

क्रम सं0	ब्लाक का नाम		1 किमी0 से कम दूरी पर उपलब्ध विद्यालय	1 किमी0 से अधिक दूरी किन्तु 1.5 से कम दूरी पर उपलब्ध विद्यालय
1	तालबेहट	300 से अधिक आबादी वाले ग्राम	61	21
		300 से अधिक आबादी वाली बस्ती	14	12
2	बिरधा	300 से अधिक आबादी वाले ग्राम	93	37
		300 से अधिक आबादी वाली बस्ती	13	16
3	जखौरा	300 से अधिक आबादी वाले ग्राम	69	16
		300 से अधिक आबादी वाली बस्ती	12	21
4	मड़ावरा	300 से अधिक आबादी वाले ग्राम	81	19
		300 से अधिक आबादी वाली बस्ती	7	10
5	महरौनी	300 से अधिक आबादी वाले ग्राम	70	13
		300 से अधिक आबादी वाली बस्ती	10	21
6	वार	300 से अधिक आबादी वाले ग्राम	55	12
		300 से अधिक आबादी वाली बस्ती	6	8
	योग	300 से अधिक आबादी वाले ग्राम	449	118
		300 से अधिक आबादी वाली बस्ती	72	88

स्त्रोत :– विभागीय आंकड़े

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि जनपद में 194 ग्राम /बस्तियॉ ऐसी हैं जिनकी आबादी 300 से अधिक है तथा इनकी 1•5 किमी0 की परिधि में कोई विद्यालय नहीं है।

स्कूल मैपिंग तथा सूक्ष्म नियोजन के बाद जनपद में 165 प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र मे खोलने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अतिरिक्त नगर क्षेत्र में 4 प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता हैं। अतः कुल 169 प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता होगी।

उन बस्तियों /ग्रामों की सूची जिनमें प्राथमिक विद्यालय खोले जाने हैं ब्लाक वार निम्नवत हैं :-

कम सं0	ब्लाक का नाम	ग्राम/बस्तियों के नाम जहॉ प्रा0वि0 खोले जाने है
1	तालबेहट	खुड़नरघुनाथपुरा,कठवर,नया खेड़ा,खिरियाडांग,मुड़ीपाई,नन्ही हॅसारी,, रसगईया खपटया,कबरीखिरक,बक्सेबाई,प्यासी,,उॅटरी,,चक्क,बवाताल,सेमरखेड़ा,तलौवा तरियन,नाटा,मनैराकसाग्रो,बिहार,कतक्याई,गजोरा,बसेरा,डाकबॅगला,नगलयाना,हरिनगर मोटी,,भोपालपुरा,कसा,बड़ाहार,तेरहीफाटक,लिगनऊ,बड़ाचौबारा,रिसौरा
2	बिरधा	पठारी,,विजयपुरा,नटयाना,रजौरा,रमपुरा,कोकटा,क्योलारी,,मामदाह,हरपुरा,डोरना,सलैया, बजरंगगढ़,बमनौरा,पठारी,,गिलटौरा,सैपुरा,किर्रोदा,हनौतिया,शिवपुरी,,गांधीनगर,नकवाना ,बेसरा टपरियन,मडयावारा,राजगढ़
3	जखौरा	रामगढ़,टौरिया,बिरौरा,खिरियामिश्र,पटपुरा,चीराहार,नया खेड़ा,साढ़िया,श्यामगुल्ला,भर्रा, रानीकोडर,घुटाई,बरौदीनकीब,सुरौंआ,बालाढाना,बम्हौरीनागल,माडरी,सांकरवार खुर्द,ढंगा/फौजपुरा,सिद्धपुरा,जुगपुरा,चैनावार,राकड़,मडियन,जिजयावन(हरिजनबस्ती), लखनावर,पठला,दुर्जनपुरा
4	मडावरा	जमौरा,नयागांव,जिलौनी,,खैराई,लड़ारी,,बिधाई,पिडारखुर्द,इकौनाखुर्द,पहाड़ीखुर्द,पीपड़ा, दलपतपुर,सागर,इमिलियाखुर्द,गढ़ौलीखुर्द,टौरिया,बुदनी नाराहट,भौंटी नाराहट,कावर टपरा
5	महरौनी	बढ़ई का कुंआ, टपरियन किसरदा,भूसरा,तलऊ,चौमऊ,जुंदइया,हरिजन बस्ती जखौरा,दिदौली,,हरिजन बस्ती मैनवार,विजैपुरा,नया भैरा,भरतपुर,बाल्मीकि नगर,बानपुर रोड नर्सरी,,नारायनपुर,सहरिया बस्ती छापछौल,सहरिया बस्ती गुढ़ा,गुमची,,सैदपुर फार्म,हरीनगर,
6	बार	शंकरपुरा(बछरावनी),कड़ारी,,डंगरन,बरगौरा,महुआखेड़ा,सुजानपुरा,दिवानपुरा, बरियापठा डंगरन,बूटी,,रौतयाना,ढिमरौली,गनेशपुरा,खिरिया,हंसरईया,गोलियाघाट,बीजरी,, दौलतपुरा,टपरियन,कछियाबाग,पाठापुरा,डेंगना,दउवापुरा,खैरों,सुभाषपुरा,ढकिया, अमापुर , कंचनपुरा,रावतयाना(बार), नयाखेड़ा,यादवपुरवा,बिड़या(चिगलउवा)
7	नगर क्षेत्र	मुंशीपुरा, गांविन्दनगर , लैड़ियापुरा , नदीपुरा

सारणी – 2.7

दूरी एवं आबादी के आधार पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

क्रम सं0	ब्लाक का नाम		3किमी0 के अन्तर्गत उपलब्ध विद्यालय
1	तालबेहट	800 से अधिक आबादी वाले ग्राम	26
		800 से अधिक आबादी वाली बस्ती	...
2	बिरधा	800 से अधिक आबादी वाले ग्राम	31
		800 से अधिक आबादी वाली बस्ती	...
3	जखौरा	800 से अधिक आबादी वाले ग्राम	34
		800 से अधिक आबादी वाली बस्ती	...
4	मड़ावरा	800 से अधिक आबादी वाले ग्राम	29
		800 से अधिक आबादी वाली बस्ती	...
5	महरौनी	800 से अधिक आबादी वाले ग्राम	28
		800 से अधिक आबादी वाली बस्ती	...
6	बार	800 से अधिक आबादी वाले ग्राम	29
		800 से अधिक आबादी वाली बस्ती	...
	योग	800 से अधिक आबादी वाले ग्राम	177
		800 से अधिक आबादी वाली बस्ती	...

स्त्रोत :– विभागीय आंकड़े

उपर्युक्त सारणी के अनुसार जनपद में 113 ऐसे ग्राम तथा बस्तियॉं हैं जिनकी आबादी 800 है। इनके 3 किमी0 की परिधि में कोई भी उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है। स्कूल मैपिंग एवं सूक्ष्म नियोजन के आधार तथा जनपद के भौगोलिक स्थिति के आधार पर जनपद में ग्रामीण क्षेत्र में 111 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त नगर क्षेत्र में 3 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पड़ेगी।

उन ग्रामों / बस्तियों की सूची निम्नवत् है जिनमें उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे।

क्रम सं0	ब्लाक का नाम	ग्राम/बस्तियों के नाम जहाँ प्रा0वि0 खोले जाने है
1	तालबेहट	बघौरा, खेराडांग,रमपुराकठवर, पूराकला, सारसेड़, चुरावनी,,भदौना,बादीवर,गुलैंदा रोड,कटीला,बन्देशरा,कन्धारीकला,नत्थीखेड़ा,सुनौरी,,उदगुंवा,रामपुर,
2	बिरधा	बजर्रा,मैनवार , सिंगेपुर, पटौवा,दांवर,बन्शा बम्होरी,,देवगढ़,जामुनधाना,मादौन,पिपरई, जमुनिया,डूंगरिया,बिरारी,,पिपरिया बन्शा,मैरती कला, पड़ोरिया, नयागांव,सिमरधा, ऐरावनी , उमरिया,करमरा,बारौद
3	जखौरा	नौहरकला, गुरसौरा, पंचौरा,मैनवारा,कुआतला,मनगुंवा,सीरोनकला,सिलगन,गनगौरा, मुहारा,करगन,बीघाखेत,पटौराकला,महेशपुरा,सोरई,धरमपुरा,भरतपुरा,बांसी,,विनैकामाफी मैलार
4	मडावरा	बम्हौरी कला,उल्दनाखुर्द,नीमखेड़ा,रनगांव,तिसगना,पिसनारी,,कुर्रट,रखवारा,बहादुरपुर , बछरई,तरावली,,फूलबाग,दिगवार,बैरवारा,सरखड़ी,,जमुनियाकला,इकौना,खुटगुवां, रमगढ़ा,पीडार
5	महरौनी	पड़वां,लुहर्रा,टीकरा,रमेशरा,देवरानकला,जखौरा,पथराई,बारौन,सतवांसा,मानिकपुर, सुकाड़ी , बूढ़ी,,शुकलगुवां,बाल्मीकि नगर(महरौनी), रुकवाहा,सहरिया बस्ती (गुढ़ा), जरया,भौटा
6	बार	भागनगर,बानौनी,,गुगरवारा,कठवर,मौगान,गढ़िया,देलवारा,राधापुर,चन्दावली,,सूरीखुर्द, चकौरा,दरौनी,,कारीटोरन,धमना,दशरारा,
7	नगरक्षेत्र	गांधीनगर , नदीपुरा,गोविन्द नगर

स्रोत : कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता राज्य सरकार के मानक के आधार पर निकाली गई है :–

सारणी – 2.8

संचालित एवं प्रस्तावित प्रा0वि0/उ0प्रा0वि0

विवरण	ग्रामीण	नगरीय
वर्तमान में संचालित प्राथमिक विद्यालय	726	28
प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय	82	4
वर्तमान में संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालय	204	4
प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालय	64	3

विद्यालयों में भौतिक सुविधायें :–

परिषदीय विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण सारणी में दिया गया है :–

सारणी – 2.9

उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

सुविधा का प्रकार	वि0 खं0	प्राथमिक								पूर्व माध्यमिक							
		तालबेहट	जखौरा	बिरधा	मड़ावरा	महरौनी	बार	योग ग्रामीण	नगर क्षेत्र	तालबेहट	जखौरा	बिरधा	मड़ावरा	महरौनी	बार	योग ग्रामीण	नगर क्षेत्र
एक कक्षीय		0	8	10	0	10	6	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दो कक्षीय		56	63	69	30	65	70	353	0	0	0	1	0	0	3	4	0
तीन कक्षीय		83	40	44	86	20	30	303	4	2	0	1	0	0	21	24	0
चार कक्षीय		0	10	7	1	10	0	28	7	26	25	26	26	27	9	139	1
पॉच कक्षीय		0	2	2	1	1	0	6	1	2	12	7	6	5	0	32	1
पॉच से अधिक कक्षीय		0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	2
मरम्मत योग्य लघु		9	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	10	0	11	0
मरम्मत योग्य वहद		12	0	0	0	7	0	19	1	4	0	0	0	0	0	4	0
शौचालय युक्त		139	122	130	0	107	0	498	11	28	37	23	0	25	0	113	0
हैण्डपम्प युक्त		124	123	129	0	100	0	476	10	28	37	0	0	31	0	96	1
चहारदीवारी		110	0	0	0	68	0	178	7	28	0	0	0	25	0	53	2

स्त्रोत :– कार्यालय जिला बसिक शिक्षा अधिकारी

जनपद में आइटमवार आवश्यकता निम्न सारिणी द्वारा प्रदर्शित की गई है

सारणी – 2.10

आईटमवार आवश्यकता का विवरण

क0 सं0	आइटम सुविधा	आवश्यकता	
		प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1	विद्यालय पुर्ननिर्माण	17	11
2	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	414	217
3	पेयजल सुविधा	18	18
4	शौचालय	0	30

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विगत वर्षों में स्थिति निम्नवत है:–

सारिणी 2.11

वर्षवार छात्र नामांकन की कक्षावार स्थिति

प्राथमिक विद्यालय में नामांकन	1997—98	1998—99	1999—00	2000—01	2001—02	2002—03
कक्षा – 1	37979	31500	33859	39703	34549	37290
कक्षा – 2	30146	32668	29988	31784	35057	33189
कक्षा – 3	23080	26997	29485	29267	30203	33038
कक्षा – 4	16604	19499	22625	25095	24784	25935
कक्षा – 5	12991	14205	16699	18664	20937	21120
योग	120800	124669	132656	144513	145530	150572
जी0ई0आर0						
कुल	92.86	92.07	101.04	108.29	108.93	109.21
बालिका	76.14	77.47	86.76	92.80	93.24	93.97
इन0ई0आर0						
कुल	82.27	82.42	87.63	97.45	97.92	98.0
बालिका	67.44	69.86	82.41	85.62	86.02	86.45

ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि जनपद में वर्षवार नामांकन में वृद्धि हुई है। यह नामांकन परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों का है।

प्राथमिक विद्यालय परिषदीय एवं शिक्षकों की संख्या में हुई वृद्धि :–

सारिणी 2.12

विवरण	डी0पी0ई0पी0 से पूर्व	डी0पी0ई0पी0 के बाद
प्राथमिक विद्यालय परिषदीय	643	754
प्राथमिक अध्यापक परिषदीय	1672	1870

स्रोत : कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि जनपद में डी0पी0ई0पी0 योजना प्रारम्भ होने के फलस्वरूप प्राथमिक विद्यालय एवं अध्यापकों के स्वीकृत पदों में वृद्धि हुई है।

सारिणी 2.13

ड्राप आउट दर

1998–1999	1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003
46.1	38.2	33.8	30.0	26.3

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद में ड्राप आउट की दर मे कमी आई है।

सारिणी 2.14

रिपीटीशन दर

वर्ष	रिपीटीशन दर
1997–98	6.12
1998–99	8.19
1999–00	4.15
2000–01	6.02
2001–02	5.17
2002–03	4.12

सारिणी 2.15

ट्रान्जिशन दर (कक्षा 5 से कक्षा 6)

वर्ष	कक्षा 5	कक्षा 6	ट्रान्जिशन दर
1998–99	12020	7044	–
1999–00	13419	7914	65. 8
2000–01	14470	8813	65. 6
2001–02	18664	11429	61.23
2002–03	20937	13268	63.37

जनपद में प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात निम्नवत् है:–

सारिणी 2.16

प्राथमिक विद्यालयों व उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात

	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	माध्यमिक विद्यालय	योग	अनुपात
ग्रामीण	726	204	10	214	3.6:1
नगरीय	28	4	13	17	2.0:1
योग	754	228	23	204	4.0:1

स्त्रोत :– विभागीय आंकड़े

वर्ष 2003–04 में 86 प्राथमिक विद्यालय एवं 67 उच्च प्राथमिक विद्यालय का निर्माण स्वीकृत है।

सन 2001 की जनगणना के आधार पर गांववार विस्तृत आंकड़ें प्राप्त नहीं हुए है। आंकड़ें प्राप्त होने पर आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन एरिया, नगर पालिका एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया जायेगा।

अध्याय – 3

नियोजन प्रकिया

सर्व शिक्षा अभियान समुदाय की भागीदारी से शिक्षा का सार्वभौमीकरण करने का एक महत्वाकांक्षी कार्यकम हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सन् 2010 ई. तक 6–14 वय–वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी एवं कोटिपरक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना है।

सर्व शिक्षा अभियान स्कूल पद्धति के कार्य निष्पादन में सुधार तथा समुदाय को जोड़कर प्रारम्भिक शिक्षा की सभी जरूरतों को पूरा करने का एक विशेष प्रयास है।

सर्व शिक्षा अभियान मे ऐसे प्रयास किए जाएँगे जिससे सामुदायिक सहभागिता एवं गतिशीलता को बढ़ावा देकर निचले स्तर तक नियोजनात्मक विकेन्द्रीकरण हो सके, और पंचायती राज संस्थाओं, निर्धारित क्षेत्रों में परिषदों जिनमें ग्राम पंचायतें भी सम्मिलित हैं की स्वीकृति प्रदान करने के अलावा राज्यों को प्रोत्साहित किया जाना है ताकि वे गैर सरकारी संगठनों शिक्षकों, स्वयं सेवकों, कलाकारों,महिला संगठनों आदि को कार्यक्रम की जानकरी देकर और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के उपरान्त जवाबदेही का विस्तार करें।

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत नियोजन हेतु जनपद स्तर पर कोर टीम का गठन किया गया है गठित टीम में निम्नानुसार सदस्य है

1– प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,ललितपुर

2– वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,ललितपुर(समस्त)

3– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,ललितपुर

4– उप बेसिक शिक्षा अधिकारी,ललितपुर

5– सहायक वित्त एंव लेखाधिकारी, सर्व शिक्षा अधिकारी,ललितपुर

6– जिला समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान,ललितपुर(समस्त)

7– सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद–ललितपुर(समस्त–विकासखण्ड)

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना :

जनपद में संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया गया है। प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार के 6–11 वय वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आकलन किया गया है। सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए जनपद की ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, ग्राम के उत्साही प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिए ग्राम शिक्षा समिति प्रशिक्षण वर्ष 1998–99 में दिया गया है तत्पश्चात् सूक्ष्म नियोजन व ग्राम शिक्षा समिति तैयार की गई है। सूक्ष्म नियोजन द्वारा वर्ष 98–99 में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, ग्रामवासियों, अध्यापकों के सहयोग से शिक्षा से संबंधित सभी सूचनाओं का एकत्रीकरण किया गया तत्पश्चात् आँकडों का विश्लेषण करके समस्याओं/आवश्यकताओं की पहचान की गई फिर प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकताओं की पहचान कर योजना निर्माण प्रक्रिया का सम्पादन हुआ।

प्रत्येक ग्राम सभा के लिए निम्न लिखित सूचनाएं एकत्र की गईं

1. ग्राम में 6–11 वय वर्ग के बच्चों की कुल संख्या
2. विद्यालय/औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में पढने वाले बच्चों की संख्या
3. विद्यालय न जाने वाले बच्चों की सख्या
4. 0–6 वय वर्ग के बच्चों की संख्या, उनमें से पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
5. प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की आवश्यकता
6. 11–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या तथा उनमें से पढ़ने वाले, न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
7. विद्यालय सुधार के लिए ग्रामवासियों के सुझाव
8. विद्यालय न जाने वाले बच्चों के कारण तथा निवारण के उपाय

9. साक्षरता स्त्री–पुरुष, गांव की जनसख्या स्त्री–पुरुष
10. बच्चों की संख्या के आधार पर प्राथमिक विद्यालय, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, शौचालय, पेयजल व्यवस्था की मांग ।
11. बालिकाओं की शिक्षा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था हेतु सुझाव, बालिका शिक्षा प्रसार करने के उपाय।
12. छात्र–अध्यापक अनुपात तथा शिक्षण व्यवस्था सुधारने के उपाय।

उपरोक्त सूचनाओं के लिए अध्यापकों तथा ग्रामवासियों के सहयोग से निम्न कार्यक्रम किये गये।

1. हाउसहोल्ड सर्वे (परिवार सर्वेक्षण)
2. स्कूल मैपिंग
3. सूचनाओं का संकलन
4. विश्लेषण के पश्चात् प्राथमिकता के आधार पर संसूचीकरण
5. ग्राम शिक्षा योजना निर्माण

सारणी 3.1

माइकोप्लानिंग 1998 के अनुसार साक्षरता

विकास खण्ड का नाम	परिवार के कुल सदस्यों की संख्या			परिवार के साक्षर सदस्यों की संख्या			साक्षरता दर		
	महिला	पुरूष	योग	महिला	पुरूष	योग	महिला	पुरूष	योग
महरौनी	51268	58387	109655	14895	31214	46109	29.05	53.46	42.04
मड़ावरा	46271	52026	98297	12803	26467	39270	27.66	50.87	39.95
तालबेहट	50491	58115	108606	13647	26923	40570	27.02	46.32	37.35
बार	54556	62475	117031	15057	31307	46364	27.60	50.11	39.61
बिरधा	64764	72719	137483	16698	40405	57103	25.78	55.56	41.53
जखौरा	69551	79145	148696	14525	40412	54937	20.88	51.06	36.94
योग	336901	382867	719768	87625	196728	284353	26.01	51.38	39.50

स्त्रोत :– विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय

सर्व शिक्षा के अर्न्तगत परिवार सर्वेक्षण (हाऊस होल्ड सर्वे) :–

सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन के समय जनपद का परिवार सर्वेक्षण कराया गया जिससे विद्यालय जाने वाले एवं विद्यालय न जाने वाले 6–11 वयवर्ग एवं 11–14 वयवर्ग के बच्चों की संख्या एकत्रित की गई। इस कार्य को परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों के द्वारा कराया गया तथा ग्राम शिक्षा समितियों का सहयोग भी प्राप्त किया गया। सर्वेक्षण के माध्यम से 6 से 14 वयवर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों के विद्यालय न जाने के महत्वपूर्ण पॉच कारणो की पहचान की गई यह पॉच कारण निम्नवत हैं:–

1– अपने घर के कार्यों में लगे रहना।

2– मजदूरी में लगे रहना।

3– भाई–बहनों की देखभाल।

4– विद्यालय दूर होने के कारण।

5– अन्य कारण।

परिवार सर्वेक्षण के अनुसार विद्यालय न जाने वाले बच्चों का कारण सहित विवरण निम्नवत् हैं:–

सारिणी 3.2

विद्यालय न जाने वाले चिन्हित बच्चे कारणवार

क0 सं0	कारण	5+ से 6+		7 से 10+		11 से 14		योग		
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
1	अपने धर के कार्यो में लगे रहना	2005	1739	2659	2992	2596	2877	7260	7608	14868
2	मजदूरी में लगे रहना	41	14	187	106	556	308	784	428	1212
3	भाई–बहनों की देखभाल	1830	2028	1548	2177	719	1056	4097	5261	9358
4	विद्यालय दूर होने के कारण	235	294	476	490	326	391	1037	1175	2212
5	अन्य कारण	4799	4691	1231	1366	697	582	6727	6639	13366
	योग	8910	8766	6101	7131	4894	5214	19905	20112	41016

शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेषण एवं ग्राम शिक्षा योजना निर्माणः–

ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, उत्साही युवकों तथा अध्यापकों के माध्यम से परिवार सर्वेक्षण के आंकड़ों का मानचित्रण किया गया ग्राम शिक्षा समिति की बैठकों में शैक्षिक समस्याओं पर चर्चा की गयी शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिए निम्नलिखित सूचनाएं एकत्र की गयी।

1. बस्ती की जनसंख्या
2. विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या
3. स्त्री–पुरुष जनसंख्या
4. पढ़ने वाले व न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
5. विशेष आवश्यकता वाले बच्चे
6. बालिकाओं/बालकों में स्कूल जाने वालों की स्थिति परिवार के अनुसार

उपरोक्त सभी तथ्यों, समस्याओं आदि पर विचार करने के उपरान्त उभरे बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए परिवारों, ग्रामों, मजरों को सम्मिलित करते हुए ग्राम सभा स्तर पर शिक्षा योजना का निर्माण किया गया है, योजना के कुछ भाग को ग्राम शिक्षा समिति ने अपने प्रयासों से पूर्ण किया तथा कुछ भाग डी0पी0ई0पी0 योजना से पूरा किया गया। इस योजना को अध्यावधि करने के उद्देश्य से ग्राम शिक्षा समितियों को पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण दिया जायगा। इन योजनाओं का रिकार्ड न्याय पंचायत स्तर तथा विकास खण्ड स्तर पर रखा गया है। तथा ग्राम शिक्षा योजना पुस्तिका ग्राम सभा स्तर पर रखी गयी है। जनपद के ई0एम0आई0एस0/माइक्रोप्लानिंग के आंकड़ों का प्रयोग सर्व शिक्षा अभियान मे किया जायगा तथा इसी को आधार मानते हुए सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों / ब्लाक समन्वयकों की सहायता से 6–14 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत 6–14 वय बर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों के लिए शिक्षा गारन्टी योजना, वैकल्पिक / नवाचार कार्यक्रम रखे गये हैं सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन की संरचना में अधिक से अधिक बस्ती वार सूचना उपयोग में लायी गई है तथा विद्यालय जाने

वाले बच्चों का ड्राप आउट रोकने बालक / बालिका को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु कार्यक्रम रखे गये हैं। इनका विवरण पुस्तिका के अध्याय 7 में दर्शाया गया है।

ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन का अद्यावधिक चक्र सर्व शिक्षा अभियान की प्रथम वार्षिक योजना 2001–2002 के दौरान पूर्ण किया जायेगा। जिसका उपयोग आगे आने वाले वर्षों के अन्तर्गत कार्यक्रम तैयार करने हेतु किया जाना है।

स्कूल चलो अभियान :–

जनपद में वर्ष 2003 में 1 जुलाई 2003 से 15 जुलाई 2003 के मध्य बालक बालिकाओं की नामांकन वृद्धि तथा ड्राप–आउट की समाप्ति के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया। विभिन्न कारणों से 6 से 14 वय वर्ग के सभी बच्चों का नामंकन न हो पाने के कारण कुछ बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाये।

वर्ष 2003–2004 में पुनः स्कूल चलो अभियान आयोजित किया गया। जिससे 6 से 14 आयुवर्ग के सभी बच्चे स्कूल में पहुंचें और उनका विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किया जा सके। इस अभियान को दो चरणों में संचालित किया गया।

अभियान के सफल संचालन के लिए निम्न लिखित कार्यवाही की गई :

- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी द्वारा स्कूल चलो अभियान की एक रूपरेखा तैयार की गई।
- दिनांक 27.6.2003 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में अभियान की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई तथा स्कूल चलो अभियान 2003–2004 विस्तृत रणनीति भी तैयार की गई। उक्त बैठक में जनपदस्तरीय अधिकारी विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षाधिकारी, जिला समन्वयक,

ब्लाक समन्वयक, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी व शैक्षिक संगठनों के सदस्य उपस्थित थे।

स्कूल चलो अभियान के सम्बंध में निम्न निर्णय लिए गए

- स्कूल चलो अभियान की जिला स्तरीय शिक्षा समिति निम्नानुसार गठित की गई।

1. जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3. जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
4. प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
5. जिला बेसिक शिक्षाधिकारी	सदस्य सचिव
6. जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
7. उप बेसिक शिक्षाधिकारी	सदस्य
8. जिला युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र	सदस्य

- जनपद में इस अभियान के ग्राम स्तर तक प्रभावी संचालन हेतु ब्लाक स्तरीय समितियों का गठन किया गया।
- ग्राम स्तरीय समिति का गठन भी किया गया जिसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान को बनाया गया।
- शहरी क्षेत्र समिति का भी गठन किया गया जिसका नोडल अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगर क्षेत्र को नामित किया गया।
- विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दो न्याय पंचायत पर एक नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।

1. तहसील स्तर पर जिला समन्वयकों को कार्यक्रम समीक्षक बनाया गया और उन्हे रैलियों के आयोजन,बाल–गणना, नामांकन, पाठ्य–पुस्तकों के वितरण आदि दायित्व सौंपे गये।

विशेष कार्यक्रम :

- जनपद स्तर पर दिनांक 5.7.2003 को विशाल रैली का आयोजन किया गया। जिसमें नगर के गणमान्य व्यक्तियों जैसे नगर पालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष सभी अधिकारीगण, स्कूली बच्चों, अध्यापकों, नेहरू युवा केन्द्र के कार्यकर्ताओं, समन्वयकों, पत्रकारों ने भी प्रतिभाग किया। जिलाधिकारी के सम्बोधन के उपरांत उनके द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया गया।
- विकास खण्ड महरौनी में दिनांक 7.7.2003 को ब्लाक स्तरीय रैली निकाली गई। खण्ड विकास अधिकारी ने हरी झण्डी दिखाकर उसका शुभारंभ किया। इस रैली में ब्लाक प्रमुख, सहायक बेसिक शिक्षाधिकारी, बी.आर.सी. समन्वयकों, स्कूली बच्चों एवं अध्यापकों ने नगर भ्रमण किया।
- दिनांक 11.7.2003 को महरौनी ब्लाक पर सी.डी.ओ. ललितपुर की अध्यक्षता में ग्राम प्रधानों की एक बैठक आयोजित की गई। जिसमें स्कूल चलो अभियान को सफल बनाने के लिए ग्राम प्रधानों से अपील की गई।
- विकास खण्ड जखौरा के ग्राम लागौन में दिनांक 9.7.2003 को रैली का शुभारंभ सहायक बेसिक शिक्षाधिकारी ने हरी झण्डी दिखाकर किया। बाद में ग्रामवासियों के साथ एक बैठक का भी आयोजन किया गया। इसमें ग्राम के प्रधान तथा गणमान्य व्यक्तियों नें प्रतिभाग किया। स्कूल चलो अभियान को सफल बनाने के लिए सभी से अपील की गई।
- दिनांक 9.7.2003 को विकास खण्ड बिरधा में खण्ड विकास अधिकारी के द्वारा स्कूल चलो अभियान की एक रैली निकाली गई। जिसमें ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि सहायक बेसिक शिक्षाधिकारी, बी.आर.सी. समन्वयक, ए.बी.आर.सी. समन्वयक, इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य, ग्राम प्रधान बिरधा बाल विकास परियोजनाधिकारी, एम.ओ.आई.सी. तथा समस्त स्कूलों के बच्चों व अध्यापकों ने प्रतिभाग किया। तत्पश्चात विकास खण्ड स्तर पर एक संगोष्ठी हुई।

- विकास खण्ड मड़ावरा में दिनांक 5.7.2003 को ब्लाक स्तरीय स्कूल चलो अभियान की रैली निकाली गई। जिसमें सहायक बेसिक शिक्षाधिकारी बी. आर.सी. समन्वयक गणमान्य नागरिक तथा सभी स्कूली बच्चों व अध्यापकों ने प्रतिभाग किया।
- तालबेहट विकास खण्ड में 7.7.2003 को स्कूल चलो अभियान रैली का शुभारंभ उप जिलाधिकारी ने हरी झण्डी दिखाकर किया। रैली नगर के विभिन्न क्षेत्रों से भ्रमण करते हुए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पहुंची। इसमें सहायक बेसिक शिक्षाधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाध्यापिका, भूतपूर्व ब्लाक प्रमुख, ग्राम प्रधान खांदी, प्रति उप विद्यालय निरीक्षिक के साथ समस्त नगर क्षेत्र के अध्यापकों ने प्रतिभाग लिया। इसके पश्चात स्कूल चलो अभियान की संगोष्ठी की गई जिसमें इस अभियान को सफल बनाने हेतु संकल्प लिया गया। इसी क्रम में पूरे विकास खण्ड में ग्राम स्तर पर रैलियां निकाली गईं।
- 16.7.2003 से स्कूल चलो अभियान का द्वितीय चरण सम्पन्न किया गया। जिसमें स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत प्रथम चरण में चिन्हित बच्चों का नामांकन जनसम्पर्क द्वारा किया गया। जिसकी उपलब्धि स्कूल चलो अभियान की सारणी में दशाई गई।

सारिणी 3.3(1)

जनपद ललितपुर स्कूल चलो अभियान की प्रगति 2003–04

6 से 11 वय वर्ग के बच्चों की प्रगति

6 से 11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			6 से 11 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले चिन्हित बच्चों की संख्या			चिन्हित बच्चों के सापेक्ष नामांकन		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
79673	67747	147420	15011	15897	30908	14379	14919	29298

स्रोत : कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

सरिणी 3.3(2)

11 से 14 वय वर्ग के बच्चों की प्रगति

11 से 14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			11 से 14 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले चिन्हित बच्चों की संख्या			चिन्हित बच्चों के सापेक्ष नामांकन		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
36608	25142	61750	4894	5214	10108	3212	2963	6175

स्रोत : कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 6–11 वय –वर्ग में 15,011 बालक एवं 15,897 बालिकाओं समेत कुल 30,908 ऐसे बच्चे चिन्हित किए गये जो स्कूल नहीं जाते थे। इनमें से 14,379 बालक एवं 14,919 बालिकाओं समेत 29,298 बच्चों को नामांकित किया गया। इसी प्रकार 11–14 वय–वर्ग में 4,894 बालक एवं 5,214 बालिकाओं समेत कुल 10,108 ऐसे बच्चे चिन्हित किये गये जो स्कूल नहीं जाते थे। इनमें 3,212 बालक एवं 2,963 बालिकाओं समेत 6,175 बच्चों को नामांकित किया गया 3,933 बच्चे इस अभियान के बाद भी स्कूल तक नहीं पहुँच सके।

सर्व शिक्षा अभियान के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विकेन्द्रीयकृत नियोजन की प्रणाली दुबारा अपनाई गई है। इसमें बस्ती/ ग्राम स्तर पर अपनी योजनायें बनाने की दिशा पर कार्यवाही की गई। ललितपुर जनपद में सर्व शिक्षा अभियान की योजना बनाने हेतु निम्न लिखित प्रयास किए गए हैं।

1. नियोजन टीम का गठन – जनपद स्तर पर नियोजन/ पर्यवेक्षण हेतु एक 6 सदस्यीय नियोजन टीम का गठन किया गया है।
2. विकास खण्ड स्तर पर भी इसी प्रकार टीम का गठन किया गया।
3. बस्ती/ ग्राम स्तर पर विभिन्न स्तर के कार्य कर्ताओं के साथ बैठकें आयोजित की गई। इस अभियान को आरम्भ करने से पूर्व समुदाय

की शिक्षा के प्रति सोच जानना तथा इस अभियान से क्या अपेक्षायें हैं, सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए समुदाय किस प्रकार सहयोग दे सकता है यह राय जानना भी आवश्यक है। एफ. जी.डी.प्रक्रिया द्वारा क्षेत्र विशेष की समस्याओं को ध्यान में रखकर सर्व शिक्षा अभियान का प्रास्प्रेक्टिव प्लान तैयार किया गया। समाज के उत्साही युवकों/ युवतियों को अभियान चलाने के लिए कान्ट्रेक्ट पर्सन के रूप में लिया जायेगा। संदर्भ व्यक्तियों की पहचान, स्वयं सेवी संस्थाओं की पहचान पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों की सोच व सहयोग की जानकारी एफ.जी.डी.द्वारा ली जायेगी।

परियोजना पूर्व गतिविधियों के अन्तर्गत जिले में एफ.जी.डी.टीम का भी गठन किया गया है। इसमें वे अधिकारी/ कर्मचारी सम्मलित किए गए हैं जिन्होंने प्लान बनाने के लिए सीमेट इलाहाबाद के तत्वाधान में आयोजित कार्यशालाओं में प्रतिभाग किया हैं। इसके अतिरिक्त जिला समन्वयक डी.पी.ई.पी. , सहायक बेसिक शिक्षाधिकारी, प्रति विद्यालय निरीक्षक, डी.आर.सी./ एन.पी. आर.सी. समन्वयक, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि तथा अन्य विभागों के अधिकारियों/ कर्मचारियों का सहयोग मिला। एफ.जी.डी. के निष्कर्षों से प्लान को आवश्यकता आधारित "नीड बेस्ड" प्लान बनाने में सफलता प्राप्त हुई है। प्लान पूर्व गतिविधियों के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम में ग्राम प्रधानों पंचायत सदस्यों प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को एन.पी.आर.सी. समन्वयकों के द्वारा संदेश दिया गया तथा ब्लाक प्रमुख ग्राम शिक्षा समितियों बी.डी.सी. सदस्यों को यह अवगत कराया गया कि सर्व शिक्षा अभियान पूर्ण रूप से समुदाय की सहभागिता पर निर्भर है। इस योजना को एफ.जी.डी. के जरिए बस्ती/ ग्रामों की आवश्यकताओं व प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर सूक्ष्म नियोजन 'ग्रास रूट लेवल प्लानिंग' के आधार पर किया गया है। इस अभियान में समाज के हर तबके को योजना

निर्माण तथा कियान्वयन हेतु जोड़ा जायेगा। विशेषकर ग्राम पंचायतों को इसमें नियोजन एवं प्रबंधन और पर्याप्त वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार होंगे। ग्राम शिक्षा समितियों की अनुश्रवण एवं नियोजन सम्बंधी भागीदारी भी होगी। स्वयंसेवी स्वैच्छिक संस्थाओं की भी सशकत भागीदारी होगी।

चूंकि विभिन्न स्तर पर शैक्षिक नियोजन हो सकता है इनमें राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन क्षेत्रीय स्तर पर नियोजन तथा विविध स्तर नियोजन में जनपद स्तरीय नियोजन भी शामिल है।

जनपद स्तरीय नियोजन :

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत जनपद की आवश्यकता निर्धारण एवं रणनीतियां तैयार करने के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर दिनांक 01/10/2001 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि, जिला स्तरीय अधिकारियों व जिला बेसिक शिक्षा समिति के सदस्य सम्मिलित हुए। ब्लाक स्तर पर ब्लाक प्रमुख क्षेत्र पंचायत सदस्य सहायक बेसिक शिक्षाधिकारी तथा प्रधानों के साथ बैठकें की गई व विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा ग्राम स्तरीय, बस्ती स्तरीय बैठकें कर विशिष्ट समूहों से विचार विमर्श किया गया और डोर टू डोर सर्वे किया गया। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों, मलिन बस्तियों में समुदाय के सदस्यों, अनुसूचित जाति (सहरिया बस्ती)में भी बैठकें कर विचार विमर्श के उपरांत नियोजन किया गया है। नियोजन प्रक्रिया में सहभागिता हेतु कार्यवाही का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सर्व शिक्षा के नियोजन में सहभागिता हेतु कार्यवाही का विवरण

क्र. सं.	ब्लाक स्तर/ ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक/ विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
1.	ब्लाक स्तर	30.9.2001	बार	अधिकारी – 2 प्रधान – 1 अध्यापक – 5 बी.डी.सी. सदस्य – 2 अभिभावक – 4 ब्लाक समन्वयक – 5 न्याय पंचायत सम0 – 5	1. अनुसूचित जाति (सहरिया) बाहुल्य क्षेत्र में अभिभावकों को बालिका शिक्षा हेतु प्रेरित करना। 2. ऐसी बस्तियों में नवीन विद्यालय खोलने की आवश्यकता। 3. अभिभावक बालिकाओं का प्रवेश विद्यालयों में नहीं कराते।
2.	ग्राम स्तर	30.9.2001	भैलोनी लोध	प्रधान (महिला)–1 अध्यापक – 3 बी.डी.सी. सदस्य – 1 अभिभावक – 20	1. बालिकाओं को कक्षा 5 से आगे पढ़ाने हेतु पू.मा.वि. में प्रवेश दिलाया जावे। 2. शिक्षा में गुणवत्ता परक सुधार आवश्यक। 3. बस्ती में नवीन प्रा0 वि0 खोलने की कार्यवाही हो। 4. मजदूरों के बच्चे जो अपने माता–पिता के साथ मजदूरी के समय बाहर चले जाते हैं उन्हें शिक्षा देने की व्यवस्था हो।

3.	ग्राम स्तर	1.10.2001	गदयाना	अधिकारी – 2 प्रधान – 1 बी.डी.सी. सदस्य – 1 अध्यापक – 4 अभिभावक – 10 ब्लाक समन्वयक – 1	1. बालिकाओं (विशेषकर अनु.जाति)का ड्रापआउट रोकने हेतु पढ़ाई के साथ कढ़ाई बुनाई की शिक्षा दी जावे। 2. पू.मा.विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाई के साथ क्षेत्रीय कच्चे माल/टाट–पट्टी, चाक बनाने आदि का प्रशिक्षण भी दिया जावे। 3. अध्यापकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरना चाहिए।
4.	ग्राम स्तर	2.10.2001	कैलगुवां	अधिकारी – 1 प्रधान – 1 ब्लाक समन्वय – 1 न्याय पंचायत – 1 समन्वयक – 1 अभिभावक – 15	1. असेंवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालयों के खोलने की मांग। 2. विद्यालयों में बच्चों को दोपहर का भोजन न मिलने पर बच्चे घर भाग जाते हैं जो मध्यान्तर बाद पढ़ने नहीं आते। 3. किशोरी बालिकाओं को विद्यालयों में शिक्षा देने के साथ–साथ कढ़ाई, बुनाई, सिलाई की शिक्षा देना चाहिए। 4. अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति की जानी चाहिए जिससे शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चल सके।

5	ब्लाक स्तर पर विकासखण्ड जखौरा	30.9.2001	जखौरा ग्रामवासी – 100 कर्म0 / अधि0 – 25 ग्राम प्रधान – 50 ब्लाक प्रमुख – 1	ब्लाक की असेवित बस्तियों में 6–11 एवं 11–14 वय वर्ग के बालक बालिकाओं को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।
6	ग्राम स्तर पर	30.9.2001	गनगौरा ग्रामवासी – 30 प्र0अ0 – 1 ग्राम प्रधान – 1 सदस्य – 4 आयोजक – 10	ग्राम पटपुरा में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में।
7	ग्राम स्तर	30.9.2001	भातपुरा प्रधान – 1 उपप्रधान – 1 सदस्य – 6 कर्म0 / अधि0 – 1 अध्यापक – 50 आयोजक – 1 शिक्षाधिकारी – 8	ग्राम बस्ती राकड़ में प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित किया गया।

8	ग्राम स्तर	30.9.2001	सांकरवारखुर्दग्रा0वासी 40 कर्म0/अधि0 – 2 अध्यापक – 1 शिक्षाअधिकारी – 8	ग्राम सांकरवार खुर्द में प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित किया गया।
9	ग्राम स्तर	30.9.2001	नौहरकलां ग्रामवासी– 50 कर्मचारी – 3 अध्यापक – 3 शिक्षाधिकारी – 8	नौहरकलां में पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्रस्तावित किया गया।
10	ग्राम स्तर	30.9.2001	विनैकामाफी ग्रामवासी 20 आंगनबाड़ी – 2 अध्यापक – 3 शिक्षाधिकारी – 7	विनैकामाफी में पूर्व माध्यमिक विद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव
11	ग्राम स्तर	30.9.2001	सीरौनकलां प्रधान – 3 उपप्रधान – 25 सदस्य – 50 ग्रामवासी – 100 शिक्षाधिकारी– 10	ग्राम सीरौनकलां में पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्रस्ताव पारित किया गया।

12	ग्राम स्तर	28.9.2001	मैनवारा ग्रामवासी – 100 प्रधान –1 कर्मचारी – 2 अध्यापक – 6 शिक्षामित्र – 2 शिक्षाधिकारी – 3	ग्राम मैनवारा में पूर्व माध्यमिक विद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया।
13	ग्राम स्तर	28.9.2001	पंचौरा ग्रामवासी – 30 प्रधान –1 कर्मचारी – 3 अध्यापक – 7 शिक्षामित्र – 3 शिक्षाधिकारी – 3	ग्राम पंचौरा में पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया।
14	ग्राम स्तर	28.9.2001	धरमपुरा प्रधान – 1 ग्राम वासी – 25 कर्मचारी – 1 शिक्षक – 6 शिक्षाधिकारी – 3	ग्राम धरमपुरा में पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया।

15	ग्राम स्तर	28.9.2001	मनगुवां उप प्रधान –1 ग्रामवासी – 100 कर्मचारी –12 प्रधान अध्यापक – 2 शिक्षाधिकारी – 3	ग्राम मनगुवां में पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया।
16	ग्राम स्तर	28.9.2001	दैलवारा ग्रामवासी – 150 प्रधान –1 कर्मचारी – 1 प्र0 अ0 – 3 शिक्षाधिकारी – 3	बस्ती सिद्धपुरा में प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव पारित कराया गया।
17	ग्राम स्तर	28.9.2001	सिलगन ग्रामवासी – 200 प्रधान –1 कर्मचारी – 2 प्र0 अ0 – 1 अध्यापक – 5 शिक्षाधिकारी – 3	ग्राम सिलगन में पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया।

18	ग्राम स्तर	28.9.2001	पटौराकलॉग्रामवासी– 200 प्रधान –1 कर्मचारी – 4 प्र0 अ0 – 1 अध्यापक – 6 शिक्षाधिकारी – 3	बस्ती जुगपुरा में प्राथमिक विद्यालय एवं पटौराकलॉ में पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया।
19	ग्राम स्तर	28.9.2001	महेशपुरा ग्रामवासी – 30 सदस्य – 10 प्र0 अ0 – 1 अध्यापक – 5 कर्मचारी – 3	महेशपुरा में पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया।
20	ग्राम स्तर	1.10.2001	खिरियामिश्रग्रामवासी – 3 प्रधान – 1 कर्मचारी – 4 प्र0 अ0 – 1 शिक्षाधिकारी –3	असेवित ग्राम खिरिया मिश्र में प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया।

21	ग्राम स्तर	1.10.2001	सुरौवा प्रधान – 1 सदस्य – 6 कर्मचारी – 5 शिक्षाधिकारी – 3	ग्राम सुरौवा में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्ताव पारित किया गया।
22	ग्राम स्तर	1.10.2001	बरौदीनकीब सदस्य – 6 ग्रामवासी – 30 कर्मचारी – 2 अध्यापक – 4 शिक्षाधिकारी –3	ग्राम बरौदी नकीब में प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया।
23	ग्राम स्तर	1.10.2001	करगन सदस्य – 8 ग्रामवासी – 30 कर्मचारी – 3 शिक्षाधिकारी – 3	ग्राम करगन में पूर्व माध्यमिक विद्यालय एवं ग्याखेरा में प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया।
24	ब्लाक स्तरीय महरौनी	3.10.2001	सामु. भवन महरौनी ब्लाक प्रमुख ज्येष्ठ ब्लाक प्रमुख सहा0 बे0शि0अधि0	–बालिका शिक्षा हेतु नवीन विद्यालयों की मांग। –पर्याप्त अध्यापक –जर्जर भवनों की मरम्मत

25	न्याय पंचायत स्तर खिरिया लटकन जू	2.10.2001	ग्राम प्रधान बी0डी0सी0 सदस्य एन0पी0आर0सी0 अध्यापक पंचायत सदस्य	–छात्र संख्या के आधार पर अध्यापकों की मांग। –प्राथमिक विद्यालय खिरिया लटकन जू पर चहरदिवारी व पुनः शौचालय की मांग। –पू0मा0वि0 बालिका खिरिया लटकन जू मे सिलाई–कढ़ाई हेतु साधनों की मांग। –पू0मा0वि0 में फर्नीचर(बच्चों को) की मांग
26	न्याय पंचायत स्तर गुढ़ा	2.10.2001	ग्राम प्रधान बी0डी0सी0 सदस्य एन0पी0आर0सी0 अध्यापक ग्रामवासी	–बालिका पू0मा0वि0गुढा हेतु भवन की मांग। – अध्यापिकाओं की मांग – प्रा0वि0 गुढ़ा मे कक्षा–कक्षों की मांग। – पू0मा0वि0 मे फर्नीचर की मांग।

27	ग्राम स्तर पथराई	2.10.2001	ग्राम प्रधान उप प्रधान बी0डी0सी0 सदस्य अध्यापक ग्रामवासी	–अम्बेडकर बस्ती में विद्या केन्द्र खोलने हेतु। – प्रा0वि0 पथराई का पुर्ननिर्माण के सम्बन्ध में। –अध्यापक/शिक्षामित्रों की नियुक्ति के सम्बन्ध में। –पू0मा0वि0 खोले जाने के सम्बन्ध में।
28	ग्राम स्तर बम्हौरी बहादुर सिंह	1.10.2001	ग्राम प्रधान अध्यापक ग्रामवासी	–असौरा में विद्या केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध मे। – अध्यापक/शिक्षा मित्रों की नियुक्ति के सम्बन्ध मे। –पू0मा0वि0 बम्हौरी बहादुर सिंह के नवीन भवन शीध्र निर्माण के सम्बन्ध में।
29	ग्राम स्तर सैदपुर	2.10.2001.	ग्राम प्रधान राजनैतिक व्यक्ति बी0डी0सी0 सदस्य अध्यापक	–बालिका पू0मा0वि0 खोले जाने एवं अध्यापक की नियुक्ति के सम्बन्ध में। पू0मा0वि0 सैदपुर में कक्षा–कक्षों के निर्माण के सम्बन्ध में।

30	ग्राम स्तर भितरवाहा	8.10.2001	ग्राम प्रधान बी0डी0सी0 सदस्य पंचायत सदस्य अध्यापक ग्रामवासी	–प्रा0वि0 भितरवाहा का भवन गिर गया है अतः शीध्र नवीन भवन निर्माण कराया जाय। – शिक्षा मित्रों /अध्यापकों की नियुक्ति छात्र सं0 के अनुसार की जाय। – ग्राम बढ़ई के कुआं पर नवीन प्रा0 वि0 खोला जाय या विद्या केन्द्र खोला जाय। – प्रा0 वि0 अजान व प्रा0वि0 लक्ष्मनपुर की चहारदिवारी बनवाई जाय।
31	ग्राम स्तर बारौन	18.10.2001	ग्राम प्रधान बी0डी0सी0 सदस्य पंचायत सदस्य अध्यापक ग्रामवासी	–ग्राम भूसरा में प्रा0विद्यालय खोला जाय –प्रा0वि0बकसपुर की चहारदिवारी बनवाई जाय। –विद्या केन्द्र भूसरा में स्थापित किया जाय।

32	ग्राम स्तर देवरान कला	23.10.2001	ग्राम प्रधान बी0डी0सी0 सदस्य पंचायत सदस्य अध्यापक ग्रामवासी	–ग्रम पंचायत मे 2प्रा0वि0 हैं अतः पू0मा0वि0 खोला जाय। –प्रा0वि0 देवरानखुर्द व देवरानकला में अध्यापको /शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की जाय। –प्रा0वि0 देवरानखुर्द में चहारदिवारी का निर्माण शीध्र कराया जाय। – बालिकाओं को निःशुल्क ड्रेस वितरित की जाय। –किशोर उम्र की बालिकाओं का कैम्प लगाया जाय।
33	ग्राम स्तर सोजना	25.10.2001	ग्राम प्रधान बी0डी0सी0 सदस्य पंचायत सदस्य अध्यापक ग्रामवासी	–असेवित बस्तियों मे प्रा0वि0 खोले जायें –सहरिया जाति के बच्चों को आवासीय विद्यालय खोला जाय। – शिक्षा मित्रों/अध्यापकों की नियुक्ति छात्र सं0 के अनुसार की जाय।

34	ग्राम स्तर पचौड़ा	28.10.2001	ग्राम प्रधान एन0पी0आर0सी0 पंचायत सदस्य अध्यापक ग्रामवासी	–प्रा0वि0 खोला जाय। –कक्षा–कक्ष निर्माण कराया जाय।
35	ग्राम स्तर गौना	1.11.2001	ग्राम प्रधान पंचायत सदस्य अध्यापक ग्रामवासी	–प्रा0वि0 का भवन बनवाया जाय। – शिक्षा मित्रों /अध्यापकों की नियुक्ति छात्र सं0 के अनुसार की जाय। – नुक्कड़ नाटक,फिल्म प्रदर्शन किया जाय जिससे छात्र नामांकन में वृद्धि की जा सके।
36	ग्राम स्तर भैलोनीलोध(वि.ख. बार)	13.10.2001	ग्राम प्रधान ए0बी0एस0ए0 बी0डी0सी0 सदस्य अध्यापक ग्रामवासी	–बलिका शिक्षा वर बल। –गुणवत्तायुक्त शिक्षा हेतु ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग। –अनु0जाति के बालक तथा बालिकाओं के नियमित स्कूल आने पर विचार।

37	ग्राम स्तर चिगलौआ	16.10.2001	ग्राम प्रधान उप प्रधान पूर्व प्रधान ए0बी0एस0ए0 ग्रा0शि0समिति सदस्य अध्यापक ग्रामवासी	–सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यक्रमों पर विचार–विमर्श। –अनु0जाति के बालक तथा बालिकाओं के नियमित स्कूल आने पर विचार। –गुणवत्तायुक्त शिक्षा हेतु ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग।
38	ग्राम स्तर गदयाना	17.10.2001	ग्राम प्रधान ए0बी0एस0ए0 अध्यापक ग्रामवासी	–वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र/विद्या केन्द्र पर अनु0 जाति के बालक एवं बालिकाओं की नियमित उपस्थिति पर विचार। – सर्व शिक्षा अभियान की जानकारी।
39	ग्राम स्तर बार	19.10.2001	ग्राम प्रधान ए0बी0एस0ए0 बी0डी0सी0 सदस्य अध्यापक ग्रामवासी	–अनु0 जाति के बालक एवं बालिकाओं की नियमित उपस्थिति पर विचार। – सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यक्रमों पर विचार–विमर्श। –गुणवत्तायुक्त शिक्षा हेतु सहयोग की अपील।

40	ग्राम स्तर गढ़िया	20.10.2001	ग्राम प्रधान ए0बी0एस0ए0 ग्रा0शि0समिति सदस्य अध्यापक ग्रामवासी	– सर्व शिक्षा अभियान के प्रति जन जागरण। – बालक एवं बालिकाओं की नियमित उपस्थिति पर विचार।
41	ग्राम स्तर वस्त्रावन	20.10.2001	ग्राम प्रधान ए0बी0एस0ए0 ग्रा0शि0 समिति सदस्य अध्यापक ग्रामवासी	–असेवित बस्ती/मजरों मे शिक्षा केन्द्र खोलने पर चर्चा। – सर्व शिक्षा अभियान के प्रति जन जागरण।
42	ग्राम स्तर देवरान	20.10.2001	ग्राम प्रधान ए0बी0एस0ए0 ग्रा0शि0समिति सदस्य अध्यापक ग्रामवासी	–अनु0 जाति के बालक एवं बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने में वाली कठिनाइयों वा विचार। – सर्व शिक्षा अभियान के प्रति जन जागरण।
43	ग्राम स्तर सेमराबुजुर्ग,नगारा	5.11.2001	ए0बी0एस0ए0, अध्यापक ग्रामवासी	–बालिका शिक्षा पर बल तथा सर्व शिक्षा अभियान के प्रति जन जागरण।

44	ग्राम स्तर टौरिया,मिर्चवारा(बार)	8.11.2001	ए0बी0एस0ए0 एन0पी0आर0सी0 सम0 अध्यापक ग्रामवासी	–विद्यालय से ड्राप आउट रोकने पर विचार तथा सर्व शिक्षा अभियान की जानकारी देना।
45	ग्राम स्तर बिनैकाटोरन(जखौरा)	5.10.2001	अधिकारी अध्यापक समन्वयक जनप्रतिनिधि ग्रामवासी	–पू0मा0वि0 खोला जाय। –चहारदिवारी बनायी जाय। –बालिकाओं के लिए व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय।
46	ग्राम स्तर घुटाई	8.10.2001	अधिकारी अध्यापक समन्वयक जनप्रतिनिधि ग्रामवासी	–पू0मा0वि0 खोला जाय। –बालिकाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की जाय।
47	ग्राम स्तर जामुनधाना	9.10.2001	अधिकारी,, जनप्रतिनिधि अध्यापक, समन्वयक ग्रामवासी	–पू0मा0वि0 खोला जाय। –अध्यापको/शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की जाय।

48	ग्राम स्तर गुरसौरा	12.10.2001	अधिकारी अध्यापक समन्वयक जनप्रतिनिधि ग्रामवासी	–पू0मा0वि0 खोला जाय। –अध्यापको/शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की जाय। – बालक तथा बालिकाओं को ड्रेस उपलब्ध करायी जाय।
49	ग्राम स्तर तिलहरी	17.10.2001	अधिकारी,, जनप्रतिनिधि अध्यापक , ग्रामवासी समन्वयक	–अध्यापको/शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की जाय। –कक्षा–कक्षो का निर्माण कराया जाय।
50	न्याय पंचायत स्तर थनवारा	20.10.2001	अधिकारी,, ग्रामवासी अध्यापक समन्वयक जनप्रतिनिधि	–पू0मा0वि0 मे अध्यापको की व्यवस्था की जाय। – बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जाय।
51	ग्राम स्तर पाचौनी	1.11.2001	अधिकारी अध्यापक समन्वयक जनप्रतिनिधि ग्रामवासी	–अध्यापको/शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की जाय। –कक्षा–कक्षो का निर्माण कराया जाय।

52	ग्राम स्तर बादरौन	4.11.2001	अधिकारी अध्यापक समन्वयक जनप्रतिनिधि ग्रामवासी	–अध्यापको की व्यवस्था की जाय। – पू0मा0वि0 खोला जाय। – बालिकाओं के लिए कढ़ाई–बुनाई की शिक्षा दी जाय।
53	ग्राम स्तर धर्मपुरा	7.11.2001	अधिकारी अध्यापक समन्वयक जनप्रतिनिधि ग्रामवासी	–अध्यापको की व्यवस्था की जाय। – बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जाय। –कक्षा कक्षो का निर्माण कराया जाय।
54	ग्राम स्तर पंचमपुर	8.11.2001	अधिकारी अध्यापक समन्वयक जनप्रतिनिधि ग्रामवासी	–कक्षा कक्षो का निर्माण कराया जाय। –अध्यापको की व्यवस्था की जाय। –बालिकाओं के लिए अलग आवासीय स्कूल खोला जाय। –बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जाय।

55	जाखलौन	1.10.2001	जामुनधाना	1. स0बे0शि0 अधिकारी 2. ग्राम प्रधान 3. सदस्य शिक्षासमिति 4. प्रधानाध्यापक 5. स0अध्यापक 6. अन्य ग्रामवासी	1. पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोला जाना। 2. ई0सी0सी0 केन्द्र हेतु धन स्वीकृत करना। 3. प्रा0 विद्यालय में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण। 4. प्रत्येक कक्षा में अध्यापक की अनिवार्यता। 5. विद्यालय चहारदीवारी व शौचालय युक्त हों।
56	जाखलौन	1.10.2001	देवगढ	1. ग्राम प्रधान 2. उप प्रधान 3. न्याय पंचायत प्रभारी 4. प्रधानाध्यापक 5. सदस्य 6. अन्य ग्रामवासी	1. ग्राम पंचायत में उच्च प्रा0वि0 खोला जाना। 2. उ0 प्रा0 वि0 गढौली में खोला जाना। 3. कुचदों प्रा0वि0 की मरम्मत हेतु धन । 4. दिन में छात्रों को स्वल्पाहार। 5. बच्चों को खेल सामग्री की व्यवस्था करना।

57	जाखलौन	2.10.2001	रमपुरा	1. ग्राम प्रधान 2. पंचायत सदस्य 3. बी0डी0सी0 सदस्य 4. स0बे0शि0अधि0	1. रमपुरा में मोबाइल विद्यालय की आवश्यकता 2. बड़ापुरा मजरा में प्रा0वि0 की मांग। 3. गणेशपुरा में प्रा0वि0 खोलने की मांग। 4. कन्या पू0 माध्यमिक की आवश्यकता।
58	पिपरई	1.10.2001	जमुनिया	1. ग्राम प्रधान 2. सदस्य 3. ग्राम पंचायत सदस्य 4. नेहरू यु0 केन्द्र 5. शिक्षा समिति सदस्य 6. अन्य ग्रामवासी	1. बैठक में शत प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव में ग्राम शिक्षा समिति द्वारा संकल्प 1 पूर्व माध्यमिक विद्यालय का खोला जाना एवं एक मजरे में प्रा0 विद्यालय का खोला जाना एवं प्रा0वि0 चीराकोंडर में वाउण्ड्रीवाल का निर्माण का प्रस्ताव डाला गया
59	पिपरई	01.10.2001	पिपरई	1. ग्राम प्रधान 2. उप प्रधान 3. क्षेत्र पंचायत सदस्य 4. प्रधानाध्यापक 5. अन्य ग्रामवासी	6 से 11 वय वर्ष के सभी छात्रों का नामांकन एवं ठहराव के लिये छात्रों को रूचिकर शिक्षा हेतु टी0एल0एम0 सामग्री द्वारा पढाया जाना। प्रत्येक मजरे में विद्यालय खोलने हेतु प्रस्ताव आना।

60	पिपरई	1.10.2001	कपासी	1. प्रधान 2. उप प्रधान 3. ग्राम पंचायत सदस्य 4. अन्य ग्रामवासी	असेवित बस्ती, सहरिया बस्ती जहॉ खदान का कार्य है वहॉ आवासीय विद्यालय व्यवस्था हो ताकि छात्र छात्रायें परिवेश से निकल कर शिक्षा ग्रहण करें व एक पू0मा0 वि0 की आवश्यकता।
61	पिपरई	2.10.2001	धौर्रा	1. ग्राम प्रधान 2. क्षेत्र पंचायत सदस्य 3. ग्राम पंचायत सदस्य 4. व अन्य ग्रामवासी	1. बैठक में मजरे में प्रा0वि0 खोला जाना। 2. प्रा0वि0 मारौन में वाउण्ड्री का निर्माण होना 3. क0पू0मा0वि0 की स्थापना की जाय। 4. मजरा भड़या वारे में आवासीय विद्यालय।
62	डोंगराकलां	1.10.2001	पटौआ	1. ग्रामवासी	1. ग्राम पटौआ में पू0मा0 वि0 खोला जाय।
63	डोंगराकलां	1.10.2001	हरपुरा	श्रीमती सन्त रानी	1. यहॉ पर प्रा0वि0 नहीं है अतः खोला जाय।
64	डोंगराकलां	1.10.2001	पिपरियाडोंगरा	श्री गजेन्द्र सिंह	पू0मा0वि0 बनाया जाय व पोषाहार आवश्यक
65	डोंगराकलां	1.10.2001	क्योलारी	1. ग्राम प्रधान	प्रा0 विद्यालय व आवासीय विद्यालय की स्थापना

66	डोंगराकलां	1.10.2001	मामदा	श्री बलवन्त सिंह	प्रा0वि0 की स्थापना की जाय
67	डोंगराकलां	1.10.2001	पड़ना	श्री बलवन्त सिंह	शिक्षक मित्र की नियुक्ति की जाय
68	डोंगराकलां	1.10.2001	डोरना	विनोद राजा ग्राम प्रधान	प्रा0 विद्यालय की स्थापना की जाय।
69	डोंगराकलां	1.10.2001	डोंगराकलां	श्रीमती विनोद राजा	अध्यापकों की नियुक्ति की जाय।
70	बिरधा	1.10.2001	मैनवार	1. उप प्रधान	पू0मा0वि0 खोलने की आवश्यकता।
71	बिरधा	1.10.2001	कोकटा	1. प्रधान श्री गंगाराम	प्रा0वि0 की आवश्यकता ।
72	बिरधा	1.10.2001	सिगैपुर	1. उप प्रधान 2. सदस्य श्री रावराजा	1. बच्चों को पोषाहार की व्यवस्था 2. यूनीफार्म बच्चों को निःशुल्क व्यवस्था
73	बिरधा	1.10.2001	कलरव	1. लाखन सिंह प्रधान 2. सदस्य	1. पू0मा0वि0 की स्थापना होना चाहिये। 2. सभी बच्चों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था।
74	बिरधा	1.10.2001	करमरा	1. ग्राम प्रधान 2. ग्राम वासी	1. मजरा राधापुर में प्रा0वि0 खोला जाय। 2. विद्यालय में कमरों का निर्माण कराना।
75	बिरधा	2.10.2001	बिरधा	1. रामदीन ग्राम प्रधान	1. टीचरों की आवासीय व्यवस्था व पोषाहार
76	जीरौन	1.10.2001	बरखेरा	1. ग्राम प्रधान 2. सदस्य 3. अन्य ग्राम वासी	1. नकवाना में प्रा0वि0 की मांग। 2. पू0मा0 वि0 की मांग पिपरिया वंशा में। 3. अनुसूचित जाति छात्रावास की व्यवस्था।

77	जीरौन	1.10.2001	बराखेरा	1. ग्राम वासी	1. पू.मा.वि. व प्रा.वि. की चहारदीवारी की मांग
78	जीरौन	1.10.2001	जीरौन	1. ग्राम प्रधान 2. अध्यक्ष एन0वाई0के0	1. क0प्रा0 वि0 का भवन पूर्ण कराया जाय। 2. चहार दीवारी का निर्माण हो।
79	जीरौन	2.10.2001	मैरतीकलां	1. पूर्व प्रधान 2. ग्राम वासी	1. मैरती कलां में पू0मा0वि0 की मांग। 2. प्रा0 वि0 की चहारदीवारी की मांग
80	सिमरधा पाली	1.10.2001	बन्ट	1. ग्राम प्रधान 2. सदस्यगण 3. बी0डी0 सदस्य	1. अति0 कक्ष की व्यवस्था 2. बच्चों के ठहराव के लिये छात्रावास। 3. शिक्षक मित्र की मांग।
81	सिमरधा पाली	1.10.2001	सिमरधा	1. सदस्य 2. ग्राम वासी	1. बच्चों के लिये नये विद्यालय की मांग। 2. नया विद्यालय व अति0 कक्ष की मांग।
82	सिमरधा पाली	2.10.2001	पाली	1. नगर पंचायत अध्यक्ष 2. वार्ड सदस्य, ग्रामवासी	1. नगर पं0 के हिसाब से और अध्यापकों व शिक्षक मित्र की की मांग ।
83	कल्यानपुरा	2.10.2001	कल्यानपुरा	1. मोती लाल 2. हरीशंकर 3. चन्दादेवी 4. ऊदल सिंह	1. मजरा ढंगा में प्रा0वि0 की स्थापना की जाय। 2. मजरा श्यामपुरा में प्रा0वि0 की मांग। 3. बच्चों के लिए स्वल्पाहार की मांग।

84	खितवांस	1.10.2001	बजर्रा	1. ग्रा0 प्रधान 2. उप प्रधान	1. पूर्व माध्यमिक विद्यालय की मांग 2. आंगनबाड़ी केन्द्र बनाया जाय।
85	खितवांस	1.10.2001	छिल्ला	1. राम सिंह प्रधान 2. सदस्य	1. बच्चों को पोषाहार की व्यवस्था हो। 2. यूनीफार्म की निःशुल्क व्यवस्था हो।
86	खितवांस	1.10.2001	भौरदा	1. ग्राम प्रधान 2. सदस्य 3. ग्राम वासी	1. ग्राम टपरियन में प्रा0वि0 की स्थापना हो। 2. प्रा0वि0 तोर में नये भवन का निर्माण हो। 3. भौरदा में पू0मा0 शि0 केन्द्र खोला जाय।
87	खितवांस	1.10.2001	खजुरिया	1. रामसिंह प्रधान 2. सदस्य 3. ग्राम वासी	1. कन्या प्रा0वि0 की स्थापना हो। 2. पू0मा0वि0 का भवन बनाया जाय। 3. आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जाय।
88	खितवांस	2.10.2001	पटसेमरा	1. भानू सिंह ग्राम प्रधान 2. ग्राम वासी	1. क0प्रा0वि0 एवं पू0मा0वि0 की मांग 2. स्वल्पाहार की मांग।
89	बालाबेहट	2.10.2001	बालाबेहट	1. रचना तोमर 2. कालका प्रसाद 3. अन्य सदस्यगण	1. आवासीय विद्यालय की स्थापना। 2. सभी बच्चों को निःशुल्क यूनीफार्म। रावतयाना में प्रा0वि0 की स्थापना।

90	ब्लाक स्तरीय	3.10.2001	महरौनी	1. ब्लाक प्रमुख 2. ज्येष्ठ प्रमुख 3. सहायक बे0शि0अ0 4. कुछ ग्रामवासी 5. ब्लाक समन्वय	1. बालिका शिक्षा के लिये विद्यालय की मांग। 2. पर्याप्त अध्यापक दिये जायें। 3. जर्जर भवनों की मरम्मत की मांग। 4. नये विद्यालय खोले जायें। 5. बालिकाओं को सिलाई कढाई की मांग।
91	न्यायपंचायत स्तर	2.10.2001	खिरियालटक नजू	1. ग्राम प्रधान 2. एन0पी0आर0सी0 3. ग्राम वासी 4. अध्यापक	1. अध्यापकों की निर्धारित मानक की मांग। 2. खिरियालटकनजू जू0प्रा0वि0 की वा0वाल 3. कन्या जूनियर बालिकाओं के लिये सिलाई मशीनों की मांग।
92	ग्राम स्तर	2.10.2001	पथराई	1. शिवदयाल प्रधान 2. उप प्रधान 3. अधिकारी	1. अम्बेडकर नगर मजरे में विद्याकेन्द्र की मांग व अम्बेडकर नगर में जीर्ण शीर्ण भवन के पुर्ननिर्माण की मांग
93	ग्राम स्तर	1.10.2001	बम्हौरी बहादुर	1. ग्रा0पं0 वि0 अधि0 2. ग्राम प्रधान 3. उपप्रधान 4. सदस्य	1. असौरा एवं टपरियन मजरों में प्राथमिक विद्यालयों की मांग।

94	ग्राम स्तर	2.10.2001	ग्राम सैदपुर	1. ग्रा0पं0वि0अधि0 2. ग्राम प्रधान 3. सदस्य 4. उप प्रधान	1. बालिकाओं के लिये प्रथम जूनियर हाईस्कूल की मांग। 2. बालिकाओं के लिये सिलाई कढाई की व्यवस्था एवं ड्रेस की मांग।
95	पू0मा0वि0 मड़ा0	2.10.2001	मड़ावरा	1. ब्लाक प्रमुख 2. ए0बी0एस0ए0 3. बी0आर0सी0 4. एन0वी0आर0सी0 5. केन्द्रीय प्रधानाध्यापक 6. ग्राम प्रधान	1. मानक के अनुसार विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था की जाये। 2. आवश्यकतानुसार नये प्रा0वि0 तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोले जायें। 3. दूरस्थ स्थानों के लिये शिक्षा मित्र तथा विद्या केन्द्रों की भी आवश्यकता होगी।
96	ब्लाक स्तर	30.9.2001	बार	1. अधिकारी 2. प्रधान 3. अध्यापक 4. अभिवावक 5. न्याय पंचायत सम0	1. अनुसूचित जाति क्षेत्र में अभिवावकों को बालिका शिक्षा हेतु प्रेरित करना। 2. ऐसी बस्तियों में नवीन स्कूल खोले जायें।
97	ग्राम स्तर	30.9.2001	भैलोनी लोध	1. प्रधान अध्यापक व अभिभावक	1. बालिकाओं के लिये कक्षा 5 से आगे के लिये पू0मा0वि0 की मांग।

98	ग्राम स्तर	1.10.2001	गदयाना	1. अधिकारी 2. प्रधान 3. बी0डी0सी0 सदस्य 4. अभिवावक 5. ब्लाक समन्वयक	1. बालिकाओं का ड्रापआउट रोकने के लिये पढाई एवं कढाई बुनाई की शिक्षा 2. पू0मा0वि0 में बच्चों के लिये चाक आदि बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जावे। 3. विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति।
99	ग्राम स्तर	2.10.2001	कैलगुवां	1. अधिकारी 2. प्रधान 3. ब्लाक समन्वयक 4. न्याय पंचायत सम0 5. अभिवावक	1. असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालयों के खोलने की मांग। 2. विद्यालयों में बच्चों को दोपहर का भोजन देने की मांग। 3. बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान।
100	एन0पी0आर0सी0	8.10.2001	बिजरौठा	1. ग्राम प्रधान, अध्यापक 2. बी0डी0सी0सदस्य 3. अभिभावक	1. छात्रों के आधार पर अध्यापकों की मांग। 2. हैण्डपम्प की मांग । 3. फर्नीचर तथा टाट–पट्टी की मांग।
101	एन0पी0आर0सी0	10.10.2001.	वनगुआंकला	1. ग्राम प्रधान , ग्रामवासी 2. बी0डी0सी0 सदस्य 3. एन0पी0आर0सी0 4. बी0आर0सी0 सम0	1. विद्यालय खोलने की मांग। 2. प्रा0वि0 वनगुवांकला का पुर्ननिर्माण। 3. प्रा0वि0फुटेरा में हैण्डपम्प की मांग।

102	ग्राम स्तर	16.10.2001	वलरगुवॉ	1. ग्राम प्रधान 2. ग्राम पंचायत सदस्य 3. एन0पी0आर0सी0 4. ग्रामवासी	1. अध्यापक/शिक्षा मित्र की मांग। 2. बड़े चौबारा में नवीन विद्यालय खोलन की मांग।
103	एन0पी0आर0सी0	21.10.2001	पूराबिरधा	1. ग्राम प्रधान 2. बी0डी0सी0 सदस्य 3. एन0पी0आर0सी0 4. बी0आर0सी0 सम0 5. ग्रामवासी	1. प्रा0वि0 पूराबिरधा के भवन के पुर्ननिर्माण की मांग। 2. प्रा0वि0 पूराबिरधा भाग 2 मे अध्यापकों की मांग।
104	ग्राम स्तर	22.10.2001	बघौरा	1. ग्राम प्रधान 2. अध्यापक 3. ग्रामवासी	1. विद्यालयों में अध्यापको की मांग। 2. नवीन विद्यालय की मांग। 3. साज–सज्जा हेतु सामाग्री की मांग।
105	ग्राम स्तर	29.10.2001	रामपुर	1. ग्राम प्रधान एव बीं0डी0सी0 सदस्य 2. ए0बी0एस0ए0 3. अध्यापक 4. ग्रामवासी	1. विद्यालय की मांग। 2. अध्यापकों/शिक्षा मित्रों की मांग। 3. अतिरिक्त कक्षा–कक्षो की मांग।

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज / विभागों से समन्वय व सहयोग :

प्राथमिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्न विभागों से सुनियोजित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

1– आई0सी0डी0एस0 के साथ समन्वयन :

जिला कार्यक्रम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा स्वैच्छिक संगठनों, स्वास्थ्य कर्मी को सम्मिलित कर जिला संदर्भ समूह व विकास खण्ड संदर्भ समूहों का गठन किया जाता है और निम्नवत आई0सी0डी0एस0 के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है।

अ– आंगनबाड़ी केन्द्रों का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया गया है।

ब– जनपद में ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की स्थापना आंगनबाड़ी के सहयोग से होती है।

स– केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है। आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों पर जिला समन्वयकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है।

द– केन्द्रों के संचालन हेतु ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों को अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।

य– सहायक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।

2– स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वयन :

अ– स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से परिषदीय विद्यालयों को छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है।

ब– चिन्हित रोगी छात्र छात्राओं के अभिवावकों को उपचार हेतु अवगत कराया जाता है।

स– स्वास्थ्य कार्ड का रख रखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता है।

द– स्वास्थ्य परीक्षण के द्वारा विकलांग बच्चों को एसिस किया जाता है कि उनको किस उपकरण की आवश्यकता है।

3– समाज कल्याण विभाग के साथ समन्वयन :

अ– समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों के अनु0 जाति के सभी बच्चों को 300 प्रति छात्र की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु 480 रू0 प्रति दात्र की दर से प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

4– ग्राम पंचायतों से समन्वयन :

अ– ग्राम पंचायतों के माध्यम से नवीन विद्यालय खोलने हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाती है।

ब– ग्राम प्रधानों से नवीन विद्यालयों का निर्माण कराया जाता है। अतिरिक्त कक्षा कक्ष तथा शौचालयों की पेयजल व्यवस्था को सुचारू करने में सहयोग लिया जाता है।

स– विद्यालयों के रख रखाव व वाउण्ड्री आदि के निर्माण में सहयोग दिया जाता है।

5– उ0प्र0 जल निगम यू0पी0 एग्रो से समन्वयन :

इन दोनों विभागों के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिये पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना की जा रही है।

ब्लाक संसाधन केन्द्रों का निर्माण उ0प्र0 जल निगम की निर्माण शाखा के सहयोग से किया जा रहा है।

6– पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वयन :

इन दोनों विभागों के सहयोग से पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को 300 प्रतिछात्र की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। जिससे इसके पठन पाठन व गणवेश की व्यवस्था की जा सके।

7– जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वयन :

शिक्षा उन्नयन हेतु जिला विकास अभिकरण से समन्वय स्थापित कर विद्यालय के भवनों के निर्माण हेतु 40 प्रतिशत जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से प्रदान की जाती है तथा शेष 60 प्रतिशत धनराशि जिला विकास अभिकरण से दी जाती है। जिससे अधिक से विद्यालय भवनों का निर्माण कराकर सम्पूर्ण जनपद को आच्छादित किया जा सके।

8– नेहरू युवा केन्द्रों से समन्वयन :

नेहरू युवा केन्द्र के कार्यकर्ताओं को बी0आर0सी0 सदस्यों के रूप में चयनित किया गया जिन्होंने जनपद में ग्राम शिक्षा समिति का प्रशिक्षण दिया गया।

नेहरू युवा के कार्यकर्ताओं ने स्कूल चलो अभियान को सफल बनाने में सहयोग दिया तथा रैलियों में प्रतिभाग किया।

9– लाइन्स क्लब तथा अन्य स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग :

पी0आर0ए0 तथा पी0एल0ए0 की ट्रेनिंग में सहयोग तथा ठहराव हेतु बैठकें आयोजित की गयी। स्कूल चलो अभियान में बच्चों के छात्रांकन कराने में सहयोग दिया जाता है।

अध्याय– .4

सर्व शिक्षा अभियान : एक नजर में

❖ सर्व शिक्षा अभियान क्या है?

केन्द्र सरकार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षा–1से कक्षा–8 तक)के सार्वभौमीकरण के उद्देश्य से एक स्पष्ट और समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसी कार्यक्रम को " सर्व शिक्षा अभियान " नाम दिया गया है। इस अभियान में नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य अंशदान का अनुपात 85:15 प्रतिशत, दसवीं पंचवर्षीय योजना में अंशदान का अनुपात 75:25 प्रतिशत तथा उससे बाद की अवधि में केन्द्र व राज्य के अंशदान का अनुपात 50:50 प्रतिशत रहेगा।

❖ सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य :–

- प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण।
- बेसिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना।
- ग्रास रूट से जुडी संस्थाओं– पंचायत, बी. ई. सी. , यू. ई. सी., पी. टी. ए. तथा एम. टी. ए. आदि की विद्यालय प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कराना।
- केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय निकायों के मध्य सशक्त और सार्थक गठबंधन। राज्यों को प्राथमिक शिक्षा का अपना विजन विकसित करने का अवसर प्रदान करना ।

❖ सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य :

- 6–14 वय वर्ग के समस्त बच्चों को सन् 2010 ई. तक (आडर लिमिट)
- उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना तथा सामाजिक, क्षेत्रीय एवं लैंगिक विषमताओं को दूर करना।

- ई. सी. सी. ई. के महत्व को देखते हुए वय वर्ग का विस्तार 0–14 करना, आई. सी. डी. एस. के प्रयास को समर्थन देना एवं जहाँ आई. सी. डी. एस. का क्षेत्र नहीं है वहाँ विशेष पूर्व विद्यालयीन सेवा उपलब्ध कराना।
- सन् 2003 ई. तक सभी बच्चों का शिक्षा गारंटी केन्द्रों, बैकल्पिक विद्यालय, वापस विद्यालय चलो शिविरों आदि के माध्यम से शत– प्रतिशत नामांकन।
- सन् 2007 ई. तक कक्षा –5 की शिक्षा सभी बच्चे पूरी करें।
- उक्त सभी बच्चे सन् 2010 ई. तक कक्षा– 8 तक की शिक्षा पूरी करे।
- प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्ता युक्त और संतोषजनक बनाना।
- सन् 2007 ई. तक प्राथमिक स्तर तथा सन् 2010 ई. तक उच्च प्राथमिक स्तर तक सभी सामाजिक विषमताओं एवं लैगिंक पक्षपात को पूरी तरह समाप्त करना।
- सन् 2010 ई. तक सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की शत–प्रतिशत प्राप्ति।

❖ सर्व शिक्षा अभियान की विस्तृत रणनीतियाँ :

- विभिन्न अवयवों के प्रभावी निष्पादन हेतु संस्थागत ढांचे में आवश्यक परिवर्तन।
- कार्यक्रम को सस्टेनेबिल बनाने हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकार के मध्य लम्बी अवधि का अनुबन्ध।
- कार्यक्रम के प्रति समुदाय में उत्तरदायित्व की भावना पैदा करने के लिए प्रभावी विकेन्द्रीकरण।
- संस्थागत दक्षता संवर्धन के लिए नीपा, एन.सी.ई.आर.टी., एन.सी.टी.ई., सीमेट तथा डायट जैसी संस्थाओं का विकास किया जायगा, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और उसमें निरंतरता बनाये रखने में सहयोग मिल सके।
- पूर्ण पारदर्शिता के साथ समुदाय आधारित अनुश्रवण,ई.एम.आई.एस. तथा माइक्रोप्लानिंग के आंकड़ों का मिलान ।
- बस्ती को नियोजन की इकाई बनाना।

- बालिका शिक्षा (विशेषकर अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक) को विशेष प्राथमिकता।
- विशेष समूह यथा–घुमन्तू जाति,झुग्गी झोपड़ी, अपवंचित,जरायम पेशा जातियां तथा विकलांग बच्चों पर विशेष ध्यान।
- गुणात्मक शिक्षा पर बल । इसके लिए उपयोगी प्रासंगिक पाठ्यक्रम निर्माण तथा बाल केन्द्रित, प्रभावी शिक्षण अधिगम क्रियायें सम्पादित की जायेंगी।
- अध्यापक की भूमिका पर विशेष बल।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा के परिदृश्यों में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाला कदम साबित होगा। ललितपुर जनपद के लिए उक्त लक्ष्यों को ग्राह्य करने के साथ साथ अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ अतिरिक्त लक्ष्य भी निर्धारित किए गये हैं। ये लक्ष्य इस प्रकार हैं :–

नामांकन के लक्ष्यः–

वर्ष 2001 की जनसंख्या के आंकड़े जनपद में प्राप्त हो गये हैं। जनगणना वर्ष 1991 की जनगणना के ऑकड़ों को आधार मानते हुए विगत 10 वर्षों में जनपद में जनसंख्या में हुई वृद्धि के आधार पर नीपा नई दिल्ली के माड्यूल में वर्णित कम्पाउन्ड रेट आफ ग्रोथ मेथड से जनपद की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात की गई। जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2 प्रतिशत है। इसी वृद्धि को आधार मानते हुये जनपद के वर्ष 2007 तक की जनपद की कुल जनसंख्या की गणना की गई है। जनपद के आयु वर्गवार जनसंख्या के आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः 2002 से आगे की जनसंख्या ज्ञात करने के लिये 6–11 वय वर्ग की संख्या में 14.9 प्रतिशत की वृद्धि तथा 11–14 वय वर्ग की जनसंख्या ज्ञात करने के लिये 6.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुपात लिया गया है।

नामांकन के प्रक्षेपण हेतु वर्तमान एन0ई0आर0 को आधार मानते हुये 2001 से 2007 तक का जी0ई0आर0 प्रक्षेपित किया गया है। एन0ई0आर0का लक्ष्य 100

प्रतिशत रखा गया है। वर्ष 2003 तक 6–11 वय वर्ग का तथा वर्ष 2007 तक 11–14 वय वर्ग का शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2001 से 2007 तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की 6–11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या व नामांकन तथा 11–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या व नामांकन निम्नवत है।

सारिणी – 4.1

प्राथमिक विद्यालय

क्रम सं0	वर्ष	6–11 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	मान्यता / गैर मान्यता प्राप्त नामांकित बच्चे	परिषदीय नामांकित बच्चों की सख्या	जो बच्चे विद्यालय में नहीं जा रहे है (वर्षवार)	एन0 ई0 आर0	बलिका + अनु0 जाति बालक का प्रतिशत (परिषदीय)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2001–2002	152716	146502	28172	118330	6214	96	0
2	2002–2003	155770	151097	28735	122362	4673	97	81982
3	2003–2004	158886	158886	29310	129576	0	98	84687
4	2004–2005	162063	162063	29896	132167	0	100	88552
5	2005–2006	165305	165305	30494	134810	0	100	90323
6	2006–2007	168611	168611	31104	137507	0	100	92129

सारणी – 4.2

उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्रम सं0	वर्ष	11–14 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चो की संख्या	मान्यता / गैर मान्यता प्राप्त नामांकित बच्चे	परिषदीय में नामांकित बच्चे	जो बच्चे विद्यालय में नही जा रहे है (वर्षवार)	एन0 ई0 आर 0	बलिका + अनु0 जाति बालक का प्रतिशत (परिषदीय)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2001–2002	54920	38941	2739	36202	15979	71	24255
2	2002–2003	56018	42574	2794	39780	13444	76	26653
3	2003–2004	57139	51425	2850	54289	0	90	32545
4	2004–2005	58282	58282	2907	55375	0	100	37101
5	2005–2006	59447	59477	2965	56482	0	100	37843
6	2006–2007	60636	60636	3024	57612	0	100	39372

प्लान तैयार करने के पूर्व जो डोर–टू–डोर सर्वे कराया गया इससे जो आंकड़े प्राप्त हुए उनके अनुसार 11–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या में अन्तर आया है।

ठहराव के लक्ष्य :–

वर्ष 2000–01 में ई0एम0आई0एस0 के ऑकड़ों की कोहर्ट स्टडी के अनुसार जनपद की ड्राप आउट दर 33.8 प्रतिशत थी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 और पूर्व माध्यमिक स्तर पर वर्ष 2010 तक शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य प्रस्तुत प्लान में निर्धारित किया गया है। अतः जनपद ललितपुर में ड्राप आउट की दर कम करने हेतु निम्न प्रकार से लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर	उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर
2000–01	33.8	16.9
2001–02	30	14
2002–03	26	12
2003–04	21	9
2004–05	14	7
2005–06	9	4
2006–07	0	0
2007–08	0	0
2008–09	0	0
2009–10	0	0

सर्व शिक्षा अभियान की कियान्वयन अवधि के दौरान जनपद में ड्राप आउट की दर में कमी के निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हुई प्रगति की समीक्षा निरन्तर की जायेगी। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के ड्राप आउट की दर को ज्ञात करने के लिये प्रत्येक दो वर्ष में अलग–अलग कोहार्ट स्टडी करायी जायेगी, जिससे प्रगति का वास्तविक आकलन हो सके।

अध्याय–5

समस्यायें एवं समाधान की रणनीति

सर्व शिक्षा अभियान की शतप्रतिशत सफलता के उद्देश्य से ललितपुर जनपद मे विभिन्न स्तरों पर व्यापक फोकस ग्रुप डिस्कशन कराया गया इस विचार विनिमय में प्राप्त निष्कर्षों के गहन विशलेषण के उपरान्त उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर एक यथा संभव व्यवहारिक रणनीति तैयार की गयी है। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षा मे बाधक बनने वाले सभी कारकों को समाप्त कर प्रत्येक बच्चे एवं अभिभावक मे स्कूल के प्रति आकर्षण तथा शिक्षा के प्रति जिजीविषा उत्पन्न की जाय। इस रणनीति में अध्यापकों की पर्याप्त उपलब्धता, शाला भवनों की पर्याप्त उपलब्धता (जीर्ण–शीर्ण भवनों की मरम्मत व आवश्यकता अनुसार नये भवनों का निर्माण) विद्यालयों मे पेयजल एवं शौचालयों की समुचित व्यवस्था फर्नीचर टाट–पट्टी इत्यादि सभी बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था आदि पर विशेष ध्यान दिया गया है। रेखांकित की गयी प्रमुख समस्यायें एवं उनके समाधान की रणनीति इस प्रकार है।

1– समस्या : आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन

आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के ज्यादातर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के प्रति उत्साह नही दिखाते। अगर स्कूल में दाखिला भी दिलाते हैं तो उन्हे नियमितरूप से स्कूल न भेजकर घर के कामकाज मे लगा लेते हैं।

रणनीति : विभिन्न शासकीय व सामाजिक इकाइयों के माध्यम से प्रत्येक अभिभावक से सम्पर्क कर उनमें शिक्षा के प्रति चेतना जाग्रत की जायेगी। नुक्कड नाटकों, फिल्म प्रदर्शन, पोस्टर, चित्र, हैण्डबिल आदि के माध्यम से उन्हे यह बताया जायेगा कि परिवार की आर्थिक व सामाजिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए घर के प्रत्येक बच्चे का शिक्षित होना जरूरी है। उन्हे यह

भी समझाया जायेगा कि बच्चे को पढ़ाने में उनकी आर्थिक या सामाजिक़ स्थिति के कारण किसी भी तरह की कोई अड़चन नही आने वाली।

2– समस्या : पढ़–लिखकर होगा क्या ?

पढ़–लिखकर होगा क्या ? यह सवाल आज भी ज्यादातर अभिभावकों के लिए अनुत्तरित है। एक ग्रामीण का कहना था कि कलेक्टर तो हमारे लड़के को बनना नहीं है। फिर किताबों में सिर खपाने से क्या फायदा ? अर्थात शिक्षा की सार्थकता और उपयोगिता को लेकर उनके मन में कोई स्पष्ट अवधारणा नहीं है।

रणनीति : यह मानसिकता इस कारण निर्मित हुई है कि मैकाले की क्लर्क जननी शिक्षा प्रणाली ने पढ़ने का एक मात्र उद्देश्य नौकरी हासिल करना बना दिया था। अभिभावकों को इस तथ्य से अवगत कराना होगा कि अब बच्चों को पढ़ाई के साथ ही साथ स्वावलम्बी भी बनाया जा रहा है। वे स्वयं करके सीखेंगे और जो करेंगे उसका फल भी पायेंगे। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में बागवानी, फल संरक्षण, लकड़ी का काम, बालिकाओं को सिलाई–कढ़ाई, बुनाई आदि का प्रशिक्षण तथा ललितपुर व अन्य नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों में पेंटिग, मेंहदी, ब्यूटीपार्लर, जूट व कपड़ों की वस्तुओं का निर्माण तथा ऐसे ही अन्य कार्यों का प्रशिक्षण दिया जायगा ताकि विद्यार्थी अध्ययन के साथ–साथ अर्जन भी कर सकें। इसके लिए आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध कराये जायेंगे। ऐसा होने से अभिभावकों के मन में शिक्षा के प्रति निश्चित रूप से उत्साह जाग्रत होगा।

3– समस्या : पेयजल व शौचालयों की समुचित व्यवस्था न होना

अक्सर यह देखा गया है कि पेयजल व शौचालयों की समुचित व्यवस्था न होने के कारण स्कूल जाने वाले बच्चे भी छुट्टी होने से पहले ही घर भाग जाते हैं।

रणनीति : यह तय किया गया हैं कि ललितपुर जनपद के प्रत्येक विद्यालय में शासकीय आवंटन एवं जनता के सहयोग से शुद्ध पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था अपरिहार्यरूप से की जायेगी ।

4– समस्या : कक्षा–कक्षों एवं अध्यापकों की कमी

कक्षा–कक्षों एवं अध्यापकों की कमी के कारण कई बार दो या दो से अधिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को एक साथ बिठा दिया जाता है। ऐसी संयुक्त कक्षाओं में पढ़ाई तो हो ही नहीं पाती, उल्टे स्कूल व शिक्षा के प्रति बच्चों के मन में अरुचि उत्पन्न होने लगती है।

समाधान : यथा सम्भव किसी भी स्थिति में संयुक्त कक्षा नही लगायी जायेंगी। जिन विद्यालयों में कक्षा–कक्षों का अभाव है वहां निर्धारित समयसीमा के भीतर नवीन कक्षा–कक्षों का निर्माण कराया जायेगा। जहॉ पर्याप्त शिक्षक नहीं है वहां यथाशीध्र रिक्त स्थानों की पूर्ति की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार नवीन पद सृजित किये जायेंगे। आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों का उपयोग भी किया जायेगा।

5– समस्या : पूर्णरूप से वैज्ञानिक व रुचिपूर्ण शिक्षा का न होना।

जो बच्चे विद्यालय जाते हैं उनमें से अनेक को यह बड़ा ही अप्रिय कार्य लगता है। ऐसी स्थिति में शनैः–शनैः वे विद्यालय न जाने के बहाने खोजने लगते है।

रणनीति : बच्चों में इस अरुचि को दूर करने के लिए विद्यालय में खेल–खेल में मनोरंजन के साथ वैज्ञानिक शिक्षा का वातावरण निर्मित किया जायेगा। वैज्ञानिक शिक्षा के समय–चक्र में आओ जादू सीखें जैसे शीर्षकों से बच्चों को वैज्ञानिक प्रकियाओं के बारे में समझाया जायेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों (नाटक, कविता पाठ आदि) व सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों को सम–सामायिक घटनाओं तथा क्षेत्र, प्रदेश और देश से सम्बन्धित प्रमुख जानकारियों से अवगत कराया जायेगा। कलात्मक क्रिया–कलापों के माध्यम से बच्चों में स्वयं करके सीखने का उत्साह पैदा किया जायेगा।

6– समस्या : गरीबी के कारण मजदूरी में लिप्त होना

क्षेत्र के कई गरीब परिवार विशेषकर सहरिया अनुसूचित जाति के सदस्य उदरपूर्ति के लिए मजदूरी (फसल कटाई आदि) करने हेतु समूह बनाकर

तीन–चार महीने के लिए अन्य स्थानों पर चले जातें हैं। ऐसे में उनके स्कूल जाने वाले बच्चे भी उनके साथ जाते हैं। इस अवधि में उनकी पढ़ाई बिलकुल ठप्प हो जाती है।

रणनीति : अपने परिवारों के साथ कुछ महीनों के लिए पलायन करने वाले इन बच्चों की शिक्षा का तारतम्य भंग न हो इसके लिए सचल विद्यालय चलाया जायेगा।

इस हेतु उसी समुदाय के किसी शिक्षित युवक/युवती को शिक्षा–मित्र के रूप में ऐसे समूह के साथ भेजा जायेगा। परिवार के बड़े लोग जब मजदूरी पर जायेंगे तब यह सचल विद्यालय बच्चों की शिक्षा का सिलसिला जारी रखेगा।

7–समस्या : शिशुओं की देखभाल का दायित्व

परिवार के बड़े सदस्य जब काम पर चले जाते हैं तो शिशुओं की देखभाल का दायित्व पढ़ने योग्य बच्चों पर आ जाता है, जिससे वे स्कूल नहीं जा पाते।

रणनीति : इस समस्या को दूर करने के लिए प्रयोग के तौर पर प्रत्येक ब्लाक में 25 ऑगनवाड़ी केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालय परिसर में ही संचालित किया गया। इससे वे बच्चे जो छोटे भाई–बहनों की देखभाल करने के कारण स्कूल नहीं जा पाते थे, वे इन बच्चों को स्कूल में संचालित ऑगनवाड़ी केन्द्रों में छोड़कर अपनी कक्षा में जाने लगे। यह तय किया गया है कि अब क्षेत्र के सभी ऑगनवाड़ी केन्द्रों को विद्यालय परिसर में ही संचालित किया जायेगा।

8– समस्या : पिछड़ी जातियों में बाल–विवाह की परम्परा

क्षेत्र की पिछड़ी जातियों में बाल–विवाह की परम्परा के कारण इन जातियों की बच्चियॉ गृहस्थी के काम में फंस जाने और शर्म के कारण विवाह के बाद स्कूल जाना बन्द कर देती हैं।

रणनीति : इस स्थिति को खत्म करने के लिए विभिन्न माध्यमों से अभिभावकों को बाल–विवाह से होने वाली हानियों के बारे में तो बताया ही जायेगा तब तक विवाहित बच्चियों की शिक्षा में बाधा उत्पन्न न हो इसके लिए

उक्त क्षेत्रों में महिला शिक्षकों का अनुपात बढ़ाया जायेगा। ऐसी बच्चियों के लिए पृथक कक्षायें लगाकर महिला शिक्षकों को अध्यापन के लिए नियुक्त जायेगा।

9– समस्या : शिक्षक की कार्य के प्रति उदासीनता

कई गॉवों में यह पाया गया कि शिक्षक की उदासीनता, अप्रभावशाली व्यक्तित्व एवं व्यवहार कुशलता की कमी के कारण भी बच्चे विद्यालय से विमुख होने लगते हैं।

रणनीति : शिक्षकों को उनके कार्य की महत्ता समझाकर अपने दायित्व को उत्साहपूर्वक निभाने तथा अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जायेगा। शिक्षक अपनी अध्यापन शैली को दिलचस्प और रोचक कैसे बनायें इसके लिए कार्यशालांए आयोजित की जायेंगी। विषय से सम्बन्धित पाठ्यक्रमेत्तर सामाग्री के अधिकाधिक उपयोग को भी प्रोत्साहित किसा जायेगा।

10– समस्या : शिक्षणेत्तर गतिविधियों में शिक्षकों का उपयोग

अध्यापकों से समूहगत और व्यक्तिगत चर्चा में यह तथ्य भी उभरकर सामने आया कि शिक्षणेत्तर गतिविधियों में शिक्षकों का उपयोग किए जाने से विद्यालय का समयचक्र तो प्रभावित होता ही है इसके अलावा अपने मूल दायित्व के प्रति शिक्षकों का मनोबल भी हतोत्साहित होता है।

रणनीति : सक्षम प्राधिकारियों के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जब तक बिलकुल अपरिहार्य न हो, तब तक शिक्षणेत्तर गतिविधियों में शिक्षकों का उपयोग न किया जाये। ऐसा होने से शिक्षकों को पर्याप्त समय मिल सकेगा और शैक्षणिक कार्य निर्धारित समयचक्र के अनुसार सम्पादित किया जा सकेगा । कक्षा के समस्त विद्यार्थियों का समय–समय पर मूल्यांकन कर उनकी प्रगति का आंकलन किया जायेगा तथा इसके लिए अध्यापकों की व्यक्तिगत जबाबदेही सुनिश्चित की जायेगी। इस कसौटी पर खरे उतरने वाले शिक्षकों को पुरस्कार,प्रमाण–पत्र आदि के माध्यम से प्रोत्साहित किया जायेगा तथा अपने दायित्व के प्रति उदासीनता दिखाने वाले शिक्षकों को दंडित किया जायेगा।

11– समस्या : आदर्श अनुपात में शिक्षकों की व्यवस्था न होना

क्षेत्र के कुछ विद्यालयों में आदर्श अनुपात में शिक्षकों की व्यवस्था न होने से अध्यापन कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ।

रणनीति : प्रत्येक विद्यालय में 40:01 के अनुपात में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। इसके लिए ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से शिक्षकों तथा शिक्षा–मित्रों की व्यवस्था की जायेगी। पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार अध्यापक नियुक्त किये जायेंगे। जहॉ पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के साथ प्राथमिक विद्यालय भी संचालित हो रहे हैं वहॉ सम्पूर्ण व्यवस्था की देख–रेख पूर्व माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक ही करेगा।

12– समस्या : संसाधनों का अभाव

विद्यालय का वातावरण सकारात्मक तथा उत्साहवर्धक न होने, आवश्यक संसाधनों के अभाव तथा विद्यार्थियों से समुचित संवाद न होने की स्थिति भी विद्यालयों में छात्र–संख्या कम होने का एक प्रमुख कारण है।

रणनीति : कार्यशालाओं,प्रशिक्षण व पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से प्रत्येक शिक्षक को यह स्पष्ट किया जायेगा कि प्राथमिक कक्षाओ में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय उन्हे विद्वान बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उनमें स्कूल के प्रति उत्साह और लालसा पैदा की जाय। इसके लिए बच्चों के समूह बनाकर शिक्षण कार्य कराने, सहायक शिक्षण सामाग्री तैयार करते समय बच्चों की सक्रिय हिस्सेदारी सुनिश्चित करना खेलकूद प्रत्येक विद्यार्थी की भागीदारी अनिवार्य बनाना, सांस्कतिक कार्यकमों व ज्ञानवर्धक प्रतियोगिताओं के आयोजन व संचालन का दायित्व विद्यार्थियों को ही सौंपना, विद्यार्थियों के अपने परिवशय से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित करवाना व कक्षा में उसकी प्रस्तुति करवाना, समय–समय पर विविध स्पर्धायें आयोजित कर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पुरस्कृत करना तथा ऐसे ही विविध कार्यकम आयोजित कर विद्यालय में ऐसे परिवारिक और उत्साहपूर्ण वातावरण का निर्माण किया जायेगा कि विद्यालय का समय होते ही विद्यार्थी के

कदम खुद–ब–खुद स्कूल की ओर उठने लगे। बच्चों को स्कूल में ऐसा माहौल दिया जायेगा कि उन्हे अपने सम्पूर्ण दिवस का सबसे सार्थक समय वही लगे जो उन्हांने स्कूल मे बिताया है।

13–समस्या : गणवेश के प्रति जागरूक न होना।

ग्रामीण क्षेत्र के अनेक विद्यालयों में यह पाया गया है कि विद्यार्थी अपने गणवेश के प्रति तनिक भी जागरूक नहीं होते। कई बार तो वो रात को जो कपडे पहनकर सोते हैं सुबह उठकर उन्ही कपड़ों में स्कूल चले आतें हैं । ऐसी स्थिति में पढ़ाई के लिए वांछित मनोदशा बन पाना संभव ही नहीं है।

रणनीति : क्षेत्र के सभी विद्यालयों के लिए एक जैसा गणवेश निर्धारित किया जायेगा इससे सामाजिक समरसता की भावना तो बलवती होगी ही, साथ ही विद्यालय आने वाले बच्चे की मनोदशा भी अध्ययन के अनुकूल होगी। प्रत्येक विद्यालय के शिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वच्छ रहना गणवेश साफ रखना, बाल एवं नाखूनों का नियमित कर्तन जैसी आदतें उनके विद्यार्थियों के चरित्र का अपरिहार्य हिस्सा बन जायें।

जो गरीब अभिभावक गणवेश की व्यवस्था नही कर सकते उन विद्यार्थियों के लिए गणवेश की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

14– समस्या : गरीब छात्रों के पास पाठ्य पुस्तकें,कापियां न होना।

गरीब छात्रों के पास पाठ्य पुस्तकें, कापियां आदि न होने के कारण धीरे–धीरे उनके मन में हीन भावना घर करने लगती है और वे स्कूल आने से कतराने लगते हैं।

रणनीति : यह दायित्व शिक्षकों का होगा कि वे ऐसे समस्त छात्रों की सूची बनायें। आठवीं कक्षा तक के ऐसे समस्त निर्धन छात्रों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेंगी।

15– समस्या : अध्यापकों और अभिभावकों के बीच परस्पर समन्वय न होना।

अध्यापकों और अभिभावकों के बीच परस्पर समन्वय न होने और नियमित संवाद न होने के कारण अभिभावकों को अपने बच्चे की शैक्षिक स्थिति की जानकारी ही नही रहती। अध्यापक, अभिभावक की अपेक्षा से अनभिज्ञ रहते है, अभिभावक को यह पता ही नही रहता कि उनके बच्चे के बारे में अध्यापक का आकलन क्या है, और छात्र की क्या समस्या है इसका पता न अध्यापक को रहता है और न ही अभिभावक को।

रणनीति : अध्यापक, अभिभावक और विद्यार्थियों के बीच नियमित संवाद बनाने के लिए प्रत्येक तिमाही में अध्यापक,अभिभावक सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे। ऐसे सम्मेलनों में महिलाओं तथा पिछड़े वर्ग के लिए अधिकाधिक अभिभावकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी। यह प्रयत्न किया जायेगा कि प्रत्येक छात्र का कोई न कोई अभिभावक सम्मेलन में अवश्य आये। इन सम्मेलन में आये अभिभावकों की अपेक्षाओं और समस्याओं को सूचीबद्ध कर उनके निदान की पहल की जायेगी। यह प्रयास भी किया जायेगा कि ऐसे सम्मेलनों में कोई वरिष्ठ अधिकारी नियमितरूप से उपस्थित रहे । इस अवसर पर अभिभावकों के लिए जलपान की व्यवस्था भी की जायेगी।

16–समस्या : सतत मूल्यांकन और योग्यता परीक्षण की नियमित प्रकिया का अभाव।

विद्यालयों में सतत मूल्यांकन और योग्यता परीक्षण की कोई नियमित प्रकिया न होने से विद्यार्थियों में किसी निश्चित समय सीमा में कोई निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धात्मक भावना का सर्वथा अभाव पाया गया।

रणनीति : प्रत्येक विद्यालय में मासिक परीक्षण की प्रकिया प्रारम्भ की जायेगी। इसके अतिरिक्त त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षायें भी आयोजित की जायेंगी। विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक कक्षा में मासिक परीक्षण में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों

के नाम सूचना पटल पर लगाये जायेंगे तथा प्रार्थना के समय उन्हे अलग से बुलाकर शाबासी दी जायेगी। अर्द्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा में कक्षा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सम्मानित कराया जायेगा।

17–समस्या : विद्यालय के अन्य कार्यो में व्यस्तता।

यह देखने में आया है कि कई बार शिक्षक विद्यालय से सम्बन्धित ऐसे कार्यो में व्यस्त हो जाता है जिनका अध्यापन से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता। कुछ तो इन कार्यों की व्यस्तता और कुछ इन कार्यो के बहाने शिक्षक कक्षा से अनुपस्थित हो जाता है। इससे पढ़ाई का तारतम्य तो टूटता है, शिक्षकों में भी अपने विषय के प्रति उदासीनता परिलक्षित होने लगती है।

रणनीति : यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षक को शिक्षणेत्तर विभागीय कार्यों में अधिक समय न देना पड़े। सूचनाओं के संकलन तथा अन्य कार्यों में ऐसे शिक्षण कर्मियों को लगाया जायेगा जिनका कक्षा–अध्यापक से सीधा सम्बन्ध नहीं है। शिक्षणेत्तर कार्यों के लिए एक पृथक लिपिकीय तंत्र विकसित किया जायेगा ।

18–समस्या : सभी विद्यालयों का नियमित निरीक्षण न होना ।

ऐसा देखा गया है कि विद्यालयों का नियमित निरीक्षण न होने से भी अध्यापकों में अपने कार्य के प्रति उदासीनता आती है। अध्यापन को एक चुनौतीपूर्ण उत्तरदायित्व मानने के बजाय महज एक नौकरी मानने की मानसिकता के चलते भी शिक्षक अपने विद्यार्थियों पर अपनी पर्याप्त ऊर्जा खर्च नहीं करते।

रणनीति : जनपद के सभी विद्यालयों के निरीक्षण का एक विस्तृत कार्यकम इस प्रकार तैयार किया जायेगा कि प्रत्येक विद्यालय का माह में कम से कम एक बार अवश्य निरीक्षण हो। इसके लिए एन0पी0आर0सी0 तथा बी0आर0सी0 के समन्वयक, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, डायट अभिकर्मी तथा शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों के परस्पर तालमेल से निरीक्षण की रूपरेखा व मानदण्ड तय किये जायेंगे।

इसी कम में शिक्षकों को नौकरी वाली मानसिकता से निजात दिलाने तथा अपने दायित्व की गरिमा और महत्व को समझाना और उसे भरपूर उत्साह के साथ निभाने के लिए प्रेरित किया जायेगा। इसके लिए प्रथम चरण में प्रशिक्षण कार्यकम व कार्यशालायें आयोजित की जायेंगी तथा द्वितीय चरण में उनकी कार्य दक्षता के आकलन के लिए उनकी विषय वस्तु पर आधारित प्रतियोंगितायें आयोजित कर बेहतर परिणाम देने वाले शिक्षकों को सार्वजनिकरूप से सम्मानित किया जायेगा।

19–समस्या : विकलांग बच्चों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार

प्रायः यह देखा गया है कि विकलांग बच्चे एक तो अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण और दूसरे सहपाठियों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार से पढ़ाई के प्रति विमुख होने लगते हैं।

रणनीति : सम्पूर्ण जनपद में विकलांग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का सर्वेक्षण करवाकर उनकी सूची तैयार की जायेगी। ऐसे शत–प्रतिशत बच्चों को विद्यालय तक लाने के लिए परिणामोन्मुखी कदम उठाये जायेंगे। ऐसे बच्चों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित विभागीय कार्यवाही की जायेगी। शिक्षकों द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि कोई भी विद्यार्थी अपने विकलांग सहपाठी से ऐसा व्यवहार न करे जिससे उसके मन को ठेस पहुँचे। इसके अलावा विकलांग बच्चों के लिए विविध प्रतियोगिताएं अयोजित कर उनके मन में जीवन एवं शिक्षा के प्रति उत्याह का संचार किया जायेगा।

20–समस्या : बाल मजदूरी के कारण विद्यालय ना जा पाना।

पर्याप्त कानूनी प्रावधानों के बावजूद ललितपुर जनपद में पिछड़ी जातियों,जनजातियों एवं निर्धन वर्ग के अनेक बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं। यह बाल श्रमिक प्रारम्भ मे चाहते हूए भी स्कूल का मुँह नही देख पाते और धीरे–धीरे शिक्षा के प्रति उनका रुझान ही खत्म हो जाता है।

रणनीति : श्रम विभाग के सहयोग से ऐसे बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण करवाकार उन्हे सूचीबद्ध किया जायेगा। ऐसे बच्चों के अभिभावकों से

सम्पर्क कर उन्हे शिक्षा के महत्व से अवगत कराया जायेगा तथा उन्हे यह भी समझाया जायेगा कि विद्यालय में रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्राप्त करने पर उनका बच्चा वर्तमान की तुलना में कई गुना अधिक अर्जन तो करेगा ही साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त करेगा। ऐसे वच्चों को उनकी मानसिक योग्यता क अनुसार शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।

21–समस्या : सहज पहुँच में कोई विद्यालय का न होना।

कई बार बच्चे मात्र इसलिए शिक्षा से बंचित रह जाते हैं। कि उनकी सहज पहुँच में कोई विद्यालय नहीं होता।

रणनीति : यह तय किया गया है कि 300 की आबादी वाले सभी ग्रामों तथा बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। प्रत्येक डेढ किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय अनिवार्य रूप से होगा। एक प्रस्ताव यह भी है कि शिक्षा गारंटी योजना के अन्तर्गत जो विद्या केन्द्र चलाए जा रहे हैं, उन्हें प्राथमिक विद्यालय का स्वरूप प्रदान किया जाए तथा विद्या केन्द्र के प्रत्येक आचार्य को शिक्षा मित्र बना दिया जाये।

22–समस्या : विद्यार्थियों का नियमित रूप से विद्यालय न जाना ।

यह भी देखा गया है कि प्रारम्भिक प्रयासों से विद्यार्थियों को नामाकिंत तो कर लिया जाता है किन्तु वे नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते हैं।

रणनीति : यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक नामांकित छात्र नियमित रूप से विद्यालय आयें। इसके लिए जो छात्र विद्यालय नहीं आरहे हैं, उनकी सूची तैयार कर उनके अभिभावकों से सम्पर्क किया जायेगा तथा उन्हें अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने के लिए प्रेरित किया जायेगा।

23–समस्या : अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव

ग्रामीणों और अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव सबको शिक्षित बनाने के अभियान में सबसे बडी बाधा है।

रणनीति : अभिभवकों और ग्रामीणों को चलचित्र प्रदर्शन, नुक्कड–नाटक, पोस्टर, सभाओं समूह चर्चाओं आदि के माध्यम से यह समझाया

जायेगा कि आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक रूप से शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति में कितना अन्तर होता है। समय के साथ–साथ चलने, स्वयं को समृद्ध और खुशहाल बनाने तथा दुनियाभर में तेजी से हो रहे परिवर्तनों को जानने के लिए शिक्षित होना अपरिहार्य आवश्यकता है। जनचेतना बढ़ाने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने के कार्यक्रम तैयार किये जायेगें। विद्यालयों में शिक्षा की स्थिति पर परिचर्चायें आदि आयोजित कर ग्रामीणों से मार्गदर्शन प्राप्त किया जायेगा। उनके मन में यह भाव पैदा किया जायेगा कि उनके गांव का स्कूल और उसके बच्चे केवल शिक्षा विभाग या सरकार की ही नहीं बल्कि उनकी भी जिम्मेदारी है।

24–समस्या : शिक्षा के प्रति उत्साह का न होना।

शिक्षा के प्रसार में सबसे बडी बाधा यथास्थितिवाद है। कोई भी नयी योजना आरम्भ होने पर कुछ समय तक तो उत्साह नजर आता है फिर सब कुछ कागजों तक स्थित रह जाता है।

रणनीति : सर्व शिक्षा अभियान का यह हश्र न हो, इस लिए ललितपुर जनपद में कार्यक्रम के क्रियान्वयन और आकलन की ऐसी रूपरेखा तैयार की गयी है। कि किसी भी स्तर पर तनिक सी भी ढिलायी दृष्टिगोचर होते ही उसे तत्काल दूर किया जा सके। इसमें विभागीय अधिकारियों, ग्राम पंचायतों, अभिभावकों तथा जनप्रतिनिधियों की व्यापक भूमिका सुनिश्चित की गई है।

प्रथम दृष्टि में ही दृष्टिगत हुईं उक्त समस्याओं के अतिरिक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान जो समस्यायें सामने आयेगीं उनके लिए तदनरूप रणनीति तैयार की जायेगी।

अध्याय – 6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार (1)

सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने की पहली शर्त यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यालय पहुंचने के लिये किसी भी स्थिति में डेढ़ किमी0से अधिक की दूरी तय न करना पड़े। इस मार्ग में नदी नाले, जैसे अवरोधक न हों यह ध्यान रखा जाना भी जरूरी है। ललितपुर जनपद के शैक्षिक परिदृश्य का सर्वेक्षण करने पर जिन क्षेत्रों में नये विद्यालयों की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई उनका स्वरूप निम्नवत रहेगा।

प्राथमिक स्तर पर नवीन विद्यालयों की आवश्यकता :

ललितपुर जनपद में किये गये सर्वेक्षण में 194 ऐसी असेवित बस्तियों चिन्हित की गई जहाँ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मानदण्ड के अनुसार प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जा सकती थी। इन बस्तियों में विद्यालय खोलने के लिए सूक्ष्म–नियोजन, स्कूल–मानचित्रण तथा भौगोलिक एवं अन्य दृष्टियों से अध्ययन करने के बाद यह पाया गया कि सभी बस्तियों के बच्चों को डेढ़ किमी0 की परिधि में विद्यालय उपलब्ध कराने के लिये नगरीय क्षेत्र में 4 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 82 नये प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता थी। यह विद्यालय सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 में खोल लिए जायेंगे।

उच्च प्राथमिक स्तर पर नवीन विद्यालयों की आवश्यकता:

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार प्रति दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाना है। ललितपुर जनपद में वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में 726 तथा नगरीय क्षेत्र में 28 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। नवीन प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय खुल जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में इनकी संख्या 891 तथा नगरीय क्षेत्र में 32 हो जायेगी। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में 204 तथा नगरीय क्षेत्र में 04 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। भौगोलिक व अन्य

परिस्थितियों तथा विभागीय मानक के अनुसार वास्तविक आवश्यकता नगरीय क्षेत्र में 03 व ग्रामीण क्षेत्र में 64 विद्यालयों की है। इसे निम्न तालिका से समझा जा सकता है।

सारणी 6.1

	ग्रामीण	नगरीय
वर्तमान प्राथमिक विद्यालय	726	28
नवीन प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय	82	04
वर्तमान में उपलब्ध उ0प्रा0वि0	204	04
वास्तविक आवश्यकता उ0प्रा0विद्यालय	64	03

स्रोत : कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

वर्ष 2003–04 में 86 नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा 67 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने है उपरोक्त प्रस्तावित नवीन विद्यालयों के प्रारम्भ होते ही जनपद के सभी मलिन/असेवित बस्तियों के बच्चों को विद्यालय सुलभ हो जायेंगे। इन विद्यालयों को यथाशीघ्र खोलने का प्रयास किया जायेगा।

जनपद में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय निम्न समय–सारणी के अनुसार खोले जायेंगे।

सारणी 6.2

वर्षवार नवीन खुलने वाले प्राथमिक विद्यालय

वर्ष	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
विद्यालय	0	0	86	0	0	0	0	0	0

सारणी 6.3

वर्षवार नवीन खुलने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय

वर्ष	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
विद्यालय	0	22	67	0	0	0	0	0	0

विद्यालय की साजसज्जा :

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को टाट पट्टी, श्यामपट, मेज, कुर्सी, अध्यापकों के लिए अलमारी/सन्दूक, पंजिकायें, खेल सामग्री, पुस्तकालय के लिए पुस्तकें एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति करेगी। इसके लिए समिति को निर्धारित मानदण्ड के अनुसार आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी।

इसी प्रकार नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से भी काष्ठोपकरण शिक्षण सामग्री, खेल सामग्री, पुस्तकों आदि की व्यवस्था की जायेगी। इसके लिए समिति को उपयुक्त धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी (व्यय विवरण अध्याय 11 के पहुँच का विस्तार में दर्शाया गया है)।

पेयजल व्यवस्था, प्रसाधन एवं चहारदीवारी :

जनपद में खुलने वाले सभी नये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ व समुचित पेयजल की व्यवस्था के लिए हैण्डपम्प लगाए जायेंगे। प्रत्येक विद्यालय में बालक व बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय बनवाये जायेंगे। विद्यालय परिसर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विद्यालय में चहारदीवारी का निर्माण आवश्यक रूप से कराया जायेगा। इस निर्माण कार्य का दायित्व भी ग्राम शिक्षा समितियों को सौंपा जायेगा (व्यय विवरण अध्याय 11 के पहुँच का विस्तार में दर्शाया गया है)।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत कम करने की व्यवस्था करने के प्रयास :

सर्व शिक्षा अभियान की सफलता के लिए प्रत्येक दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जायेगा। जनपद के वर्तमान विद्यालयों का आंकलन करने पर यह पाया गया कि पूर्व से संचालित ज्यादातर प्रा0 विद्यालयों में आवश्यक भूमि हैण्डपम्प, शौचालय आदि उपलब्ध हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि नवीन प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना यथा सम्भव वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों का स्तरोन्नयन

करते हुए उन्हीं के परिसर में की जायेगी। इससे पूर्व में ही उपलब्ध भौतिक संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करके नये विद्यालयों का स्थापना व्यय कम करने में मदद मिलेगी। इस तरह बचने वाली राशि का उपयोग शौचालयों की मरम्मत अथवा जीर्णोद्धार तथा खराब पड़े हैण्डपम्पों को सुधारने में किया जा सकेगा।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता का सतत सर्वेक्षण :

नये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के बाद बस्ती में विद्यार्थियों की उपलब्धता को आधार बनाकर वार्षिक सर्वेक्षण कराया जायेगा। इस सर्वेक्षण में विद्यालय में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं का आंकलन तथा विद्यालय की आवश्यकताओं कों सूचीबद्ध किया जायेगा ताकि आगामी वर्ष के बजट एवं वार्षिक कार्य योजना में उक्त आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रावधान किया जा सके। इस सर्वेक्षण कार्य के लिए प्रतिवर्ष दो लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण :

जैसा कि पूर्व में उल्लिखित किया जा चुका है कि विद्यालय में होने वाले सभी निर्माण व मरम्मत कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा संचालित किए जायेंगे। प्रयास यह किया जायेगा कि समितियां अपने कार्य का निर्वाह पूरी सर्तकता से करें फिर भी निर्माण एवं गुणवत्ता कार्य में कोई कमी न रह जाये। इस उद्देश्य से इन कार्यों का तकनीकी परीक्षण विकास खण्ड पर उपलब्ध ग्रामीण अभियंत्रण सेवा व लघु सिंचाई विभाग के अभियंताओं से कराया जायेगा।

विद्यालय की साजसज्जा :

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को टाट पट्टी, श्यामपट, मेज, कुर्सी, अध्यापकों के लिए अलमारी/सन्दूक, पंजिकायें, खेल सामग्री, पुस्तकालय के लिए पुस्तकें एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति करेगी। इसके लिए समिति को निर्धारित मानदण्ड के अनुसार आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी।

इसी प्रकार नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से भी काष्ठोपकरण शिक्षण सामग्री, खेल सामग्री, पुस्तकों आदि की व्यवस्था की जायेगी। इसके लिए समिति को उपयुक्त धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी (व्यय विवरण अध्याय 11 के पहुँच का विस्तार में दर्शाया गया है)।

पेयजल व्यवस्था, प्रसाधन एवं चहारदीवारी :

जनपद में खुलने वाले सभी नये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ व समुचित पेयजल की व्यवस्था के लिए हैण्डपम्प लगाए जायेंगे। प्रत्येक विद्यालय में बालक व बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय बनवाये जायेंगे। विद्यालय परिसर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विद्यालय में चहारदीवारी का निर्माण आवश्यक रूप से कराया जायेगा। इस निर्माण कार्य का दायित्व भी ग्राम शिक्षा समितियों को सौंपा जायेगा (व्यय विवरण अध्याय 11 के पहुँच का विस्तार में दर्शाया गया है)।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत कम करने की व्यवस्था करने के प्रयास :

सर्व शिक्षा अभियान की सफलता के लिए प्रत्येक दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जायेगा। जनपद के वर्तमान विद्यालयों का आंकलन करने पर यह पाया गया कि पूर्व से संचालित ज्यादातर प्रा0 विद्यालयों में आवश्यक भूमि हैण्डपम्प, शौचालय आदि उपलब्ध हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि नवीन प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना यथा सम्भव वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों का स्तरोन्नयन

करते हुए उन्हीं के परिसर में की जायेगी। इससे पूर्व में ही उपलब्ध भौतिक संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करके नये विद्यालयों का स्थापना व्यय कम करने में मदद मिलेगी। इस तरह बचने वाली राशि का उपयोग शौचालयों की मरम्मत अथवा जीर्णोद्धार तथा खराब पड़े हैण्डपम्पों को सुधारने में किया जा सकेगा।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता का सतत सर्वेक्षण :

नये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के बाद बस्ती में विद्यार्थियों की उपलब्धता को आधार बनाकर वार्षिक सर्वेक्षण कराया जायेगा। इस सर्वेक्षण में विद्यालय में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं का आंकलन तथा विद्यालय की आवश्यकताओं कों सूचीबद्ध किया जायेगा ताकि आगामी वर्ष के बजट एवं वार्षिक कार्य योजना में उक्त आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रावधान किया जा सके। इस सर्वेक्षण कार्य के लिए प्रतिवर्ष दो लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण :

जैसा कि पूर्व में उल्लिखित किया जा चुका है कि विद्यालय में होने वाले सभी निर्माण व मरम्मत कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा संचालित किए जायेंगे। प्रयास यह किया जायेगा कि समितियां अपने कार्य का निर्वाह पूरी सर्तकता से करें फिर भी निर्माण एवं गुणवत्ता कार्य में कोई कमी न रह जाये। इस उद्देश्य से इन कार्यों का तकनीकी परीक्षण विकास खण्ड पर उपलब्ध ग्रामीण अभियंत्रण सेवा व लघु सिंचाई विभाग के अभियंताओं से कराया जायेगा।

अध्याय :– 7

शिक्षा की पहुंच का विस्तार (2)

शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा :

संविधान में लिए गये संकल्प के अनुसार प्रत्येक बच्चे को शिक्षित करने का लक्ष्य प्राप्त करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। स्कूल रहित बस्तियों में रहने वाले बच्चों,ड्राप–आउट करने वाले बच्चों,पूरे समय तक स्कूल में न रहने वाले बच्चों तथा गृहकार्य या मजदूरी करने के कारण शिक्षा प्राप्त न कर पाने वाले बच्चों को शिक्षित करने के लिए 2 अक्टूबर 1980 से अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था। कतिपय कारणों से यह कार्यक्रम अपने लक्ष्यों को प्राप्त न कर सका। अपेक्षित सफलता न मिलने के कारणों व अन्य स्थितियों का सर्वेक्षण व समीक्षा करने के उपरान्त वर्ष 2001–02 के केन्द्रीय बजट में इस कार्यक्रम को समाप्त कर उसके स्थान पर शिक्षा गारण्टी योजना / वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया।

उक्त योजना को मुख्यतयः तीन भागों मे विभाजित किया गया है।

1 राज्य सरकार द्वारा संचालित ई0जी0एस0/ए0आई0ई0, ब्रिज कोर्स एवं ग्रीष्मकालीन शिविरों के माध्यम से योजना का संचालन।

2 स्वैच्छिक संगठनों द्वारा ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 केन्द्रों का संचालन।

3 स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित नवाचार एवं प्रयोगात्मक परियोजनायें।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की विफलता के प्रमुख कारणों मे निम्न प्रमुख हैं : –

- अनुदेशक को मात्र 200 रु मासिक मानदेय मिलता था।
- सामाग्री एवं पाठ्य पुस्तकों का वितरण समय से नहीं हो पाता था।
- अध्ययन के लिए मात्र 2 घंटे का समय निर्धारित था।

8. कुछ बच्चे परिवार की आर्थिक विवशता के कारण स्कूल में नहीं जाते हैं।
9. कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हुए भी प्रतिदिन 6 घंटे का समय शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं दे पाते।

इन सभी बच्चों की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर एक ऐसे वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम की आवश्यकता अनुभव की गई जिसमें शिक्षार्थी की परिस्थितियों के साथ तालमेल स्थापित करने की गुंजाईश हो। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक शिक्षा के माध्यम से निःशुल्क, अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न स्वरूप

1. शिक्षा घर :

उन छोटी असेवित स्लम बस्तियों में खोले जायें जहां प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं। इनमें 6 से 11 वय वर्ग के वे सभी बच्चे प्राथमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण करेंगे जो स्कूल से बाहर हैं। इन वैकल्पिक विद्यालयों में बच्चों को समान स्तर की गुणवत्तापरक शिक्षा देने की व्यवस्था हैं।

2. प्रहर पाठशाला :

प्रहर पाठशाला की व्यवस्था 9 से 14 वय वर्ग की बालिकाओं के लिए की जायेगी। बालिकाओं को प्राथमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ बड़ी लड़कियों को कार्यात्मक शिक्षा (सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, संगीत आदि कौशल)प्रदान करने की भी व्यवस्था होगी।

3. बाल शाला :

बाल शालाओं की स्थापना 3 से 11 वय वर्ग के बच्चों के लिए की जायेगी। बड़े बच्चे जो अपने घर में छोटे भाई–बहिनों की देखभाल करने के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं। वे उन बच्चों को अपने साथ लाकर बाल शाला में रख सकेंगे तथा प्राथमिक स्तर की शिक्षा हेतु एक अनुदेशक/अनुदेशिका तथा 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल के लिए एक सहायिका की सेवा उपलब्ध होगी।

4. **मकतब / मदरसा :**

इनकी व्यवस्था मुख्यतः अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों विशेषकर बालिकाओं के लिए की जायेगी। इनमें उसी समुदाय से अनुदेशक / अनुदेशिका का चयन किया जायेगा जहां मकतब / मदरसा स्थापित है। इनमें सम्बंधित अल्पसंख्यक समुदाय की संस्कृति एवं परम्पराओं को ध्यान में रखकर प्राथमिक स्तर पर जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान की जायेगी।

5. **ब्रिज कोर्स :**

ग्रीष्मकालीन क्षेत्र आधारित कोर्स सड़क, प्लेटफार्म, दुकानों, घुमन्तू बच्चों, नौकरी पेशा, कुलीगिरी करने वाले बच्चों तथा ऐसे बच्चों जिनके अभिभावक पत्थर की खानों में कार्य करते हैं अथवा बाल श्रमिक, खतरे के उद्योगों में लगे बच्चे जिनका वय वर्ग 9 से 14 है। ब्रिज कोर्स संचालित किया जायेगा। यह शिविर आवासीय होंगे। इन शिविरों में बच्चों के रहने, खाने–पीने एवं शिक्षण आदि की व्यवस्था निःशुल्क होगी। निर्धारित मानकों के अन्तर्गत ब्रिज कोर्स शिविरों के लिए केयर टेकर 2, पैरा टीचर 1, कुक (रसोईया) 1 तथा चौकीदार 1 की आवश्यकता होगी। इनका चयन मानक प्रकिया के अनुसार किया जायेगा। जिसके लिए जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अल्पकालीन अवधि हेतु संविदा के अन्तर्गत व्यवस्था की जायेगी। ब्रिज कोर्स खोलने हेतु उस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जायेगी जहां पर निशुल्क आवास व्यवस्था उपलब्ध हो सके; यह भी ध्यान रखा जायेगा कि ब्रिज कोर्स विकासखण्ड, जनपद मुख्यालय में स्थापित हो। इनकी अवधि 4 माह से 18 माह तक रखी जायेगी। इस हेतु 3 हजार रूपये प्रति छात्र / छात्रा अनुमान्य होगी और इसी मानक धनराशि से सम्पूर्ण व्यवस्था की जायेगी।

ई0जी0एस0 / ए0आई0ई0 केन्द्र :

इस योजना के तहत 6–14 वय–वर्ग (विकलांगों के लिए 6–18) के बच्चों को चिन्हित कर उन्हे औपचारिक विद्यालयों अथवा शिक्षा गारन्टी योजना के विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जायेगा। ई0जी0एस0(विद्या केन्द्र) के शिक्षकों को

आचार्य जी तथा ए0आई0ई0 केन्द्रों (ज्ञान केन्द्र और ज्ञान शाला) के शिक्षकों को गुरू जी /दीदी जी कहा जायेगा।

सारणी 7.1

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र / ए0आई0ई0

ब्लाक का नाम	केन्द्र का प्रकार	लक्ष्य	चयनित संख्या	संचालित संख्या
बिरधा	शिक्षाघर	–	29	29
जखौरा	"	–	29	29
योग		60	58	58
बिरधा	बालशाला	–	10	10
जखौरा	"	–	10	10
योग		20	20	20
बिरधा	प्रहरशाला	–	07	07
जखौरा	"	–	08	08
योग		15	15	15
महायोग		95	93	93

स्त्रोत – विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय

सारणी 7.2
विद्या केन्द्र

क्र.सं.	ब्लाक का नाम	लक्ष्य	चयनित संख्या	संचालित संख्या
1.	जखौरा	29	29	29
2.	बिरधा	11	11	11
3.	बार	22	22	22
4.	महरौनी	39	39	39
5.	तालबेहट	22	22	22
6.	मड़ावरा	31	31	31
	योग	154	154	154

स्त्रोत – विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय

सारणी–73

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का छात्रांकन

क्र.सं.	प्रकार	केन्द्र सं.	बालक	बालिका	योग
1.	शिक्षा घर	58	1041	1027	2068
2.	बाल शाला	20	351	358	709
3.	प्रहर शाला	15	183	286	469
	योग	93	1575	1671	3246
4.	विद्या केन्द्र	154	3296	3260	6556
	महायोग	247	4871	4931	9802

स्त्रोत – विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय

सारणी–74

6 – 14 आयुवर्ग के विभिन्न वर्गों के स्कूल न जाने वाले बच्चों का विवरण (हाऊस होल्ड सर्वे के आधार पर)

क्र0 सं0	कारण	5+ से 6+		7 से 10+		11 से 14		योग		
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
1	अपने घर के कार्यों में लगे रहना	2005	1739	2659	2992	2596	2877	7260	7608	14868
2	मजदूरी में लगे रहना	41	14	187	106	556	308	784	428	1212
3	भाई–बहनों की देखभाल	1830	2028	1548	2177	719	1056	4097	5261	9358
4	विद्यालय दूर होने के कारण	235	294	476	490	326	391	1037	1175	2212
5	अन्य कारण	4799	4691	1231	1366	697	582	6727	6639	13366
	योग	8910	8766	6101	7131	4894	5214	19905	20112	41016

अनुदेशक चयन :

अनुदेशकों का चयन ग्राम शिक्षा समिति, ग्राम समुदाय एवं अल्प संख्यक समुदाय के सहयोग से होगा। अनुदेशक स्थानीय समुदाय से सहयोग लेने में कुशल हो। समुदाय में बच्चों की पारिवारिक/सामाजिक स्थिति से भलीभांति परिचित हो तथा बच्चों के प्रति संवेदनशील तथा उनके मनोभावों को समझने में सक्षम हो। अच्छा श्रोता सहनशील व्यक्तित्व विषय की जानकारी एवं पठन–पाठन में रुचि रखता हो। उसकी सोच लिंग तथा जाति भेद से ऊपर उठकर हो। अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करके हाईस्कूल परीक्षा के अंकों के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए वरीयता के आधार पर दिया जायेगा। तत्पश्चात अनुदेशक को आमंत्रण पत्र ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जायेगा। किसी अनुदेशक का कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में ग्राम शिक्षा समिति की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करके अनुदेशक को हटाया जा सकता है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

नगर क्षेत्र में खोले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में अनुदेशक का चयन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र, सभासद सम्बंधित वार्ड, नगर क्षेत्र का वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक/ शिक्षक की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिए अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होगी दानो प्रकार के कन्द्रों के संचालनार्थ रखे जाने वाले शिक्षा स्वयं सेवको के चयन हेतु अधिकतम आयु सीमा नही रखी गई है। जहां पर स्नातक अभ्यर्थी उपलब्ध न हो वहां पर इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थी का चयन किया जा सकता है।

अनुदेशक के चयन के समबंध में अनुदेशक एवं ग्राम शिक्षा समिति के मध्य एक संविदा प्रपत्र भरा जायेगा जो निर्धारित प्रारूप पर एनेक्सर के साथ संलग्न किया जायेगा।

अनुदेशक का प्रशिक्षण :

अनुदेशकों का तीस दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अथवा ब्लाक रिसोर्स सेंटर पर आयोजित किया जायेगा। प्रत्येक चयनित अनुदेशक का एक माह का प्रशिक्षण जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा डाइट के प्रवक्ताओं, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ एस.डी.आई./ ब्लाक प्रोग्राम आफीसर/ ब्लाक रिसोर्स पर्सन तथा योग्य अध्यापक, सन्दर्भ व्यक्तियों के माध्यम से कराया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा रू. 1500/– प्रति अनुदेशक की दर से धनराशि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशिक्षण अवधि में अनुदेशक को मानदेय के रूप में कोई धनराशि देय नहीं होगी।

अनुदेशक मानदेय वितरण :

चयनित आचार्य जी को 1 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय अनुमन्य होगा। आचार्य ग्राम पंचायत का कर्मी होगा तथा मानदेय का दायित्व भी ग्राम पंचायत का होगा। जिसे अध्यक्ष एवं सचिव ग्राम शिक्षा समिति द्वारा अनुदेशक को चैक के माध्यम से माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा। मानदेय की एक बार में 6 माह की अग्रिम धनराशि ग्राम शिक्षा समिति के खातों में स्थानांतरित कर दी जायेगी।

पर्यवेक्षण :

विद्या केन्द्रों का शैक्षिक पर्यवेक्षण न्यायपंचायत प्रभारी, सहब्लाक समन्वयक, ब्लाक समन्वयक एवं सहायक बेसिक शिक्षाधिकारी द्वारा समय–समय पर किया जायेगा। कार्यरत आचार्य जी पर प्रशासनिक नियंत्रण ग्राम पंचायत का होगा तथा वे उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/ सहायक बेसिक शिक्षाधिकारी अथवा अन्य अधिकारी द्वारा विद्या केन्द्रों के निरीक्षण को समय–समय पर किया जायेगा।

निशुल्क शिक्षण सामग्री :

प्रत्येक विद्या केन्द्र को नामांकित सभी बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं शिक्षण सामग्री की धनराशि जिला बेसिक शिक्षाधिकारी द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खाते में भेजा जायेगा। शिक्षा गारंटी केन्द्रों में राज्य सरकार द्वारा आयोजित औपचारिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तकें ही सम्प्रति उपयोग में लाई जायेंगी।

छात्र छात्राओं का मूल्यांकन :

अनुदेशक द्वारा वैकल्पिक एवं शिक्षा गारंटी केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों का शपथ एवं नियमित मूल्यांकन किया जायेगा। बच्चों का तिमाही, छमाही तथा वार्षिक मूल्यांकन मौखिक तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा तथा यह प्रयास किया जायेगा कि वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा औपचारिक विद्यालय की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में जिसके लिए वह योग्य है किसी भी समय प्रवेश पा सके। अनुदेशक का यह दायित्व होगा कि उसके केन्द्र पर पढ़ने वाले बच्चे शीघ्र–अतिशीघ्र एवं अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़कर प्रवेश पाते रहें। मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ली जाने वाली परीक्षा के मानक शिक्षा निदेशक(बेसिक) तथा निदेशक साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा द्वारा तय किये जायेंगे।

प्रबंधन लागत :

विकास खण्ड स्तर पर प्रबंधन की अधिकतम लागत निम्नवत रखी जायेगी। प्राथमिक स्तर के लिए 845 रु तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 1200 रु प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से व्यय निर्धारित है।

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन :

जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन किया जायेगा जो कालांतर में सर्व शिक्षा अभियान को संचालित करने वाली समिति भी कही जायेगी। जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा जिसमें निम्न सदस्य होंगे –

1.	जिलाधिकारी	:	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	:	उपाध्यक्ष
3.	जिला परियोजनाधिकारी	:	सदस्य सचिव
4.	डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आफीसर (ई.जी.एस.)	:	सदस्य
5.	प्राचार्य जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान	:	सदस्य
6.	जिला स्तरीय श्रम विभाग का अधिकारी	:	सदस्य
7.	जिला पंचायत राज अधिकारी	:	सदस्य
8.	वित्त एवं लेखाधिकारी (कार्यालय बे.शि.अ.)	:	सदस्य
9.	स्वैच्छिक संगठनों के दो प्रतिनिधि	:	सदस्य

जनपद में योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों को तैयार करने एवं कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व उक्त समिति का होगा।

ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका :

प्रस्तावित शिक्षा गारंटी/वैकल्पिक शिक्षा योजना के लिए ग्राम शिक्षा समिति के निम्नलिखित कर्तव्य एवं दायित्व प्रस्तावित हैं।

1. 6 से 14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की माईक्रोप्लानिंग के आधार पर सर्वेक्षण कर उन्हें चिन्हित करना।
2. कार्यक्रम के संचालन हेतु वातावरण सृजित करना।
3. अनुदेशकों का चयन करना।
4. केन्द्रों का समय निर्धारित करना।
5. केन्द्रों की साज सज्जा हेतु शिक्षण सामग्री का बाजार मूल्यों पर नियमानुसार कय कर केन्द्रों का संचालन हेतु अनुदेशकों को उपलब्ध कराना।
6. अनुदेशकों को प्रशिक्षणोंपरांत ही केन्द्र का दायित्व सौंपना।
7. अनुदेशकों की उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति एवं केन्द्र का प्रबंधन तथा प्रतिदिन निरीक्षण करना।
8. केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश कराने के लिए लगातार प्रोत्साहित करना।

9. नियमित रूप से अनुदेशक के मानदेय का भुगतान करना।

विकासखण्ड स्तरीय समिति की भूमिका :

कार्यक्रम की सफलता के लिए विकास खण्ड स्तर पर भी एक समिति होगी जिसकी भूमिका निम्नवत होगी –

1. ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करना।
2. ग्रामीण क्षेत्रों की माईक्रोप्लानिंग करना,समीक्षा करना तथा प्रस्तावों को तैयार करना।
3. क्लस्टर, रिसोर्स पर्सन/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक की सहायता से केन्द्रों/ शिविरों का भ्रमण एवं पर्याप्त पर्यवेक्षण/ अनुश्रवण की व्यवस्था करना।
4. जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध संदर्भदाताओं की सहायता से प्रशिक्षण आयोजित कराना।

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति के प्रमुख कर्तव्य एवं दायित्व :

1. शिक्षा गारंटी/ वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र एवं नवाचार शिक्षा हेतु सम्पूर्ण जनपद में माईक्रोप्लानिंग कर आवश्यकतानुसार अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने हेतु विभिन्न योजनाओं के प्रस्तावों को ग्राम **स्तर**/ विकास खण्ड स्तर से तैयार कराकर जिला स्तर पर प्रतिमाह समीक्षा करना।
2. केन्द्र/ ब्रिज कोर्स ग्रीष्मकालीन सेमिनार के प्रस्ताव को स्टेट सोसाइटी को प्रस्तुत करना।
3. कार्यक्रमों का कियान्वयन करना।
4. अन्य विभागीय अधिकारियों एवं प्रशासिनिक अधिकारियों के साथ कार्यक्रमों का संचालन करना।
5. कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम/ कार्यशालाओं का आयोजन कराना।

6. स्टेट सोसाईटी द्वारा उपलब्ध करायी गयी मदवार धनराशियों को विकास खण्ड स्तरीय समितियों के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति अथवा स्वैच्छिक संगठनों के कार्यक्रमों से संचालनार्थ अग्रिम रूप में उपलब्ध कराना।

विकलांग बच्चों के लिए वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र :

जनपद ललितपुर में न पढ़ने वाले विकलांग बच्चों की संख्या 1640 है। विकलांग बच्चों को वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र पर अधिकतम 14 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष की आयु तक रखने का प्राविधान है। इसमें न्यूनतम छात्र संख्या को 15 से कम किए जाने का भी प्रस्ताव है। जिस ग्राम/ बस्ती/ मजरे /टोले / मोहल्ले में विकलांग बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर छात्र संख्या एवं उम्र में पूरी छूट दी जायेगी। कोई भी विकलांग शिक्षा से वंचित न रह जाये इस बात के पूरे प्रयास किए जायेंगे। चलने में असमर्थ के लिए साईकिल अथवा बैसाखी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

बालिकाओं के लिए वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र :

जिन गांवों/ मजरों/ मुहल्लों में बालिका साक्षरता दल बहुत ही कम है। ऐसे ग्रामों में बालिका वैकल्पिक शिक्षा व नवाचार केन्द्र खोले जायेंगे तथा महिला अनुदेशिका की व्यवस्था की जायेगी। इसमें समुदाय की सहभागिता, महिला मंगल दल, मां–बेटी मेला, किशोरी संघ आदि के सहयोग से चेतना जागृत एवं बालिका शिक्षा में रूचि को बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा। महिला साक्षरता दल में कमी के आधार पर ब्लाक मड़ावरा एवं बिरधा जंगलों से आच्छादित होने के कारण अति पिछड़े हैं। यहां प्राथमिकता के आधार पर केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है।

रणनीति :

जनपद ललितपुर में प्रस्तावित शिक्षा गारंटी योजना के केन्द्रों की संख्या–

नवीन प्रस्तावित केन्द्रों की संख्या

क्र.सं.	ब्लाक का नाम	प्राथमिक स्तर	जूनियर स्तर
1.	जखौरा	5	15
2.	बिरधा	10	15
3.	बार	20	10
4.	महरौनी	12	10
5.	तालबेहट	23	10
6.	मड़ावरा	20	20
	महायोग	90	80

विकास खण्ड बार प्रस्तावित ज्ञान केन्द्र व ज्ञान शाला स्थलों के नाम :

विकास खण्ड जखौरा

ज्ञान केन्द्र	ज्ञान शाला
फौजपुरा	गुरसौरा
करमुहारा,रघुनाथपुरा	मैनवारा
चकरामलाल	करमुहारा
टपरन	नौहरकला
	काला पहाड़ खदान
	भीमपुरा
	कुआंतला,खिरियामिश्र
	रघुनाथपुरा
	पटौराकला
	जैरवारा
	नाथपुरा
	मुहारा,पटला
	फौजपुरा

विकासखण्ड :– तालबेहट

ज्ञान केन्द्र	ज्ञान शाला
केन्द्र का नाम	केन्द्र का नाम
तालाबपुरा	असौआपुरा
मनपुरा	टपरियन
टपरियन, जिगनांव	बंदियन
बदनपुर	लक्ष्मनपुरा
भरतपुरा	गुलैंदा
स्यायी टोरिया	विघा
बंदियन	चुनगी
संसुवा	रमपुरा कठवर
सुनपुरा, खिरियाडांग	बधौरा
कारोखेत, धुवैरा	
लीलम, कुईयन	
कसा	
बीचकापुरा	
सेवरा, बरेठाखिरक	
नन्हे दिगरा	
राजपुर	
तिरई	

विकास खण्ड बार

ज्ञान केन्द्र	ज्ञान शाला
रावतयाना	सेईपुरा
रामनगर	ढिमरयाना
चमरऊआ	कंचनपुरा
रावतयानापुरवा	टपरियन
ढिमरयाना	चंदावली
धुबयाना	टौरिया
बंदियन	कछयाना
कंचनपुरा	रावतयाना
टीला	धुबयाना
खंजौरा	सुभाषपुरा
ढुकिया	
सुभाषपुरा	
कंचनपुरा	
गिड़या	
नांगलखेड़ा	

टौरिया
गड़रयाना
कछयाना
गढीघाट
रावतयाना

विकास खण्ड महरौनी

ज्ञान केन्द्र	ज्ञान शाला
सतलिंगा	सहरिया बस्ती
नईबस्ती	सहरिया बस्ती
भड़ौला	दिदौली
भरतिया	पुराना सोमना रोड
पटका	नईबस्ती
जखौरा रोड	भरतपुर
सहरिया बस्ती	कोरवास
हरिजनबस्ती	भरतिया
सपेराबस्ती	जखौरारोड
कोरवास	भड़ौरा
गहराव	
टीला	

विकास खण्ड बिरधा

ज्ञान केन्द्र	ज्ञान शाला
बड़ापुरा, गणेशपुरा	खुशीपुरा
हरिजनबस्ती,, टपरियन नईबस्ती	गणेशपुरा
खुशीपुरा	कलरव
हरपुरा	ककोरिया
जमुनिया	मुडारी
अचड़	देवगढ, गढोलीकलां
भड़यावारा	पिपरिया जागीर
राजगढ	सेलवारा
	पिपरियाडांग
	नकवाना
	ढंगा
	टपरियन
	गिलटौरा
	डोरना

विकास खण्ड मडावरा

ज्ञान केन्द्र	ज्ञान शाला
यादवपुरा	धवा
सागरबिथुनपुरा	गुरयाना
कबराटा रोटपुरा	बरौदिया
सहायाना	बदौनी,जमुनिया
हरिजन बस्ती	रजौका
नटयाना	किसगना,गढ़ौली
हिलापुरा,बुधनी नाराहट	हॅसरी
बृजपुरा	पिसनारी
इकौनाखुर्द,बिघाई	बमगुंआ
लड़ारी	भौती मडावरा
बिजपुरा	लखन्जर,कुर्रट
गढ़ौली	हॅसरा,बड़वार
टोरिया	बछरई
जमौटा,रविदास नगर	गुढ़ा मडावरा
नया गॉव, जिलौनी	पिडार
गड़रयाना	दलपतपुर

द्वारा सर्वेक्षण के अनुसार 41016 बच्चे विभिन्न कारणो से विद्यालय नही जा रहे है। सर्वेक्षण के अनुसार मुख्य रूप से घरेलू कार्य में लगा होना, भाई-बहनों की देख-भाल में लगे रहने के कारण विद्यालय नही आ रहे है। यह निम्न सारणी से स्पष्ट है-

विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण

क्र0	कारण	बालक	बालिका	योग
1	घरेलू कार्य	7260	7608	14868
2	मजदूरी	784	428	1212
3	भाई-बहनों की देख-भाल	4097	5261	9358
4	विद्यालय दूर होना	1037	1175	2212
5	अन्य	6727	6639	13366

विद्यालय से बाहर इन बच्चों को विद्यालय में लाने हेतु विभिन्न रणनीतियां जिला परियोजना समिति द्वारा प्रस्तावित की गयी है

घरेलू कार्य में लगे बच्चें:- ऐसे बच्चे जो अपने घर के कार्य में लगे रहते है को विद्यालय में लाने हेतु ब्रिज कोर्स तथा समर कैम्प चलाने की व्यवस्था की गयी है।

क्र0	ब्रिज कोर्सा	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
1	एन0पी0आर0सी0 स्तरीय	48	2880	48	2880	48	2880	48	2880
2	वै0शिक्षा केन्द्र	95	2850	95	2850	95	2850	95	2850
3	ब्रिज कोर्सा	48	1920	48	1920	48	1920	48	1920

उक्त कोर्स इन बच्चों की आवश्यकताओं को देखते हुए इनको घरो के पास तथा इनकी सुविधा के अनुसार समय निर्धारित करके इन्ही के ग्राम निवारी अनुदेशक/आचार्य द्वारा संचालित किये जायेंगे।

मजदूरी :- कुछ बच्चे मजदूरी कार्य में लगे होने के कारण विद्यालय नही आ पाते। ऐसी समस्या 11 से 14 आयु वर्ग के बीच अधिक पायी गयी है। इन बच्चों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर ए0आई0ई0 खोले जा रहें है जिनका समय इनके कार्य समय के बाद संध्या में रखे जाने का प्रस्ताव है। जिससे ये बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे।

क्र0	कोर्सा	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
1	ए0आई0ई0	50	2500	50	2500	50	2500	50	2500
2	आवासीय ब्रिज कोर्सा	3	180	3	180	3	180	3	180
3	विद्या केन्द्र	154	6160	154	6160	154	6160	154	6160

भाई-बहनों की देखभाल :- छोटे भाई-बहनों की देखभाल में लगे होने 9358 बच्चे विद्यालय नही जा पा रहे है ऐसे बच्चों को विद्यालय लाने हेतु इनके छोटे भाई-बहनों की देखभाल के लिए विशेष रूप से ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की व्यवस्था की गयी है

क्र0	कोर्सा	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
1	ई0सी0सी0ई0 केन्द्र	150	4500	50	4500	50	4500	50	4500
2	समर कैम्प	48	1920	48	1920	48	1920	48	1920

विद्यालय से दूर होना :- जनपद में 1037 बालक एवं 1175 बालिकाएं कुल 2212 बच्चे विद्यालय दूर होने के कारण विद्यालय नही आ पा रहे है इनके लिए असेवित क्षेत्रों में मानक के अनुरूप विद्यालय खोले जा रहे है तथा अन्य स्थानों पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था उपलब्ध करायी जा रही है।

विद्यालय	वर्ष	नवीन विद्यालयों की संख्या
प्राथमिक स्तर	2003-04	86
उच्च प्राथमिक स्तर	2003-04	67

अन्य कारण :- उक्त के अतिरिक्त गरीबी, धार्मिक तथा रूढीवादिता के कारण भी कुछ बच्चे विद्यालय नही जा रहे हैं। इसके लिए स्कूल चलो अभियान चला कराकर, ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित कर, विद्यालयों को आकर्षक बनाकर, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक तथा मिड डे मील आदि का वितरण कराकर अभिभावकों को अपने बच्चे विद्यालय भेजने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इस प्रकार उक्त सभी गतिविधियों द्वारा हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हांकित स्कूल न जाने वाले बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा में जोड लिया जायेंगा।

अध्याय – 8

विद्यालयी ठहराव में वृद्धि हेतु कार्यक्रम

सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति में अनुभव के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता हैं कि बालक–बालिकाओं का विद्यालयों में पंजीकरण तो हो जाता है किन्तु कतिपय कारणों से ठहराव में वृद्धि न होने के कारण ड्राप आउट की समस्या आती है । सर्व शिक्षा अभियान में ठहराव में वृद्धि करने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जायेंगे । जिनमें से मुख्य प्रयास निम्नांकित हैं –

सारणी 8.1

ठहराव हेतु भौतिक सुविधाओं की मांग

क्र0 सं0	भौतिक संसाधन का नाम	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक
1	विद्यालय पुर्ननिर्माण	17	11
2	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	414	70
3	पेयजल सुविधा	18	217
4	शौचालय	00	30
5	चहारदीवारी	00	00

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर अतिरिक्त कक्षा कक्षों की मांग निम्नलिखित आधार पर निर्धारित की गई है ।

सारणी – 8.2(1)

प्राथमिक विद्यालयों मे अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की आवश्यकता

कम सं0	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	40 :1 दर से कक्षा–कक्ष	वर्तमान कक्षा–कक्ष	आवश्यक कक्षा–कक्ष	नवीन कक्षा–कक्ष
	1	2	3	4	7	7
1	2001–02	118330	2958	1990	968	0
2	2002–03	122362	3059	2958	101	0
3	2003–04	126398	3160	3059	17	0
4	2004–05	132167	3304	3160	68	138
5	2005–06	134810	3370	3304	0	176
6	2006–07	137560	3439	3370	03	100

सारणी – 8.2(2)

उच्च प्राथ0 विद्यालयों मे अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की आवश्यकता

कम सं0	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	1 : 4 की दर से आवश्यक कक्षा–कक्ष	वर्तमान कक्षा–कक्ष	आवश्यक कक्षा–कक्ष	नवीन कक्षा–कक्ष
	1	2	4	5	6	6
1	2001–02	181	724	657	67	0
2	2002–03	181	924	724	200	0
3	2003–04	231	1124	924	200	0
4	2004–05	281	1180	1124	56	125
5	2005–06	295	1180	1180	0	72
6	2006–07	295	1180	1180	0	20

उपर्युक्त सारणियों के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए कुल 414 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की आवश्यकता होगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए कुल 217 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की आवश्यकता होगी।

वर्षवार प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्ष निम्न सारणी के अनुसार खोले जायेंगे।

वर्ष 2005-06 में ....04.... प्राथमिक एवं ....04.... उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आकंलन प्रस्तावित है।

एम.आई.एस. एवं नवीन सर्वे के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शौचालय की आवश्यकता का प्रस्ताव निम्नवत् है। वर्ष 2002-03 में 15 प्राप्त हो चुके है। कुल लक्ष्य 115 का है।

वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	
2004-05	50	
2005-06	50	
2006-07	—	
योग	100	

सारिणी 8.2(1क)

अतिरिक्त कक्षा–कक्ष (प्राथमिक विद्यालय)

2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
0	0	0	138	176	100

सारणी – 8.2(2क)

अतिरिक्त कक्षा–कक्ष (उच्च प्राथमिक विद्यालय)

2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
0	0	0	125	172	20

विद्यालयी सुविधायें :

प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भवन के रखरखाव हेतु प्रति वर्ष रुपये 5000/– का अनुदान दिया जायेगा। विद्यालय विकास अनुदान के अन्तर्गत रुपये 2000/– प्रति वर्ष और दिये जायेंगे तथा जनपद में राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को भी रुपये 2000/– प्रति वर्ष की दर से विद्यालय विकास अनुदान दिया जायेगा।

शौचालय :

जनपद के 30 उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें शौचालय सुविधा उपलब्ध नहीं है। 2004–2005 एवं 2005–2006 में क्रमशः 20 एवं 10 शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया हैं ।

प्राथमिक विद्यालय जर्जर भवन :

जनपद में 41 प्राथमिक विद्यालयों के भवन जर्जर अवस्था में हैं । इनके पुर्ननिर्माण हेतु 2004–2005 एवं 2005–2006 में क्रमशः 30 एवं 11 का लक्ष्य रखा गया है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय जर्जर भवन :

जनपद में 02 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन जर्जर अवस्था में हैं । इनके पुर्ननिर्माण हेतु 2004–2005 में 02 का लक्ष्य रखा गया है।

जनपद के जर्जर प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची विकासखण्डवार प्रदर्शित की गई है

विद्यालय भवन जर्जर सूची निर्माण वर्ष सहित

विकासखण्ड – महरौनी	
प्राथमिक विद्यालय	निर्माणवर्ष
1– प्रा0वि0 अमौरा	1959
2– प्रा0वि0 नैनवारा	1901
3– प्रा0वि0 पठा	1910
4– प्रा0वि0 मुडिया	1975
5– प्रा0वि0 छायन	1960
6– प्रा0वि0 कुर्रौरा	1960
7– प्रा0वि0 क0 रूकवाहा	1964
विकासखण्ड – जखौरा	
8– प्रा0वि0 जखौरा न0–1 1905	1905
9– प्रा0वि0 जखौरा न0–2 1968	1968
10– प्रा0वि0 मैनवारा 1961	1961
11– प्रा0वि0 नगवास 1961	1961
12– प्रा0वि0 सीरोकनकला 1971	1971
13– प्रा0वि0 धरमपुरा 1964	1964
14– प्रा0वि0 बूचा 1962	1962
15– प्रा0वि0 बम्हौरीकला न0–1 1942	1942
16– प्रा0वि0 अडवाहा	1961
17– प्रा0वि0 हर्षपुर	1960
18– प्रा0वि0 गुरसौरा	1960
19– प्रा0वि0 कुआंतला	1963
विकासखण्ड – बिरधा	
20– प्रा0वि0 सतौरा	1963
21– प्रा0वि0 करमरा	1972

22– प्रा0वि0 खिरियाछतारा	1967
23– प्रा0वि0 टेनगा	1964
24– प्रा0वि0 भौंरदा	1962
25– प्रा0वि0 क0 तोर	1964
26– प्रा0वि0 तालगाँव	1966
27– प्रा0वि0 ऐरा	1962
28– प्रा0वि0 वंगरिया	1962
29– प्रा0वि0 पडना	1962
30– प्रा0वि0 ऐरावनी	1966
31– प्रा0वि0 कुमरौल	1969
32– प्रा0वि0 सिमरधा	1965
33– प्रा0वि0 उत्तमधाना	1963
विकासखण्ड – बार	
34– प्रा0वि0 कठवर	(भवनहीन)
35– प्रा0वि0 पाह	1962
36– प्रा0वि0 पुराधनकुआँ	1970
37– प्रा0वि0 भागनगर	1970
38– प्रा0वि0 सिमिरिया	1970
39– प्रा0वि0 मरोली	1960
विकासखण्ड – तालबेहट	
40– प्रा0वि0 वनगुवाँ	1960
41– प्रा0वि0 राधापुर	1964

विकासखण्ड – बिरधा	
उच्च प्राथमिक विद्यालय	निर्माणवर्ष
1– पू0मा0वि0 चढरऊ	1969
विकासखण्ड – तालबेहट	
2– पू0मावि0 सेरवाँस	1964

सारिणी 8.3क–1

विद्यालय विकास अनुदान

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय			उच्च प्राथमिक विद्यालय		
	परि0	सहा0 प्राप्त	योग	परि0	सहा0 प्राप्त	योग
1	2	3	4	5	6	7
2003–04	753	21	774	203	80	283
2004–05	753	21	774	270	20	290
2005–06	839	21	860	270	20	290
2006–07	839	21	860	270	20	290

सारिणी 8.3क–2

शिक्षण सामाग्री अनुदान

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय			उच्च प्राथमिक विद्यालय		
	परि0	सहा0 प्राप्त	योग	परि0	सहा0 प्राप्त	योग
1	2	3	4	5	6	7
2003–04	2488	63	2551	1229	240	1469
2004–05	2537	63	2600	1415	60	1475
2005–06	2537	63	2600	1415	60	1475
2006–07	2537	63	2600	1415	60	1475

पेयजल व्यवस्था :

18 प्राथमिक विद्यालय एवं 18 उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहाँ हैण्डपम्प नहीं हैं । इन विद्यालयों में पेयजल हेतु हैण्डपम्प की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी ।

विद्यालय की मरम्मत एवं रखरखाव :

जनपद के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 5000/– रुपये प्रति विद्यालय प्रति वर्ष दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

बालिका शिक्षा :

समुदाय के सभी जन के शिक्षित होने से ही राष्ट्र का समग्र विकास सम्भव होता है । इसी तथ्य को अंगीकृत करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों की शिक्षा के प्रति अपनी वचन वद्धता व्यक्त की है । संविधान में राज्य को निर्देशित किया गया है कि इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करे । संविधान में दिये गये मौलिक अधिकार नागरिकों को सभी प्रकार के भेदभाव, जाति, लिंग, धर्म एवं जन्म स्थान आधारित उत्पीड़न से रक्षा करते हैं । पंच वर्षीय योजनाओं में भी बालिकाओं की शिक्षा के प्रति वचन वद्धता का समर्थन किया है एवं इससे सम्बंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आरम्भ किया ।

बालिकाओं को शिक्षित किये बिना शिक्षा के सार्वभौमीकरण का कोई भी अभियान सफल और सार्थक नहीं हो सकता। वैसे भी कहा गया है कि एक महिला के शिक्षित होने का मतलब एक पूरे परिवार का शिक्षित होना है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान में भी बालिका शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है।

ललितपुर जनपद में वर्तमान में साक्षरता दर 49.9 प्रतिशत है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 33.25 प्रतिशत ही है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश मे साक्षरता की दर 57.36 प्रतिशत है जिसमें महिलाओं की साक्षरता

दर 42.98 प्रतिशत है। इस प्रकार राज्य में महिला शिक्षा की जो औसत स्थिति है, उसके अनुपात में जनपद की स्थिति अपेक्षाकृत कम है इसलिए इसमें अभी सुधार की विपुल संभावना है।

जनपद में महिला अशिक्षा के मुख्य कारणों में गरीबी, सामाजिक रूढ़िवादिता, शिक्षा की उपयोगिता से अनभिज्ञता, गृहकार्य के साथ–साथ मजदूरी, कृषि–कार्य, पशुओं को चराने आदि कामों में लगे रहना मुख्य हैं।

बालिकाओं के कम नामांकन एवं शालात्याग के प्रमुख कारण निम्न हैं :

- बस्तियों में स्कूलों का अभाव ।
- स्कूलों में महिला शिक्षकों की कमी।
- अभिभावकों की आर्थिक स्थिति कमजोर होना।
- समाज में प्रचलित रूढ़ियां व अन्धविश्वास।
- सामाजिक परिवेश में अनुकूल शैक्षिक वातावरण का अभाव।
- स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं का अभाव।
- मजदूरी व अन्य कार्यों में संलग्न होना।
- परिवार के छोटे भाई–बहनों की देखभाल में व्यस्त रहना।

बालिकाओं के ठहराव के लिए रणनीति :

विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि के लिए बनाई गई रणनीति के तहत जिन कार्यक्रमों पर अमल किया जा रहा है या किया जाना है उनमें प्रमुख इस प्रकार हैं।

ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की स्थापना :

इन केन्द्रों की स्थापना 6–14 वय–वर्ग की ऐसी बालिकाओं को ध्यान में रखकर की गई जो अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल में व्यस्त रहने के कारण विद्यालय नहीं जा पाती थीं। जनपद में ऐसे 150 केन्द्र विद्यालयों के परिसर में ही स्थापित किए गये। बालिकायें अपने छोटे भाई–बहनों को इन केन्द्रों मे छो ड़कर

निर्विघ्न रूप से अध्ययन कर सकती हैं। इन केन्द्रों से अनेक बालिकायें लाभान्वित हो रही हैं।

मॉ–बेटी मेला :

इन मेलों का प्रमुख उद्देश्य माताओं में अपनी बेटियों को शिक्षा के प्रति जागरूक बनाना है। इनके माध्यम से माताओं को शिक्षा के महत्व और उपयोगिता से अवगत कराया जाता है। जखौरा और महरौनी में अब तक ऐसी चार–चार मेले आयोजित किए जा चुके हैं।

समूहों का निर्माण एवं प्रशिक्षण :

इसके अर्न्तगत "माता–शिक्षक संघ" एवं "महिला प्रेरक दल" के माध्यम से बालिका शिक्षा के प्रति बनाया जायेगा। जिन गॉवों मे प्राथमिक विद्यालय हैं वहॉ की 10–12 शिक्षित और सकिय महिलाओं व शिक्षकों के समूह बनाकर उन्हे बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कार्य करने हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा।

जो गॉव,मजरे या बस्तियॉ विद्यालय से कुछ दूरी पर हैं वहां महिला प्रेरक दलों का गठन कर उन्हे प्रशिक्षित किया जायेगा। यह दल विद्यालयों मे बालिकाओं की उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करने के लिए समुदाय व शिक्षा विभाग पर दबाव बनाकर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन :

ठहराव परिक्रमाओं का मुख्य उद्देश्य बालिका शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना है। जनपद में ग्राम स्तर पर प्रति सप्ताह यह परिक्रमायें निकाली जा रही हैं। इनमें अध्यापक,अभिभावक व स्कूल के बच्चे सम्मिलित होते हैं। बहुत कम अथवा अनियमित रूप से विद्यालय आने वाले बच्चों के घर के सामने कुछ देर ठहराव परिक्रमा में सम्मिलित लोग नारे लगा कर व वार्तालाप के द्वारा इन बच्चों पर नियमित रूप से विद्यालय आने कि लिए दबाव बनाते हैं।

बच्चों की उपस्थिति के प्रति अभिभावकों को सचेत करने के लिए तारांकन प्रक्रिया के तहत उनके घरों के बाहर हरे, पीले और लाल निशान नियमानुसार लगाये जाते हैं।

माह मे 15 दिन या उससे अधिक उपस्थिति	हरा निशान
माह मे 7 दिन से 14 दिन की उपस्थिति	पीला निशान
माह मे 6 दिन से कम उपस्थिति	लाल निशान

लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण :

शिक्षकों को बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाने के लिए शिक्षकों को लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। यह प्रशिक्षण अभी केवल आदर्श संकुल के अध्यापकों को दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के बीच में ही विद्यालय छोड़ देने के कारणों तथा उनके निराकरण के उपायों पर विचार–विमर्श कर उनका संवेदीकरण किया जाना हैं।

बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु कार्यक्रम

जन–जागरण अभियान :

स्कूल चलो अभियान के बाद भी 6–14 वय–वर्ग की जिन बालिकाओं का अभी तक नामांकन नहीं हो सका है, उनका नामांकन सुनिश्चित करने के लिए जनपद में जन–जागरण अभियान चलाये जायेंगे। इसके अन्तर्गत प्रभात–फेरियॉ, जुलूस, पोस्टर, नारों का लेखन, जन–सम्पर्क कार्यक्रम तथा महिला मण्डल की बैठकों का आयोजन किया जायेगा।

क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम :

इसके अर्न्तगत समस्त ग्राम शिक्षा समितियों को बालिका शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किए जायेंगे। पूर्व में वर्ष 1998–99 में 338 ग्राम शिक्षा समितियों के 8308 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया था। इसके

उपरान्त पंचायत चुनाव हो जाने से इन समितियों का ढांचा बदल गया है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर वर्ष 2001–02 में 2दिन का प्रशिक्षण प्रस्तावित है।

उपरोक्त के अलावा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न कदम भी उठाये जायेंगे।

प्रशिक्षण :

बालिका शिक्षा के उन्नयन नामांकन एवं ठहराव हेतु अध्यापकों को इससे सम्बंधित प्रशिक्षण तथा वी0ई0सी0 के प्रशिक्षण की व्यवस्था एस0एस0ए0 के अन्तर्गत की जायेगी। ई0सी0सी0ई0 कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं को आधार भूत प्रशिक्षण डाइट द्वारा प्रदान कराया जायेगा ।

चयन :

ई0सी0सी0ई0 कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं का चयन खण्ड शिक्षा समिति द्वारा ग्राम शिक्षा समितियों की खुली बैठक में सम्पन्न कराया जायेगा ।

प्रोत्साहन :

बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की व्यवस्था की जायेगी। निःशुल्क पाठय पुस्तकें सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति के बालकों में वितरित की जायेंगी। वर्तमान छात्रांकन के आधार पर अगले वर्षो के लिए प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण का आंकलन छात्रांकन वृद्धि दर के आधार पर किया गया है।

सारिणी 8.3क

निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण (प्राथमिक विद्यालय) वर्ष 2003–04

कम सं0	परिषदीय विद्यालय	राजकीय विद्यालय	कुल योग
1	76530	3970	3970

सारिणी 8.3ख

निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण(उच्च प्राथ0 विद्यालय) वर्ष 2003--04

कम सं0	परिषदीय विद्यालय	राजकीय विद्यालय	कुल योग
1	15735	2516	18251

किशोरी केन्द्र :

बालिकाओं के शत–प्रतिशत नामांकन हेतु ग्राम स्तर पर एक किशोरी केन्द्र की स्थापना की जायेगी । यह केन्द्र उन बालिकाओं को अन्तरिम स्तर पर पढ़ने का अवसर प्रदान करेंगे जो उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा से वंचित रह जाती हैं।

किशोरी संघ :

किशोरी संघ का उद्‌भव किशोरी केन्द्र से हुआ है । यह किशोरियों का समूह है जिनका गठन स्वास्थ्य–शिक्षा, पर्यावरण, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि विषयों को ध्यान में रखकर किया गया है ।

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :

प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु उन बालिकाओं को वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में नामांकित किया जायेगा जो अपरिहार्य कारणों से स्कूल नहीं जा पातीं ।

ग्रीष्म कालीन शिविर व ब्रिज कोर्स :

बालिकाओं को सीधे ऊंची कक्षा से जोड़ने के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर व ब्रिज कोर्स सत्र चलाये जायेंगे । तथा उनके शत–प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव पर विशेष ध्यान दिया जायेगा तथा इसके लिए पूरा प्रयास भी किया जायेगा ।

अन्य गतिविधियाँ –

1. महिला संसद
2. मां–शिक्षक मेला
3. माता शिक्षक संघ

4. अभिभावक शिक्षक संघ

5. महिला प्रेरक समूह

6. मीना कैम्पेन

उपरोक्त समूहों/संगठनों, गतिविधियों का आयोजन एवं गठन करते हुए एस0एस0ए0 के अन्तर्गत इनकी सक्रियता और प्रभावी की जायेगी ।

बालिकाओं की शिक्षा के लिए सामुदायिक सहभागिता :

विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन, ठहराव एवं विद्यालयी प्रबन्धन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिला सन्दर्भ समूह का गठन एवं महिला समाख्या के साथ उनका समन्वयन, ग्राम शिक्षा समिति व माता शिक्षक संघ/अभिभावक शिक्षक संघ का गठन, ग्राम शिक्षा समितियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व एवं उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

मीना केम्पेन :

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत बालिका शिक्षा को समुदाय से उत्प्रेरित करने के लिए मीना कैम्पेन नामक विशिष्ट फिल्म प्रदर्शन आरम्भ किया गया है । यह यूनीसेफ द्वारा विकसित मीना नामक बालिका पर तैयार वृत्तचित्र है । यह बालिका शिक्षा के प्रति सामाजिक चेतना उत्पन्न करने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है ।

समानता के लिए शिक्षा :

महिलाओं के संगठन के अतिरिक्त महिला समाख्या कार्यक्रम विभिन्न आय वर्गों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु कृत संकल्प है । महिला समाख्या के कार्यक्रम में शैक्षिक एवं अन्य हस्तक्षेप, समुदायों जैसे महिला समूह के साथ मिलकर विकसित किये गये हैं।

इन प्रयासों में किशोरी केन्द्र, महिला शिक्षा केन्द्र खोलना सम्मिलित है । महिला समाख्या का शिक्षा के प्रति निम्नलिखित दृष्टिकोंण है –

1. महिलाओं की शैक्षिक प्राथमिकताओं का आदर

2. व्यक्तिगत विविधता के आधार एवं विचार विमर्श के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना ।

3. समुदाय एवं ग्रामीण स्तरीय कार्यक्रमों में महिला संघों को सामर्थ्यवान बनाना ।

4. महिला शिक्षण हेतु अनुकूल वातावरण सृजन ।

सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम :

योजना निर्माण के पूर्व विभिन्न विभागों जिला अर्थ एवं संख्या विभाग, पंचायत राज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, राजस्व विभाग, विकास विभाग के अतिरिक्त महिला समाख्या एवं स्वयं सेवी संगठनों के सहयोग एवं उनके साथ विचार विमर्श द्वारा आंकड़ों एवं तथ्यों का संकलन किया गया तथा कार्यक्रम की सफलता में इनके सक्रिय सहयोग का लक्ष्य रखा गया है ।

आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण में विभागीय गतिशीलता के साथ अर्थ एवं संख्या विभाग के सहयोग से आंकड़ों का संकलन किया गया । जबकि विकलांगता तथा मलिन बस्ती की सूचना के लिए विकलांग कल्याण अधिकारी एवं डूडा से सहयोग प्राप्त किये गया ।

वर्तमान समय में 6 से 14 वय वर्ग की शिक्षा के सार्वजनीकरण में समुदाय की सक्रिय भूमिका है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निरक्षरों की संख्या नगरीय क्षेत्र की अपेक्षा अधिक है, फिर भी नगरीय क्षेत्र की मलिन बस्तियों में बच्चे अभी भी प्राथमिक शिक्षा से बंचित हैं । इसके लिए उन क्षेत्रों में विशेषतयः ग्राम शिक्षा समितियों एवं नगरीय वार्ड शिक्षा समितियों की मांग के अनुसार विद्यालय खालने का प्रस्ताव किया गया है ।

वातावरण सृजन :

नियोजन की सफलता समुदाय के सहयोग के ऊपर निर्भर करती है, अतः नियोजन प्रक्रिया के दौरान जनपद के विभिन्न बस्तियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करके ही योजना को मूर्त रूप दिया गया है ।

यूनिसेफ सहायतित क्वालिटी गर्ल्स एजूकेशन

6-14 वयवर्ग के सभी बच्चों विशेषकर सभी बालिकाओं को गुणवत्ता परक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने सम्बंधी शैक्षिक नवाचारों हेतु जनपद बाराबंकी एवं ललितपुर में यूनीसेफ के सहयोग से बालिका शिक्षा कार्यक्रम 26.7.02 से शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमुखरूप से निम्न कार्य प्रस्तावित हैं।

- पूरक शिक्षण सामग्री, कहानी सुनाना, पुस्तकालय, पाठक मंच, विज्ञान शिक्षण (रोचक ढंग से) द्वारा प्राथमिक स्कूल व वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों को बेहतर बनाना।
- समुदाय के सहयोग से शिक्षा वंचित बालिकाओं को स्कूल से जोड़ना
- शैक्षिक गुणवत्ता के लिए नवाचार करना
- स्कूल बेहतर बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन एवं दूसरे सेक्टरों के साथ तालमेल स्थापित करना।
- बालिका शिक्षा के लिए ग्राम शिक्षा समिति, अभिभावक समिति एवं समुदाय में वातावरण तैयार करने के लिए संचार की रणनीति विकसित करना एवं लागू करना।
- बालिका शिक्षा के लिए आवासीय शिविर, ट्रान्जीटरी स्कूल, रमेडियल स्कूल जैसे वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का संचालन

क्वालिटी गर्ल्स एजूकेशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अन्तर्गत एक समन्वयक प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने का प्रस्ताव है।

नवाचार शिक्षा (कम्प्यूटर शिक्षा) :

प्रयोगात्मक तौर पर वाराणसी जिले में कार्यानुभव के रूप में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की गई, जिसमें देखा गया कि बालिकाओं के ठहराव में आशातीत वृद्धि हुई । अतः यह प्रयोग ललितपुर जिले में भी करने का प्रस्ताव है, क्योंकि बालिका शिक्षा की दृष्टि से यह जनपद पिछड़ा हुआ है । इसके अन्तर्गत प्रत्येक बी0आर0सी0 तथा ब्लाक के केन्द्रीय विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा का प्रावधान रखा गया है । इसके लिए प्रति कम्प्यूटर तथा उसके केबिन के लिए कुल 1.90 लाख रुपये व्यय होंगे ।

व्यवहारिक शिक्षा (दैनिक प्रयोगीय) :

बालिकाओं को मुख्यतः घर के उपयोग में आने वाले कार्यों के लिए दक्ष बनाने हेतु सिलाई, कढ़ाई, गृहसज्जा आदि रोजगारपरक शिक्षा प्रदान की जायेगी । प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में सिलाई मशीन प्रति 10 बालिकाओं पर एक, कढ़ाई एवं बुनाई के सामान भी उपलब्ध कराये जायेंगे।

हस्तकौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

विकासखण्ड : बिरधा – कम्बल निर्माण शिविर

बालाबेहट : कम्बल निर्माण हेतु शिविरों का आयोजन किया जायेगा। इस प्रकार के शिविरों में एसे बालक एवं बालिकाओं को (जो विद्यालय नहीं जाते है) शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कम्बल निर्माण के साथ–साथ शिक्षा भी दी जायेगी। तीन माह मे प्रशिक्षण के उपरान्त एक टेस्ट लेकर इन बालक एवं बालिकाओं को प्राथमिक विद्यालयों / विद्या केन्द्रों मे प्रवेश दिला दिया जायेगा।

विकासखण्ड : जखौरा– चन्देरी साड़ी प्रशिक्षण शिविर

राजघाट : यह शिविर 11 से 14 वय वर्ग की बालिकाओं के लिए जो ड्राप आउट हो गई है या विद्यालयों में कभी नहीं गई है या सामाजिक कुरीतियों के कारण कम आयु में विवाहित हो गयीं हैं। ऐसी बालिकाओं के लिए चन्देरी साड़ी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन राजघाट में किया जायेगा। इन शिविरों में बालिकाओं को चन्देरी साड़ी उधोग का प्रशिक्षण दिया जायेगा साथ– साथ

शिक्षित किया जायेगा। 6 माह प्रशिक्षण के उपरान्त उनका टेस्ट लेने के उपरान्त प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों मे प्रवेश दिलाया जायेगा। सभी बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड दिया जायेगा।

विकासखण्ड : मडावरा– बांस उधोग प्रशिक्षण शिविर

सौरई : इन शिविरों में 9–14 वय वर्ग क बच्चों को बांस से बनने वाली विभिन्न प्रकार की गृहोपयोगी सामाग्री बनवाई जायेगी साथ–साथ शिक्षण कार्य भी कराया जायेगा। शिविर 4 घण्टे प्रतिदिन लगायें जायेंगे जिनमे 2 घण्टे प्रशिक्षण तथा 2 घण्टे शिक्षण कार्य कराया जायेगा। इन शिविरों में प्रशिक्षक स्थानीय बांस का कार्य करने वाले रहेंगे जिनको मानदेय पर रखा जायेगा। प्रशिक्षक मानदेय रु 1500 प्रतिमाह होगा। 6 माह के प्रशिक्षण के उपरान्त इन बालक एवं बालिकाओं को विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जायेगा।

विकासखण्ड : बार एवं तालबेहट – गोरा पत्थर प्रशिक्षण शिविर

इन प्रशिक्षण शिविरों में बालक एवं बालिकाओं को पत्थर के शिल्प के बारे में प्रशिक्षित किया जायेगा। 6–14 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों को इन शिविरों में भर्ती किया जायेगा। गोरा पत्थर से विभिन्न प्रकार के सामान जैसे मूर्तियां, चकला–बेलन व कला–कृतियें को बनाने का प्रशिक्षण दिया जायेगा। ऐसे शिविरों में 40 बालक / बालिकाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा साथ–साथ इनका शिक्षण कार्य भी चलता रहेगा। 6 माह प्रशिक्षण / शिक्षण के उपरान्त इन बालक /बालिकाओं को उनकी योग्यता के आधार पर कक्षाओं में प्रवेश दिलाया जायेगा। इन शिविरों को संचालित करने के दौरान यह रणनीति भी अपनायी जायेगी कि प्रतिदिन इन शिविरों में कार्य करने वाले अनुदेशक कम से कम 2 घण्टे शिक्षण कार्य भी करेंगे। जिससे जो अशिक्षित / ड्रापआउट बालिकायें हैं उनकी शिक्षा का कार्यकम भी साथ–साथ चलता रहे।

विद्यालय की उन्नति में सामुदायिक भूमिका –

सूक्ष्म नियोजन के पश्चात विद्यालयी समस्याओं के निराकरण हेतु समुदाय से सहयोग लिया जायेगा । इसके लिए समुदाय से विद्यालय निर्माण के लिए भूमि

एवं खेलने के लिए मैदान के लिए भूमि तथा उस पर बागवानी हेतु प्रेरित किया जायेगा । विद्यालय भवन की मरम्मत, चहारदीवारी निर्माण, मिट्टी भराव तथा अन्य आवश्यक कार्यों हेतु भी समुदाय से सक्रिय सहयोग लिया जायेगा ।

राष्ट्रीय पर्व एवं अन्य पर्वों पर चेतना जाग्रति :

राष्ट्रीय पर्वों में प्रभात फेरी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी जन सहयोग लिया जायेगा। अपवंचित वर्ग के अभिभावक एवं बच्चों को इससे जोड़ा जायेगा। विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित कर सम्मानित व्यक्तियों द्वारा बच्चों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहन दिया जायेगा ।

अध्यापकीय सहयोग :

समुदाय के शिक्षित लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जायेगा कि वे विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए समय दें तथा अध्यापक के कार्य में सहयोग करें ।

विद्यालय पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण सहयोग :

ग्राम शिक्षा समिति, ग्राम के सम्मानित व्यक्ति शिक्षित एवं जागरुक अभिभावकों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि वे अपने विद्यालय की भावना से विद्यालय का सतत् पर्यवेक्षण करते रहें और मासिक अनुश्रवण भी करें ।

स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता :

समुदाय में बच्चों की शिक्षा के प्रति जाग्रति उत्पन्न करने तथा अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं । इन कार्यक्रमों में स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी । इसके लिए स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे इन प्रस्तावों का डेस्क टाप एप्रैजल तथा फील्ड एप्रैजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा । जनपद स्तर पर स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा ।

समेकित शिक्षा :

समेकित शिक्षा का आशय विकलांग बच्चों को ऐसा वातावरण प्रदान करना है जिससे उनकी सीखने की प्रक्रिया में कोई बाधा न रह जाये। वे कक्षा के सामान्य बच्चों की भांति शैक्षिक विकास प्राप्त कर सकें । इससे सामान्य बच्चों और अक्षमताग्रस्त बच्चों के बीच सभी स्तर पर स्वस्थ सामाजिक सम्बंध विकसित होने का अवसर मिलता है । इसके लिए अध्यापकों को विकलांग बच्चों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होने की जरुरत है । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन बच्चों को चेलेन्ज के रूप में स्वीकार किया गया है तथा इन्हें "फिजीकली चेलेन्ज" की संज्ञा दी गई है ।

चेलेन्ज की श्रेणियां एवं उपाय :

चेलेन्जर बच्चों की सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियां होती हैं –

1. श्रवण समबंधी
2. दृष्टि सम्बंधी
3. अस्थि सम्बंधी
4. मानसिक (शिक्षा के योग्य)
5. अधिगम की दृष्टि से अक्षम

उपरोक्त पॉच श्रेणियों के चेलेन्ज बच्चों की डाक्टरी जांच कराकर शिक्षा से जोडने के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यापक कदम उठाये जायेंगे ।

समेकित शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य :

1. चेलेन्जिंग बच्चों को समान्य बच्चों के बराबर शिक्षा के अवसर शैक्षिक अनुभव प्रदान करना।
2. इन बच्चों को अपने परिवार भाई बहिनों, पड़ोसियों तथा सामान्य छात्रों के साथ खुले और अभय वातावरण में विचारों के आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करना ।

3. चेलेन्जिंग बच्चों के प्रति समाज में प्रचलित धारणाओं, रूढ़िवादी मान्यताओं को दूर कराना और आम लोगों के मन में विकलांग बच्चों के प्रति सहजता का भाव विकसित कराना ।
4. कम उम्र से ही चेलेन्जिंग बच्चों एवं सामान्य बच्चों के बीच सामन्जस्य तथा समन्वय स्थापित करना ।
5. चेलेन्जिंग बच्चों को सामाजिक वातावरण में साधारण तरीके से सामान्य रूप से सामाजिक व्यवस्थापन सीखना ।
6. माता–पिता तथा परिवार जनों के स्नेह और भाईचारे में रहने का अवसर प्रदान करना।
7. इन बच्चों को समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से सम्पर्क करने का अवसर प्रदान करना ।

समेकित शिक्षा की आवश्यकता :

1. शिक्षा के स्तर में कमी होने के कारण समेकित शिक्षा की आवश्यकता है।
2. ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा होने के कारण ।
3. संसाधन की कमी के कारण
4. समाज में शिक्षा के प्रति जाग्रति उत्पन्न काना ।
5. बच्चों में स्वस्थ प्रतियोगिता विकसित करना ।
6. चेलेन्जिंग बच्चों की सामाजिक गतिविधियों में समान भागीदारी ।
7. मानवीय एवं भौतिक संसाधन का अधिक से अधिक प्रयोग ।
8. " सबके लिए शिक्षा" के लक्ष्य की पूर्ति हेतु ।

समेकित शिक्षा का प्रारूप :

1. संसाधन अध्यापक योजना।
2. भ्रमणशील अध्यापक योजना ।
3. सहकारी योजना (को–आपरेटिव)
4. संयुक्त योजना ।
5. दोहरी शिक्षक योजना ।

6. सामूहिक योजना ।

7. बहुनिपुण अध्यापक योजना ।

समेकित शिक्षा योजना को एस0एस0ए0 की योजना में प्रभावकारी बनाया जायेगा । इसके लिए भ्रमणशील अध्यापक योजना को मूर्तरूप प्रदान किया जायेगा । इसमें चेलेन्जिंग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति नियमित अध्यापक के साथ साथ भ्रमणशील विशेष योग्यता वाले प्रशिक्षित अध्यापक के सहयोग से सुनिश्चित की जायेगी । इस योजना में 8 से 10 विकलांग बच्चों के लिए एक विशेष अध्यापक नियुक्त किया जायेगा जो विकलांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षित होगा। इस पर अनुमानित व्यय निम्नलिखित है–

प्रारम्भ में विशेष अध्यापक प्रति ब्लाक 4 (2 श्रवणबाधित,2 दृष्टिबाधित के लिए) – कुल 24 (ललितपुर जनपद में कुल 6 ब्लाक हैं)

मानदेय प्रति अध्यापक 5000/– कुल 120000/– प्रति माह

कुल1440000/– प्रति वर्ष (आवर्तक व्यय)

चेलेन्जिंग बच्चों के लिए सहायक शिक्षण सामग्री

प्रति बी0आर0सी0 20000/– कुल 120000/– (कुल न्याय पंचायत 48)

समेकित शिक्षा के अन्तर्गत नवीन शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व मई माह में घर–घर जाकर अध्यापकों द्वारा सर्वे कराये जायेंगे । इसके लिए अध्यापकों को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति अध्यापक 500/– रुपये दिये जायेंगे ।

जून माह में अभिभावक प्रेरक शिविर लगाये जायेंगे जिसके द्वारा चेलेन्जिंग छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं व विभिन्न रोजगारों आदि में लगे चेलेन्जिंग व्यक्तियों पर बनाई गई वृत्तचित्र, पोस्टर आदि दिखाये जायेंगे जिससे सामाजिक जागरुकता उत्पन्न हो सके तथा इसी शिविर में चेलेन्जिंग बच्चों को आवश्यक उपकरण एवं उपस्कर उपलब्ध कराये जायेंगे।

जुलाई में चेलेन्जर बच्चों का नामांकन किया जायेगा। जिन चिन्हांकित बच्चों का नामांकन 30 अगस्त तक नहीं हो पाता है उन बच्चों का नामांकन

विशिष्ट अध्यापक, जिला समन्वयक व सामान्य अध्यापक की काउंसिलिंग के पश्चात 30 सितम्बर तक निश्चित रूप से करा लिये जायेंगे।

प्रत्येक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र में चेलेन्जिंग बच्चों के लिए सहायक शिक्षण सामग्री कय की जायेगी । तथा विशिष्ट अध्यापक व सामान्य अध्यापक मिलकर जिला समन्वयक के परामर्श से वितरण सुनिश्चित करेंगे । ऐसे बालक बालिकाओं को यूनीफार्म, पाठ्य पुस्तकें व लेखन सामग्री निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी । इसके लिए विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित रखा जायेगा । इसी के साथ विश्व विकलांग दिवस (3 दिसम्बर) के अवसर पर न्याय पंचायत स्तर से जिला स्तर तक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर पुरस्कार वितरित किये जायेंगे ।

जिला स्तर पर अति गंभीर दृष्टि बाधित एवं अति गंभीर श्रवण बाधित बच्चों के लिये आवासीय विद्यालय खोला जायेगा। इस विद्यालय में बच्चों को पलंग बिस्तर, ड्रेस, कबर्ड व भोजन की सुविधा निःशुल्क मिलेगी। प्रति 8–10 बच्चों के लिये एक विशेष अध्यापक नियुक्त किया जायेगा। कुल बच्चे श्रवण बाधित चालीस बच्चे नामांकित किये जायेंगे।

अधीक्षक	–	1
विशेष अध्यापक	–	4
रसोइया	–	1
आया	–	1
चौकीदार	–	1
पलंग	–	80
बिस्तर	–	80
ड्रेस	–	80
कबर्ड	–	80

समेकित शिक्षा योजना सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है । इसमें यदि गम्भीर चेलेन्जिंग बच्चों को बंचित रखा गया तो

इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पायेगी । एक शिक्षा सत्र में दो बार अर्थात् माह नवम्बर तथा अप्रैल में जनपद के सभी चेलेन्जिंग छात्र–छात्राओं को दो अलग–अलग समूहों में विभाजित कर उनका तीन दिवसीय आवासीय शिविर लगाया जायेगा जिससे ये आपस में एक दूसरे को जान सकें तथा अपनी समस्याओं एवं हीन भावना से मुक्त हो सकें ।इससे इनका अकेलापन भी दूर होगा । वे अपने ही समान अन्य साथियों को देखेंगे । जिससे स्वस्थ्य प्रतियोगिता की भावना का विकास होगा और वे शिक्षा तथा समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे ।

अध्याय. –9

प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन

ललितपुर जनपद में शैक्षिक गुणवत्ता की स्थिति :

वैसे तो ललितपुर जनपद के शैक्षिक परिदृश्य में पिछले कुछ वर्षों के दरम्यान गुणात्मक और सकारात्मक परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं, किन्तु अभी भी इस तस्वीर में बहुत से रंग भरने बाकी हैं । विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से सबको शिक्षित करने का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में अनेक उपलब्धियाँ प्राप्त की गई हैं, फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है ।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,ललितपुर

जनपद ललितपुर की डायट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अर्न्तगत द्वितीय चरण में वर्ष 1996 हूई। यह संस्थान जनपद मुख्यालय पर स्थिति है। इस संस्थान के प्रमुख कार्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं गुणवत्ता संवर्धन करना,शैक्षिक क्षेत्र में अभिकर्मियों को शैक्षिक प्रशिक्षण प्रदान करना, प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान हेतु कियात्मक शोध करना तथा जनपद के शैक्षिक ऑकड़ों का संकलन एवं विशलेषण और तद्नुसार उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संस्थान में सात विभागों की स्थापना की गई है। स्थापित विभागों का विवरण निम्नवत है :–

1– जिला संसाधन इकाई विभाग।

2– सेवा पूर्व विभाग।

मित्र को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करना इस विभाग का मुख्य लक्ष्य है। जिससे वे अध्यापक के रूप में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें। प्रशिक्षण में सामुदायिक शिविरों का भी आयोजन किया जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002–2007 तक सेवा पूर्व विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना :–

वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण	बे0टी0सी0 एवं शिक्षा मित्र (30 दिवसीय) प्रशिक्षण	बी0टी0सी0 प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य	बी0टी0सी0 प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य	बी0टी0सी0 प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवा पूर्व विभाग द्वारा वर्ष 2002–03 में शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण ,वर्ष 2003–04 में बी0टी0सी0 एवं शिक्षा मित्र का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा तथा वर्ष 2004–05,2005–2006 एवं वर्ष 2006–2007 में बी0टी0सी0का प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य प्रस्तावित है।

3– सेवारत विभाग :–

अध्यापक के लिए अध्यापन में होने वाली नवीनतम तकनीकी ज्ञान की जानकारी आवश्यक है एक अध्यापक के प्रभावशाली शिक्षक होने के लिए नियमितरूप से अपने ज्ञान में वृद्धि तथा व्यवस्थिति दक्षता को बढ़ाना होगा। जिस प्रकार देश की रक्षा में लगी सेना को सदैव नवीन युद्ध कौशल की जानकारी देकर अभ्यास कराया जाता है उसी प्रकार राष्ट्र निर्माण में लगे हुए अध्यापक को सेवारत विभाग द्वारा नई–नई तकनीकी ज्ञान की जानकारी प्रदान की जाती है। यह विभाग सेवा मे लगे हुए अध्यापकों को समय–समय पर

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002–2007 तक कार्यानुभव विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना :–

वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
छात्राध्यापकों को निर्मूल्य सहायक सामाग्री का निर्माण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों को डायट पर कार्य करने के लिए तैयार करना तथा क्षेत्र में जाकर अध्यापकों की भी मदद करना।	सेवारत अध्यापकों का निर्मूल्य सहायक सामाग्री का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण तथा छात्राध्यापक का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों को ऑवले की खेती एवं फल संरक्षण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों को कार्य करने के लिए प्रेरित करके क्षेत्र में ले जाना।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यानुभव विभाग द्वारा वर्ष 2002–07 तक उपर्युक्त सारिणी के अनुसार कार्य को सम्पन्न कराया जायेगा।

5– शैक्षिक तकनीकी विभाग :–

वर्तमान वैज्ञानिक युग में छात्रों को वैज्ञानिक उपलब्धियों से परिचित कराने दैनिक जीवन में विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग की जानकारी प्रदान करना व नवीन शैक्षिक उपकरणों का शिक्षण में उपयोग कैसे करें। छात्रों को जानकारी कराना आवश्यक हो गया है। अतः शैक्षिक तकनीकि का मुख्य उद्देश्य/अल्व व्यय,अल्प समय तथा अल्प सुविधाओं द्वार अधिकाधिक विद्यार्थीयों को उच्च स्तरीय व्यवाहारिक ज्ञान देना है। संस्थान का शैक्षिक तकनीक विभाग विभिन्न शैक्षिक उपकरणों द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा गुणवत्ता संवर्धन सम्बन्धी प्रशिक्षणों को सफल बनाया जा रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002–2007 तक शैक्षिक तकनीकी विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना :–

वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
सेवारत अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों को शैक्षिक तकनीकी उपकरण का प्रशिक्षण सहायक सामाग्री निर्माण का प्रशिक्षण ।	सेवारत अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों को शैक्षिक तकनीकी उपकरण का प्रशिक्षण सहायक सामाग्री निर्माण का प्रशिक्षण।	छात्राध्यापकों को शैक्षिक उपकरणों एवं अल्प दाम की सहायक सामाग्री के निर्माण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों को शैक्षिक उपकरणों एवं अल्प दाम की सहायक सामाग्री के निर्माण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों को शैक्षिक उपकरणों एवं अल्प दाम की सहायक सामाग्री के निर्माण का प्रशिक्षण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक तकनीकी विभाग द्वारा वर्ष 2002–07 तक उपर्युक्त सारिणी के अनुसार कार्य को सम्पन्न कराया जायेगा।

6– पाठ्यक्रम सामाग्री विकास एवं मूल्याकंन विभाग :–

पाठ्यक्रम शिक्षा का एक महत्वूर्ण अंग है। पाठ्य निर्माध के समय छात्र की आयु, उसकी मानसिक क्षमता/योग्यता,परिवेशीय आवश्यकतायें,सुलभ साधन छात्रों का विषयक्रम उनका वर्ग आदि विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। पाठ्यक्रम के निर्माण में भाषा तथा शैली पर ध्यान रखकर पाठ्यक्रम बनाया जाता है। मूल्यांकन से यह ज्ञात किया जाता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण सही दिशा में किया गया है शिक्षक अपने प्रयास में कहॉ तक सफल है। सतत् एवं व्यापक मूल्याकंन के उपागम के अनुप्रयोग के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति सहज में सम्भव बनायी जा सकती है। उपर्युक्म विचारों की दृष्टि में रखते हुए संस्थान

का पाठ्यक्रम सामाग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग इस क्षेत्र मे निरन्तर प्रयत्नशील है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002–2007 तक सामाग्री विकास एवं मूल्याकंन विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना :–

वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन होगा पाठ्यक्रम का मूल्यांकन सतत रूप से होगा ।	प्रइमरी व उच्च प्राइमरी के पाठ्यक्रम में नैतिक मूल्यों का समावेश सुनिश्चित किया जायेगा।	राष्ट्रीय मूल्यों जैसे धर्म निरपेक्षता समानता, लोकतन्त्र लिंग भेद आदि का पाठ्यक्रम में समावेश किया जायेगा।	अध्यापकों और छात्रों को नैतिक एवं राष्ट्रीय मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जायेगा।	सृजित पाठ्यक्रम सामाग्री विकास एवं नैतिक मूल्यों का मूल्यांकन कार्यक्रम कराया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पाठ्यक्रम सामाग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग द्वारा वर्ष 2002–07 तक उपर्युक्त सारिणी के अनुसार कार्य को सम्पन्न कराया जायेगा।

7– नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग :–

संस्थान का नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग संस्थागत नियोजन प्रशिक्षण कार्यक्रम को नियोजन, मानव संसाधन का विकास,सामुदायिक सहभागिता में वृद्धि, कार्यशालाओं एवं सेमिनारों का प्रबन्ध एवं ई0एम0आई0एस0 का विकास करना आदि कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002–2007 तक नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना :–

वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
डायट स्तर पर जनपद की सभी संस्थागत शिक्षण इकाईयों का वृहद कार्य नियोजन किया जायेगा।	डायट द्वारा निर्धारित कार्य नियोजन का शिक्षा अभिकर्मियों का प्रशिक्षण द्वारा जानकारी कराना एवं कियान्वयन कराना।	ई0एम0आई0एस0 की कार्य प्रणाली को विधिवत जानकारी कराने के बाद कार्यरूप देना जिससे वास्तविक जानकारी प्राप्त की जायेगी।	अध्यापकों के शिक्षा कौशल विकास से सम्बन्धित कार्यक्रम।	नियोजन एवं प्रबन्ध के लिए किये समस्त प्रयासों की जानकारी हेतु मूल्यांकन कार्यक्रम।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग द्वारा वर्ष 2002–07 तक उपर्युक्त सारिणी के अनुसार कार्य को सम्पन्न कराया जायेगा।

नोट :– एस0आई0ई0 / एस0सी0ई0आर0टी0 / सीमैट / एस0पी0ओ0 द्वारा निर्दिष्ट / निर्धारित कार्यक्रमों को सभी विभागों में समायोजित करेंगे।

सन् 1997 ई0 में जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था । इस परियोजना के तहत भौतिक सुविधाओं एवं संसाधनों में वृद्धि के साथ–साथ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यक्रमों का संचालन किया गया । जिला स्तर पर डायट के नेतृत्व में पृथक–पृथक चरणों में विविध कार्य किये गये । इनमें कार्यशाला प्रशिक्षण, अकादमिक पर्यवेक्षण, शिक्षकों को कार्यस्थल पर सहयोग आदि शामिल हैं। इस कार्य में बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों ने भी उल्लेखनीय भूमिका निभायी । इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों के कार्य एवं दायित्व सम्बन्धी डाइट स्तर पर पांच दिवसीय तथा अकादमिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण देने के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये। शिक्षण

सामग्री मेलों का आयोजन, समन्वयकों द्वारा स्कूलों का नियमित भ्रमण, आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण तथा विद्यालयों, एन0पी0आर0सी0 और बी0आर0सी0 का उनके भौतिक एवं अकादमिक पक्षों के आधार पर वर्गीकरण आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया गया ।

उपरोक्त कार्यक्रमों में भरसक प्रयत्न करने के बाद भी यह पाया गया है कि प्रभावी क्रियान्वयन न हो सकने के कारण अपेक्षित परिणाम भी प्राप्त नहीं हो सके । इस कार्यक्रम से आच्छादित क्षेत्रों में तो शिक्षकों और विद्यालयों की अकादमिक आवश्यकताओं को बड़ी हद तक पूर्ण किया जा सका किन्तु जो क्षेत्र अनाच्छादित रह गये वहाँ निम्न तथ्य देखने को मिले :–

- उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों तथा शिक्षकों की आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान नहीं दिया सका क्योंकि संचालित कार्यक्रम में इनके लिए कोई प्रावधान नहीं था।
- अशासकीय हाई स्कूल, इण्टर कालेज के साथ संचालित उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में न लाये जाने से उन बच्चों की शैक्षिक आवश्कताओं/कठिनाइयों के निवारण तथा शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार एवं शिक्षकों की कठिनाइयों को दूर नहीं किया जा सका ।
- अशासकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों व शिक्षकों की अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं पर भी ध्यान नहीं दिया गया ।
- मकतब/मदरसों के बच्चे एवं शिक्षकों को भी प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का कोई लाभ नहीं दिया जा सका ।
- जनपद में स्थित राजकीय आदर्श विद्यालय को भी अब तक संचालित योजना के अन्तर्गत कोई लाभ प्रदान नहीं किया गया । ललितपुर जनपद में विद्यालयों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है ।

- ♦ जनपद में राजकीय परिषदीय प्रा0वि0 की संख्या 754
- ♦ जनपद में राजकीय परिषदीय उ0प्रा0वि0 की संख्या 181
- ♦ जनपद में मा0वि0 की संख्या (कक्षा 6,7,8 संचालित हैं) 23
- ♦ जनपद में ई0जी0एस0 केन्द्रों की संख्या 144
- ♦ जनपद में वैकल्पिक केन्द्रों की संख्या 85
- ♦ जनपद में मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय 46
- ♦ जनपद में मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय 147
- ♦ स्कूल पूर्व शिक्षा (ई0सी0सी0ई0) 148

प्राथमिक शिक्षा के सर्वाभौमिकरण में स्कूल पूर्व शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए जनपद में शिशु शिक्षा को प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई गई। इसके लिए प्रत्येक ब्लाक से 25 अर्थात् कुल 6 ब्लाकों से 150 आंगनबाड़ी केन्द्रों का चयन कर उन्हें शिशु शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित किया गया। इन केन्द्रों की कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं को डायट में 7 दिन का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में इनके लिए दो दिन का रिफ्रेशरी कोर्स भी आयोजित किया गया । सबंधित एन0पी0आर0सी0 एवं बी0आर0सी0 समन्वयकों को भी पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण दिया गया । इन केन्द्रों का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि बच्चे विशेषकर बालिकाओं को अपने छोटे भाई–बहिनों की देखभाल से मुक्त कर उन्हें विद्यालय में पढ़ने का अवसर उपलब्ध कराया गया। डी0पी0ई0पी0 की ओर से इन केन्द्रों की कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय,प्रशिक्षण तथा प्रति वर्ष 7 दिन के पुनश्चर्या प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए खेल सामग्री, उपकरण तथा प्रशिक्षण सामग्री के लिए 5 हजार रुपये तथा आकस्मिक खर्च के लिए 1500 रुपये प्रदान किये गये। ग्राम शिक्षा समितियों तथा प्रधान अध्यापकों को भी शिशु शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण से जोड़ा गया ।

इस प्रयोग के अत्यन्त सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए। जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं

1. विद्यालयों में बच्चों विशेषकर बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है।
2. बच्चों में विद्यालय में पूरे समय तक रुके रहने की प्रवृत्ति विकसित हुई है।
3. बच्चों में शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ा है।

ग्राम शिक्षा समिति :

शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य प्राप्त करने में सामाजिक सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया। यह समितियाँ विद्यालय प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहीं है। ग्राम पंचायत में स्थित संचालित परिषदीय विद्यालय का वरिष्ठतम प्रधान अध्यापक इस समिति का सदस्य सचिव होता है। विद्यालय में अध्ययनरत तीन छात्रों के अभिभावकों (जिनमें एक महिला) को समिति का सदस्य नामित किया गया है। यह सदस्य सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित किये जाते है।

समिति के प्रमुख उत्तरदायित्व विद्यालय भवन की मरम्मत आवश्यकतानुसार भवन निर्माण कराना है। विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्य का पर्यवेक्षण भी यह समिति करती है। ललितपुर जनपद में डी0पी0ई0पी0 के तहत डायट द्वारा 338 ग्राम शिक्षा समितियों के 5785 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के लिए जिला संसाधन एवं ब्लाक संसाधन समूह का गठन किया गया। ब्लाक संसाधन समूह में नेहरु युवा केन्द्र के स्वयं सेवकों शिक्षकों तथा स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि सम्मिलित है। समूह के सदस्यों को डायट द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद इन प्रशिक्षित सदस्यों ने ग्राम शिक्षा समितियों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण आयोजित किये। ग्राम स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षणों के मुख्य बिन्दु इस प्रकार है –

1. प्रतिभागिता पर विश्लेषण एवं समस्या समाधान तथा अभ्यास कार्य।
2. कौशल निर्माण अभ्यास कार्य ।
3. समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समितियों के अभ्यास का प्रस्तुतीकरण।
4. प्रतिभागिता उपागम, रोल–प्ले,केस–स्टडी, क्षेत्र भ्रमण तथा सम्प्रेषण अभ्यास।

ग्रामीण शिक्षा के लिए स्थानीय स्तर पर ही योजनायें बनें इस उद्देश्य को ध्यान में रख स्कूल मैपिंग तथा माइक्रोप्लानिंग अभ्यास के आधार पर ग्राम शिक्षा योजनायें तैयार की गई। इन योजनाओं का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर किया जाता है।

विद्यालय स्तर पर नियोजन स्कूल न आने वाले बच्चों को चिन्हित कर उन कारकों का पता लगाया गया, जिनके कारण वे स्कूल नहीं आ रहे है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के दौरान ग्राम शिक्षा समिति कार्य पुस्तिका तथा ग्राम शिक्षा समिति संकल्प एवं प्रयास नामक मार्ग दार्शिका का उपयोग किया गया। ग्राम शिक्षा समितियों के अस्तित्व में आने से जहां विद्यालय की गतिविधियों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ी है वहां स्थानीय स्तर पर विद्यालय के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण भी सम्भव हुआ। इससे स्कूल न आने वाले बच्चों विशेषकर बालिकाओं के नामांकन में भी वृद्धि हुई है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर द्वारा जनपद में कराये गये क्लासरूम प्रोसेस अध्ययन के आधार पर सर्वेक्षण में पाया गया कि मुश्किल से आधे विद्यालयों में ही ग्राम शिक्षा समितियों की नियमित बैठकें हो रही हैं। समुदाय की भागीदारी बढ़ाने में बाधक बनने वाले मुख्य कारण इस प्रकार है :–

1. ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतर अभिभावक निरक्षर या अल्प शिक्षित हैं इस कारण अपने बच्चों को न तो वह गृह कार्य में सहयोग कराते है और न ही बच्चे की शिक्षा गतिविधियों में रुचि लेते हैं।
2. ग्रामीण अभिभावकों का अधिकांश समय कृषि कार्य अथवा मजदूरी में व्यतीत होता है। वे अपने बच्चों के शिक्षक से संवाद न के बराबर करते हैं।
3. अभिभावकों अथवा बड़े भाई बहिनों का सहयोग न मिलने से बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए पुर्णतः शिक्षक पर अवलम्बित रहते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम शिक्षा समितियाँ शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन में योगदान देने में पूरी तरह सक्षम साबित नहीं हुई हैं। प्रायः यह देखा गया हैं कि समिति के सदस्य व्यवस्थापन सम्बधी कार्य में तो रुचि लेते हैं, किन्तु कक्षा शिक्षण से

जुड़ने की इच्छा का उनमें सर्वथा अभाव देखा गया है। प्रायः समिति के सदस्य बैठक में उपस्थित ही नहीं होते। समिति के गठन का वर्तमान मापदण्ड भी इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दु दृष्टब्य हैं –

– ललितपुर जनपद में लगभग 33 प्रतिशत ग्राम पंचायतों की प्रधान ऐसी महिलायें हैं जो निरक्षर या अल्प साक्षर है समिति की बैठकों में ये महिलायें स्वयं न आकर अपने पति को भेज देती है जो समिति के प्रति जबाबदेह हैं ही नहीं।

– समिति के अन्य तीन सदस्यों की स्थिति भी ज्यादातर गांवों में यही होती है कि बैठक का आमंत्रण भेजने पर वे कह देते हैं कि हम तो खेत/मजदूरी पर जा रहे हैं, आप जो भी तय करेंगे, हम लौटकर उस पर अंगूठा लगा देंगे ।

– यह देखा गया है कि सम्बंधित प्रधानाध्यापक भी धीर–धीरे इसी ढर्रे का आदी हो जाता है, पणिामस्वरूप या तो बैठकें होती ही नहीं, अथवा मात्र कागजी खानापूरी कर ली जाती है ।

ऐसी स्थिति में समिति के गठन का मूल उद्देश्य ही बेमानी हो जाता है । समिति को सक्रिय और सार्थक बनाने के लिए निम्न सुझाव प्रस्तावित हैं–

– समिति के गठन का मापदण्ड परिवर्तित हो, उसकी सदस्य संख्या बढ़ाई जाये तथा समिति के अध्यक्ष का शिक्षित होना अनिवार्य हो।

– समिति के जो सदस्य लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहें, उनकी सदस्यता समाप्त कर उनके स्थान पर नये सदस्य और यथा संभव शिक्षित सदस्य नामांकित किये जायें ।

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार पंचायतों का प्रधान समिति का अध्यक्ष एवं वरिष्ठतम प्रधान अध्यापक सदस्य सचिव है। ग्राम सभा में एक से अधिक विद्यालय होने की स्थिति में समिति के सुझावों/व्यवस्थाओं से वही विद्यालय अधिक लाभान्वित हो पाते हैं जो अध्यक्ष समिति के निवास स्थान पर संचालित हैं अथवा जिस विद्यालय में समिति के सदस्य सचिव कार्यरत है ।

ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत पर एक से अधिक विद्यालय संचालित होने की दशा में प्रत्येक विद्यालय का प्रधान अध्यापक समिति का सदस्य नामित हो एवं आवर्तन प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित समयानुसार समिति की बैठक संचालित की जावे।

जो नामांकित बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, उनकी सूची बनाकर समिति के सदस्यों को देकर नामजद जिम्मेदारी सौंपी जाय कि वे उक्त बच्चों के अभिभावको से सम्पर्क कर बच्चों को स्कूल तक लायें । अगली बैठक में यह समीक्षा भी हो कि सदस्यों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किस हद तक किया।

ऐसा हुए बिना ग्राम शिक्षा समितियों को कक्षा–कक्ष से सीधे नहीं जोड़ा जा सकता।

शिक्षकों को सहयोग समर्थन :

यह निर्विवाद है कि कक्षा–शिक्षण की प्रकिया में सुधार, बच्चों में शिक्षा के प्रति ललक उत्पन्न करने तथा शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक की ही होती है। डी0पी0ई0पी0 प्रारम्भ होने से पूर्व चल रहे एस0ओ0पी0टी0 के आकलन में यह पाया गया कि –

- ❖ शिक्षकों के लिये संचालित किये जा रहे प्रशिक्षण कार्यकमों की विषयवस्तु शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होती थी। शिक्षक किसी भी स्तर के हों उनके प्रशिक्षण की विषयवस्तु एक ही होती थी।
- ❖ एस0ओ0पी0टी0 में प्रशिक्षण के लिये समस्त शिक्षकों को अवसर नहीं दिया जाता था।
- ❖ विकासखण्ड और न्याय पंचायत स्तर पर प्रशिक्षित शिक्षकों को "फीड बैंक" देने की कोई व्यवस्था नहीं की गई।

❖ उक्त प्रशिक्षण में व्यवहारिक व दूरदर्शिता का अभाव होने के कारण कक्षा की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया।

उक्त खामियों को ध्यान में रखते हुये डी0पी0ई0पी0 के कियान्वयन के समय यह प्रयास किया गया कि शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं के अनुरूप ही प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किये जायें। तदनुरूप जिले के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के लिये सेवारत प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया। शिक्षकों को शिक्षा की नवीनतम विधियों से अवगत कराने के लिये पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किये गये। डाइट ने मास्टर ट्रेनर्स तथा संदर्भ व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

शिक्षकों को शैक्षिक समर्थन प्रदान करने के लिये जिला, ब्लाक तथा न्याय पंचायत स्तर पर समन्वयकों की व्यवस्था है। एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों द्वारा प्रतिमाह विद्यालयों का अकादमिक पर्यवेक्षण किया जाता है। शिक्षकों द्वारा शैक्षिक व विद्यालयीन परिवेश से सम्बन्धित जो समस्यायें बताई जाती हैं। उन्हें उनका समाधान सुझाया जाता है। जिला समन्वयकों, बी0आर0सी0 समन्वयकों एवं डाइट के मेन्टर द्वारा भी विद्यालयों का अकादमिक पर्यवेक्षण कर अपेक्षित सुधार के लिये उपयुक्त निर्देशन एवं सुझाव प्रदान किये जाते हैं।

"शैक्षिक समर्थन" देने के लिये डाइट के सदस्यों, निरीक्षक वर्ग, बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों के लिये शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से डाइट स्तर पर तैयार किये गये पैरामीटर्स/इंडीकेटर्स का प्रयोग करते हुये विद्यालयों, बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 को श्रेणीबद्ध किया जा रहा है। जनपद में ग्रेडिंग के अनुसार स्कूलों की स्थिति निम्नवत है :–

सारणी 9.1

ब्लाकवार विद्यालय श्रेणीकरण

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	स्कूलों की सं0	श्रेणी			
			ए0	बी0	सी0	डी0
1	जखौरा	123	12	91	18	02
2	महरौनी	107	06	83	15	03
3	मड़ावरा	118	08	65	43	02
4	तालबेहट	139	06	103	27	03
5	बिरधा	133	07	74	49	03
6	बार	106	03	94	07	02
7	नगर क्षेत्र	27	0	16	08	03
		753	42	526	167	18

स्रोत : डाइट से प्राप्त

ग्रेडिंग की यह व्यवस्था शैक्षिक, भौतिक, तथा सतत् व्यापक मूल्यांकन के आधार पर की गई है। इस बात का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है कि डी ग्रेड वाले विद्यालयों को यथाशीघ्र उच्च श्रेणी में लाया जाये। इसके लिये उच पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए जनपद में प्रत्येक जिला समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रति उच विद्यालय निरीक्षक, बी0आर0सी0 समन्वयक,एन0पी0आर0सी0 समन्वयक तथा डाइट मेन्टर को निम्न श्रेणी वाला एक–एक विद्यालय आदर्श बनाने हेतु आवंटित कर दिया गया है और इसके लिए दो माह का समय दिया गया है। दो महीने बाद डाइट में प्रत्येक विद्यालय की बिन्दुवार समीक्षा कर इस दिशा में हुई वास्तविक प्रगति का आकलन किया जायेगा तद्नुसार यदि कोई समस्या सामने आती है तो उसके निराकरण के लिए अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी।

विभिन्न स्तर के पर्यवेक्षण के दौरान जो मुददे अथवा समस्यायें चिन्हित की जाती हैं। उनका निस्तारण मासिक बैठकों/कार्यशालाओं में किया जाता है।

डायट स्तर पर आयोजित तीन दिवसीय शैक्षिक अनुसमर्थन एवं अनुश्रवण को प्रभावी बनाने एवं डायट, बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 विद्यालयों को किस प्रकार अनुसमर्थन दे सकते हैं। इसका एक प्रवाह चित्र भी बनाया गया है।

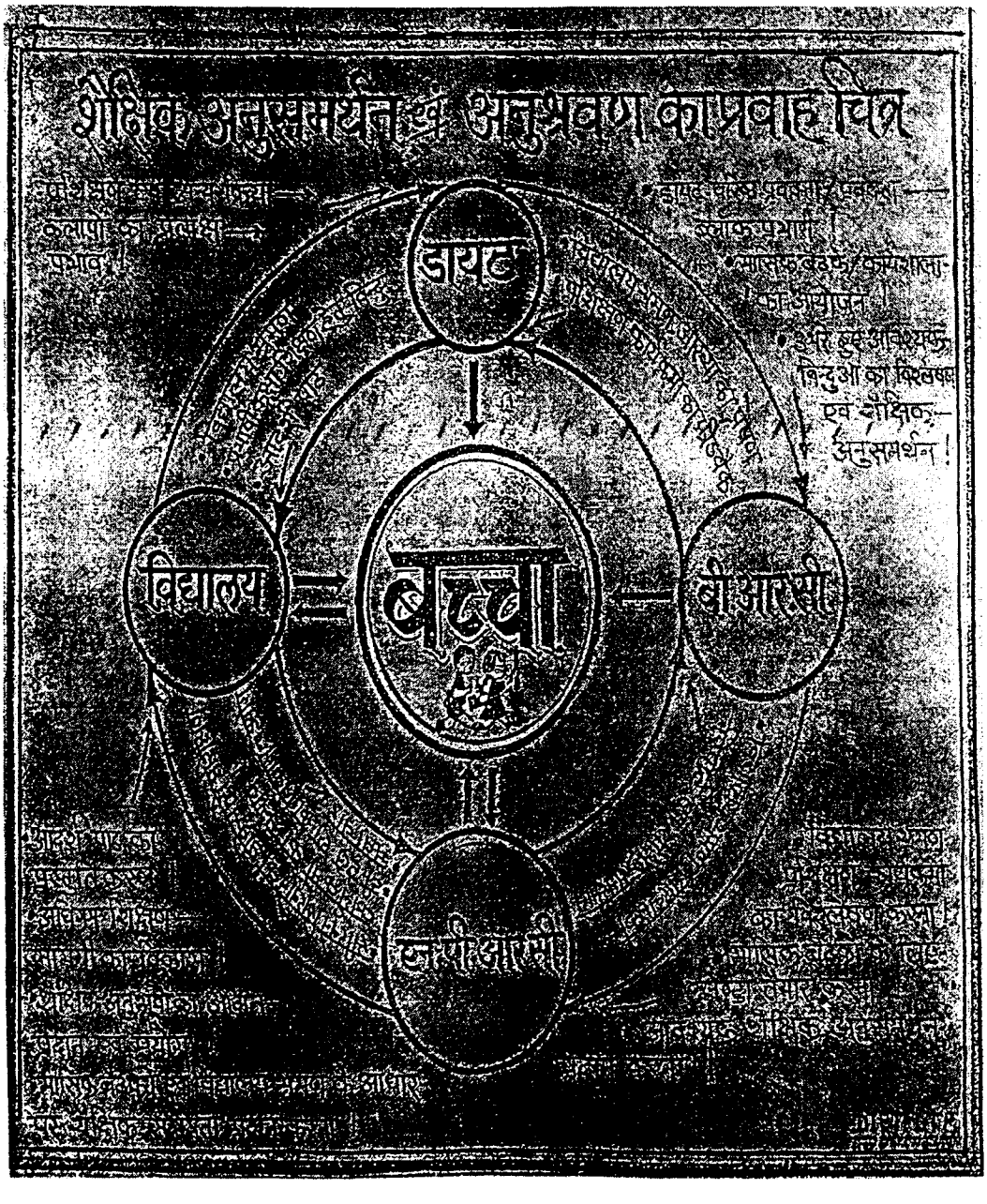

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण प्राथमिक स्तर :

डी0पी0ई0पी के अंतर्गत शिक्षकों को पांच चक का प्रशिक्षण दिया जाना है। ललितपुर जनपद में अभी तक तीन चक का प्रशिक्षण दिया जा चुका हैं। प्रथम चक के प्रशिक्षण में 1710, द्वितीय चक में 1515 तथा तृतीय चक के प्रशिक्षण में 1643 शिक्षक सम्मलित हुये। प्रथम चक का प्रशिक्षण डायट स्तर पर तथा द्वितीय एवं तृतीय चक के प्रशिक्षण ब्लाक स्तर पर आयोजित किये गये।

प्रशिक्षकों के चयन के लिये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का खुली प्रतियोगिता द्वारा चयन किया गया। इन चयनित शिक्षकों को टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण डायट स्तर पर जनपद से बाहर के राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों द्वारा दिया गया है। द्वितीय तथा तृतीय चक के प्रशिक्षण के लिये भी प्रशिक्षकों का चयन खुली प्रतियोगिता द्वारा किया गया।

प्रथम चक का प्रशिक्षण, शिक्षक अभिप्रेरण प्रशिक्षण, शीर्षक पर आधारित था। इस दस दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण **"शिक्षकोदय"** के मुख्य बिन्दु इस प्रकार थे :–

- शिक्षकों को अभिप्रेरित कर अपने दायित्वों के प्रति जागरूक बनाना।
- समुदाय की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष बल।
- लैगिंक भेदभाव समाप्त करने तथा बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने की पहल करना तथा उनके प्रति संवेदनशील बनाना।
- शिक्षण में बच्चों की सकियता और भागीदारी बढ़ाना।
- कक्षा के वातावरण को रोचक एवं जिज्ञासापूर्ण बनाना।
- सहायक सामग्री के प्रयोग से शिक्षण सहज और रोचक बनाना।
- गतिविधियों पर आधारित शिक्षण को प्रोत्साहित करना।

द्वितीय चक के प्रशिक्षण **"सबल"** की व्यवस्था ब्लाक स्तर पर ब्लाक समन्वयकों द्वारा की गई। इस प्रशिक्षण में शिक्षकों को आठ दिन का प्रशिक्षण

दिया गया तथा बी0आर0सी0 व एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को दो दिन का अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया गया। द्वितीय चक में प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु निम्नांकित थे :–

- विषय वस्तु पर आधारित प्रशिक्षण।
- दक्षता आधारित शिक्षण पर विशेष बल।
- सहायक सामग्री के निर्माण एवं उसके प्रयोग की जानकारी।
- विभिन्न विषयों के लिये गतिविधियों का निर्माण करना एवं उनके द्वारा शिक्षण करना।

तृतीय चक **"साधन"** के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी ब्लाक स्तर पर ब्लाक समन्वयकों द्वारा की गई। इस बार भी बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को दो दिन का अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया गया।

तीसरे चक के प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार थे :–

- नवीन पाठ्यपुस्तकों के बारे में विस्तृत जानकारी।
- कक्षा शिक्षण में शिक्षक संदर्शिकाओं का उपयोग कैसे करें।
- वास्तविक कक्षा शिक्षण अभ्यास पर विशेष बल।
- विषयवार एवं पाठवार शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण।
- बहुकक्षा शिक्षण एवं बहुश्रेणी शिक्षण।
- समय का प्रबंधन कैसे करें ? जिससे अधिक से अधिक समय शिक्षण कार्य हेतु दिया जा सके।
- सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रकिया का विद्यालयों में प्रयोग।

उच्च प्राथमिक स्तर :

डी0पी0ई0पी0 योजना में उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। इनके लिये भी प्रशिक्षण की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

सारणी 9.2

जनपद में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता की स्थिति :

क्रम सं0	शैक्षिक योग्यता	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1	शिक्षकों की कुल संख्या	1551	387
2	हाईस्कूल से कम योग्यता धारी शिक्षक	42	1
3	केवल हाईस्कूल उत्तीर्ण	349	42
4	केवल इण्टरमीडियेट उत्तीर्ण	784	209
5	स्नातक	376	135
	योग	1551	387
	प्रशिक्षित	1475	383
	अप्रशिक्षित	76	4

स्रोत : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,कार्यालय

उक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि ललितपुर जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में 42 शिक्षक हाईस्कूल से कम योग्यता वाले हैं, जिन्हें विभिन्न विषयों से संबंधित विषय वस्तु का ज्ञान देने की विशेष आवश्यकता है। जनपद में 76 शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। इन्हें बाल मनोविज्ञान, शिक्षण विधियों तथा अन्य शिक्षण विधाओं का प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 42 शिक्षक हाईस्कूल की योग्यता रखते हैं इन्हे भी विषयवार शिक्षण विधियों तथा अन्य शिक्षण विधाओं का प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है।

सारणी 9.3

जनपद में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण अनुभव के अनुसार स्थिति :

क0 सं0	शिक्षण अनुभव	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1	5 वर्ष से कम	501	44
2	5 से 10 वर्ष तक	245	76
3	10 से 15 वर्ष तक	205	65
4	15 से 20 वर्ष तक	210	33
5	20 से 25 वर्ष तक	111	48
6	25 से 30 वर्ष तक	117	30
7	30 से अधिक	151	84
	योग	1551	387

स्रोत : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,कार्यालय

इस सारणी से पता चलता है कि जनपद में 501 शिक्षक ऐसे हैं जिनका शिक्षण अनुभव पॉच वर्ष से कम है। इनको शिक्षण की विभिन्न विधाओं यथा बहु कक्षा शिक्षण, विद्यालय, समय सारणी, कक्षा प्रबंधन आदि की विशेष जानकारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता हैं सारिणी के अनुसार 268 शिक्षक 25 वर्ष अथवा उससे अधिक सेवा अवधि वाले हैं। इनको नवीनतम विषय वस्तु के अनुसार अद्यतन ज्ञान उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर भी 44 शिक्षक ऐसे हैं जिनका शिक्षण अनुभव पॉच वर्ष से कम है तथा 114 शिक्षक 25 वर्ष अथवा उससे अधिक सेवा अवधि वाले हैं। इन्हें भी विषयवार अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। यह भी महसूस किया गया हैं कि दक्ष, योग्य उत्साही तथा नवाचार कार्यकमों को संचालित करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करने की आवश्यकता है। इस बात पर भी

विशेष बल दिया जायेगा कि छात्र–शिक्षक तथा अभिवावक मिल–जुलकर विद्यालय तथा उसके आसपास के परिवेश को स्वच्छ, सुन्दर तथा आकर्षक बनाने के लिये योजनाबद्ध ढंग से आवश्यक कदम उठायेंगे। कक्षा–कक्षों के अन्दर व बाहरी दीवारों पर वर्णमाला, अंकज्ञान सम्बन्धी चार्ट, कहानी–चित्रण तथा नीति वाक्य अंकित करवायेंगे, जिससे बच्चों के मन में निरंतन शिक्षित एवं अच्छे नागरिक बनने की ललक बनी रहे।

प्रशिक्षणों का कक्षा में प्रभाव :

डाइट मेन्टर द्वारा विद्यालयों के भ्रमण तथा बी0आर0सी0 समन्वयकों द्वारा प्रशिक्षण के फालोअप के तहत प्रशिक्षणोपरान्त विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों व शिक्षकों से चर्चा करने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों (एकाध अपवाद को छोड़कर) में अपने दायित्व के प्रति उत्साह एवं जागरूकता बढ़ी है। अब वे सहायक सामग्री का उपयोग भी पहले की अपेक्षा अधिक करने लगे हैं। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति एवं भागीदारी में भी वृद्धि हुई हैं। "स्वयं करके सीखों" तथा ऐसी ही अन्य गतिविधियों के संचालन से विद्यार्थियों विशेषकर पहली एवं दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों में पढाई के प्रति रुचि और जिज्ञासा बढ़ी है, किन्तु इसके साथ ही यह भी अनुभव किया गया है किन्तु इसके साथ ही क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान,अजमेर द्वारा जनपद में क्लासरूम प्रोसेस स्टडी के द्वारा यह निष्कर्ष निकाले गये हैं कि कक्षा तीन से कक्षा 5 तक के लिये विषय के अनुरूप पर्याप्त सहायक सामग्री अभी भी तैयार नहीं की जा सकी है। इसी प्रकार इन कक्षाओं में गतिविधियों का प्रयोग भी बहुत कम हो रहा है। एक बात यही भी देखी गई है कि शिक्षक शिक्षण की पूर्व तैयारी (घर से पढकर आना) करके नहीं आते और स्कूल पहुंचकर सीधे जैसा बन पड़ता है, पढ़ाने लगते हैं।

एक और समस्या यह भी दृष्टिगोचर हुई है कि क्षेत्र की अनेक प्राथमिक पाठशालाओं में एक ही स्थान पर दो या दो से अधिक कक्षायें लगाई जाती हैं, ऐसी स्थिति में गतिविधि आधारित शिक्षण में अन्य कक्षाओं के शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न होता है। एकल अध्यापक विद्यालयों में तो वास्तिविक स्थिति यह है कि

पढाई नाममात्र को भी नहीं हो पाती क्योंकि शिक्षक केवल सूचनायें पूरी करने में ही लगे रहते हैं।

प्रशिक्षणों के संचालन की व्यवस्था और अनुश्रवण :

जनपद में प्रशिक्षण की व्यवस्था डाइट स्तर पर तथा ब्लाक स्तर पर की गई। डी0पी0ई0पी0 के अंतर्गत बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 की स्थापना की गई। बी0आर0सी0 स्तर पर एक समन्वयक तथा एक सह समन्वयक की पदस्थापना की गई। इनका चयन कार्यरत शिक्षकों में से ही किया गया। इसी प्रकार एन0पी0आर0सी0 स्तर पर एक समन्वयक की पदस्थापना की गयी।

प्रशिक्षण के उपरांत नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण हेतु विद्यालय भ्रमण, आदर्श पाठों के प्रस्तुतीकरण, विद्यालयों, बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 का श्रेणीकरण, मासिक बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान तथा शिक्षण सामग्री मेलों के आयोजन आदि के माध्यम से किया गया।

बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों की भूमिका :

जनपद में बी0आर0सी0 को संदर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है। इसके समन्वयक शिक्षकों को निम्न प्रकार से सहयोग प्रदान करते हैं :–

- विविध प्रशिक्षणों का आयोजन, संचालन तथा फालोअप की व्यवस्था करना।
- मासिक बैठकों का आयोजन, विद्यालयों का नियमित भ्रमण, कक्षाओं का अवलोकन तथा आवश्यकतानुरूप फीड बैक प्रदान करना।
- वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट बनाना तथा उसका कियान्वयन करवाना।
- शिशु शिक्षा केन्द्रों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण करना।
- एन0पी0आर0सी0 स्तरीय कियाकलापों का पर्यवेक्षण करना।
- ई0एम0आई0एस0 के ऑकडों का संकलन करना।
- डाइट के नेतृत्व में विकास खण्ड स्तर पर गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रमों, कार्यशालाओं सूक्ष्म नियोजन तथा शाला मानचित्रण, वातावरण निर्माण आदि कार्य करना।

जनपद में शैक्षिक, अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी कियाकलापों का केन्द्र बिन्दु एन0पी0आर0सी0 है। इसके प्रमुख उत्तरदायित्वों में स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना, सूक्ष्म–नियोजन तथा शाला मानचित्रण, ग्राम शिक्षा समितियों के लिये प्रशिक्षणों का आयोजन करना, शिक्षकों के अनुभवों को आपस में बॉटने के लिये परस्पर विचार विनिमय, स्कूल भ्रमण आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त एन0पी0आर0सी0 समन्वयक बी0आर0सी0 को यथेष्ट सहयोग प्रदान करते हैं। कार्यों तथा कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार कर डाइट तथा बी0आर0सी0 को भेजते हैं। स्कूल चलो अभियान, बालगणना, तथा ई0एम0आई0एस0 ऑकड़ों का संकलन एवं सैम्पल चैकिंग भी एन0पी0आर0सी0 के कामों में शामिल हैं।

प्रोत्साहन योजनाएं :–

प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के नामांकन एवं ठहराव के लिये शासन द्वारा प्रमुख रूप से निम्न योजनायें संचालित की जा रही हैं :–

- अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति की व्यवस्था।
- 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति के सभी बालक एवं समस्त बालिकाओं को पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण।
- बच्चों के लिये पोषाहार कार्यक्रम।

उपरोक्त कार्यक्रमों से छात्रों के नामांकन में वृद्धि परिलक्षित हुई। पोषाहार कार्यक्रम से एक ओर जहॉ निर्धन अभिवावकों को सम्बल मिला वहीं स्कूल में छात्र छात्राओं के ठहराव में भी वृद्धि हुई। ह्रास की समस्या पर भी अंकुश लगा है।

पोषाहार योजना का लाभ विद्यालय के सभी बालक बालिकाओं को प्रतिमाह प्राप्त होता है। पाठ्य पुस्तकों के निःशुल्क वितरण की व्यवस्था डी0पी0ई0पी0 के तहत की गई है।

बेसलाइन स्टडी तथा मिडटर्म स्टडी :

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का मूल्यांकन बेसलाइन स्टडी तथा मिडटर्म स्टडी के माध्यम से किया गया। इस अध्ययन के आधार पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्थिति इस प्रकार है :–

तालिका – 1

बेसलाइन स्टडी तथा मिडटर्म स्टडी के अनुसार छात्रों की उपलब्धि का विवरण

कक्षा – 1 भाषा में छात्रों की उपलब्धि :–

परीक्षण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत	अनुसूचित जाति मध्यमान प्रतिशत	अन्य पिछड़ावर्ग मध्यमान प्रतिशत	अन्य वर्ग मध्यमान प्रतिशत
बेसलाइन सर्वे	46.8	47.6	43.9	47.1	52.15
मध्यावधि सर्वे	73.8	75.5	72.7	75.5	73.6
उपलब्धि में वृद्धि	27.0	27.9	28.8	28.4	21.1

स्त्रोत :– डायट ललितपुर

कक्षा 1 भाषा में छात्रों की उपलब्धि में वृद्धि तो हुई है। किन्तु यह वृद्धि अपेक्षित नहीं है। अतः शिक्षकों को भाषा के प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

कक्षा – 1 गणित में छात्रों की उपलब्धि :–

परीक्षण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत	अनुसूचित जाति मध्यमान प्रतिशत	अन्य पिछड़ावर्ग मध्यमान प्रतिशत	अन्य वर्ग मध्यमान प्रतिशत
बेसलाइन सर्वे	50.14	47.36	47.21	49.86	51.29
मध्यावधि सर्वे	77.00	79.30	77.90	77.90	78.40
उपलब्धि में वृद्धि	26.86	31.94	29.69	28.04	27.11

स्त्रोत :– डायट ललितपुर

कक्षा 1 गणित में छात्रों की उपलब्धि में वृद्धि तो हुई है। किन्तु यह वृद्धि अपेक्षित नहीं है। अतः शिक्षकों को गणित के प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

कक्षा – 4 भाषा में छात्रों की उपलब्धि :–

परीक्षण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत	अनुसूचित जाति मध्यमान प्रतिशत	अन्य पिछड़ावर्ग मध्यमान प्रतिशत	अन्य वर्ग मध्यमान प्रतिशत
बेसलाइन सर्वे	37.66	40.8	37.15	40.17	43.41
मध्यावधि सर्वे	58.30	60.5	60.90	58.10	59.70
उपलब्धि में वृद्धि	20.64	19.7	23.75	17.93	16.29

स्त्रोत :– डायट ललितपुर

कक्षा 4 भाषा में छात्रों की उपलब्धि में वृद्धि तो हुई है। किन्तु यह वृद्धि अपेक्षित नहीं है। अतः शिक्षकों को भाषा के प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

कक्षा – 4 गणित में छात्रों की उपलब्धि :–

परीक्षण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत	अनुसूचित जाति मध्यमान प्रतिशत	अन्य पिछड़ावर्ग मध्यमान प्रतिशत	अन्य वर्ग मध्यमान प्रतिशत
बेसलाइन सर्वे	31.42	31.6	29.22	33.65	40.87
मध्यावधि सर्वे	58.80	58.2	24.10	58.00	58.20
उपलब्धि में वृद्धि	27.38	26.6	–5.12	24.35	17.33

स्त्रोत :– डायट ललितपुर

कक्षा 4 गणित में छात्रों की उपलब्धि में वृद्धि तो हुई है। किन्तु यह वृद्धि अपेक्षित नहीं है। अतः शिक्षकों को गणित के प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

उपर्युक्त तालिकाओं से स्पष्ट होता है कि कक्षा 1 एवं 4 में भाषा एवं गणित दोनों विषयों में छात्रों की उपलब्धि का स्तर बढा है। किन्तु कक्षा 1 की तुलना में कक्षा 4 में छात्रों की उपलब्धि में वृद्धि कम हुई है। बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि लगभग समान है।

अतः बच्चों के भाषा एवं गणित के स्तर में वृद्धि हेतु अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिये अध्यापकों के शिक्षण कौशल को बढाने हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।

अधिगम स्तर के अनुसार छात्रों की उपलब्धि :–

कक्षा – 1 भाषा में छात्रों की उपलब्धि

स्तर	बालक (423)		बालिका (320)		कुल योग (743)	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
न्यूनतम अधिगम स्तर से कम	28	6.6	19	5.9	47	6.3
न्यूनतम अधिगम स्तर	69	16.3	36	11.3	105	14.1
न्यूनतम अधिगम स्तर से अधिक	326	77.1	267	82.8	591	79.6

स्त्रोत :– डायट ललितपुर

कक्षा 1 भाषा में न्यूनतम अधिगम स्तर से कम छात्रों का प्रतिशत अभी भी बहुत अधिक है। अतः अध्यापकों को भाषा प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

कक्षा – 1 गणित में छात्रों की उपलब्धि

स्तर	बालक (423)		बालिका (320)		कुल योग (743)	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
न्यूनतम अधिगम स्तर से कम	25	5.91	16	5.0	41	5.52
न्यूनतम अधिगम स्तर	61	14.42	25	7.81	86	11.57
न्यूनतम अधिगम स्तर से अधिक	337	79.67	279	87.19	616	82.91

स्त्रोत :– डायट ललितपुर

कक्षा 1 गणित में न्यूनतम अधिगम स्तर से कम छात्रों का प्रतिशत अभी भी बहुत अधिक है। अतः अध्यापकों को गणित प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

कक्षा – 4 भाषा में छात्रों की उपलब्धि

स्तर	बालक (452)		बालिका (252)		कुल योग (704)	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
न्यूनतम अधिगम स्तर से कम	43	9.5	15	6.0	58	8.2
न्यूनतम अधिगम स्तर	214	47.3	108	42.9	322	45.7
न्यूनतम अधिगम स्तर से अधिक	195	43.2	129	51.1	324	46.1

स्त्रोत :– डायट ललितपुर

कक्षा 4 भाषा में न्यूनतम अधिगम स्तर से कम छात्रों का प्रतिशत अभी भी बहुत अधिक है। अतः अध्यापकों को भाषा प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

कक्षा – 4 गणित में छात्रों की उपलब्धि

स्तर	बालक (452)		बालिका (252)		कुल योग (704)	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
न्यूनतम अधिगम स्तर से कम	93	20.6	60	23.8	153	21.7
न्यूनतम अधिगम स्तर	139	30.8	68	27.0	207	29.5
न्यूनतम अधिगम स्तर से अधिक	220	48.6	124	49.2	344	48.8

स्त्रोत :– डायट ललितपुर

कक्षा 1 गणित में न्यूनतम अधिगम स्तर से कम छात्रों का प्रतिशत अभी भी बहुत अधिक है। अतः अध्यापकों को गणित प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण के आधार पर पता चलता है कि कक्षा 1 भाषा में 6.6 प्रतिशत बालक तथा 5.9 प्रतिशत बालिकायें एवं कुल में 6.3 प्रतिशत छात्र न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर सके। इसी प्रकार कक्षा 1 में गणित में 5.91 प्रतिशत बालक तथा 5 प्रतिशत बालिकायें एवं कुल में 5.52 प्रतिशत छात्र न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर सके।

इसी प्रकार कक्षा 4 भाषा में 9.5 प्रतिशत बालक तथा 6.पतिशत बालिकायें एवं कुल में 8.2 प्रतिशत छात्र न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर सके। इसी प्रकार कक्षा 4 गणित में 20.6 प्रतिशत बालक तथा 23.8 प्रतिशत बालिकायें एवं कुल में 21.7 प्रतिशत छात्र न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर सके।

अतः जो बच्चे न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर सके हैं। उनके अधिगम को बढाने हेतु अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता है विशेष रूप से कक्षा 4 के बालक एवं बालिकाओं का प्रतिशत बहुत अधिक है। जो न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर कर सके हैं। विशेषकर गणित विषयों में अतः इन बच्चों के अधिगम स्तर में उन्नयन हेतु विशेष प्रशिक्षणों की आवश्यकता है।

विकलांग, बाल श्रमिक व मलिन बस्तियों के बच्चे :

समाज के आखिरी बिन्दु पर मौजूद बच्चे यानी सौ फीसदी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करना सर्व शिक्षा अभियान की पहली प्राथमिकता है। यह तभी संभव है जब हर वर्ग के शत–प्रतिशत बच्चों का नामांकन हो तथा विद्यालय में उनका ठहराव बढ़े। ऐसा होने पर ही वे अपेक्षित स्कूली शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

सर्वेक्षण में यह पाया गया कि स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाने वाले बच्चों में मलिन अथवा असेवित बस्तियों में रहने वाले बच्चों, बाल श्रमिकों, छोटे भाई–बहिनों की देखभाल करने वाले बच्चों तथा विकलांग बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। ये बच्चे अपनी पारिवारिक स्थितियों, आर्थिक अभावों तथा इच्छा शक्ति

की कमी के कारण स्कूल नहीं पहुंच पाते। जब तक इन बच्चों को विद्यालय तक नहीं लाया जायेगा तब तक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का कोई भी संकल्प पूरा नहीं किया जा सकता।

इसके लिये निम्न प्रयास किये जायेंगे :–

- इन विशेष बच्चों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार की जायेगी।
- ग्राम/नगर शिक्षा समितियों के सदस्यों तथा शिक्षकों द्वारा इन बच्चों के माता पिता एवं अभिवावकों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर उन्हें शिक्षा के महत्व और आवश्यकता के बारे में बताकर उनकी सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाया जायेगा, ताकि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजें।
- ऐसे बच्चों से सम्पर्क स्थापित कर उनके मन में घर कर चुकी हीन भावना को दूर कर उनमें आत्मविश्वास पैदा किया जायेगा तथा विभिन्न गतिविधयों के माध्यम से उनमें शिक्षा के प्रति ललक उत्पन्न की जायेगी।
- जिन बच्चों को उनकी व्यक्तिगत समस्याओं के कारण फिलहाल औपचारिक शिक्षा से जोड़ना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, उनके लिये वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।
- जो बच्चे स्कूल में प्रवेश लेने की उम्र (6वर्ष) को पार कर गये हैं, उन्हें पहली कक्षा में प्रवेश देने के बजाय उनके लिये ब्रिज कोर्स या टेसू शिविर जैसे कार्यकम आयोजित कर उन्हें उनकी उम्र और मानसिक स्थिति के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा। उल्लेखनीय है कि सहरिया अनुसूचित जाति तथा खदान श्रमिकों के बच्चों विशेषकर बालिकाओं के लिये ग्राम बालाबेहट में लगाये गये टेसू शिविर को आशातीत सफलता प्राप्त हुई थी। यह शिविर 90 दिन का आयोजित किया गया था इसमें 75 बच्चे थे जिनमें से शिविर के उपरान्त 69 बच्चों को कक्षा 6 में प्रवेश कराया गया।
- ऐसे बच्चों को जीवनोपयोगी कौशलों तथा कार्यानुभव की शिक्षा देने पर विशेष बल दिया जायेगा।

सारिणी 9.3(1)

शिक्षकों की संख्या के अनुसार विद्यालयों का वर्गीकरण (प्राथमिक स्तर)

विकासखण्ड / नगर क्षेत्र	एक शिक्षक	दो शिक्षक	तीन शिक्षक	चार शिक्षक	पॉच शिक्षक	पॉच से अधिक
तालबेहट	59	56	16	4	4	0
जखौरा	24	38	23	20	13	5
बिरधा	37	48	27	12	7	2
मडावरा	86	25	7	0	0	0
महरौनी	25	65	9	7	1	0
बार	58	40	7	1	0	0
योग ग्रामीणक्षेत्र	289	272	89	44	25	7
नगर क्षेत्र	2	7	7	6	3	3
महायोग	291	279	96	50	28	10

सारिणी 9.3(2)

शिक्षकों की संख्या के अनुसार विद्यालयों का वर्गीकरण (उच्च प्राथमिक स्तर)

विकासखण्ड / नगर क्षेत्र	एक शिक्षक	दो शिक्षक	तीन शिक्षक	चार शिक्षक	पॉच शिक्षक	पॉच से अधिक
तालबेहट	2	5	13	6	0	0
जखौरा	6	9	8	6	3	1
बिरधा	8	7	10	3	2	1
मडावरा	19	8	2	0	0	0
महरौनी	5	13	7	1	0	0
बार	12	12	4	1	0	0
योग ग्रामीणक्षेत्र	52	54	44	17	5	2
नगरक्षेत्र	1	0	0	0	2	1
महायोग	53	54	44	17	7	3

जनपद में स्थिति विद्यालयों में शिक्षक संख्या की उक्त तालिका देखने से स्पष्ट हो जाता है कि जनपद में लगभग 39 प्रतिशत विद्यालय एक शिक्षक वाले, 37 प्रतिशत विद्यालय दो शिक्षक वाले,13 प्रतिशत विद्यालय तीन शिक्षक वाले तथा 7 प्रतिशत विद्यालय चार शिक्षक वाले हैं। सहज ही समझा जा सकता है कि एक शिक्षक या दो शिक्षक वाले विद्यालयों में पढ़ाई की वास्तविक स्थिति क्या होगी। अब यह निश्चित किया गया है कि प्रत्येक विद्यालय में 1:40 के अनुपात से शिक्षकों की व्यवस्था की जायेगी तथा प्रत्येक नये विद्यालय में प्रारम्भ से ही कम से कम दो शिक्षकों की व्यवस्था की जायेगी। इसके वावजूद अपरिहार्य स्थितियों के लिये शिक्षकों को बहुकक्षा शिक्षण का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी शिक्षण की वर्तमान स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है। इन विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को ही प्रोन्नति देकर नियुक्ति किये जाने की परंपरा के कारण अपेक्षित योग्यता वाले शिक्षकों का अभाव बना रहता है। इन विद्यालयों में विभिन्न विषयों विशेषकर गणित, विज्ञान तथा भाषा के शिक्षण के लिये विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था की जायेगी। इन अध्यापकों को विषय वस्तु से संबंधित अद्यतन ज्ञान का प्रशिक्षण भी समय समय पर दिया जायेगा।

जनपद के अधिकतर विद्यालयों में वर्तमान में शिक्षण के समय सहायक सामग्री का उपयोग बहुत ही कम हो रहा है। जबकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सहायक सामग्री के उपयोग से बच्चों के मन में शिक्षा के प्रति जिज्ञासा व आकर्षण उत्पन्न होता है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही है। इस अभाव की पूर्ति के लिये यह निश्चय किया गया है कि ब्लाक स्तर पर किसी केन्द्रीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अथवा किसी उपयुक्त माध्यमिक विद्यालय को संकुल विद्यालय बनाकर उसमें प्रयोगशाला के लिये आवश्यक सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी। विकास खण्ड के सभी विद्यालय इस विद्यालय से प्रयोगशाला की सुविधा प्राप्त करेंगे।

शिक्षकों की कठिनाइयॉ :

जनपद के विभिन्न विद्यालयों के भ्रमण तथा उनमें कार्यरत शिक्षकों से व्यक्तिगत चर्चा तथा शिक्षकों से फोकसग्रुप डिस्कशन के दौरान शिक्षकों की जो प्रमुख कठिनाइयॉ सामने आईं वे इस प्रकार हैं:

- ज्यादातर शिक्षकों का कहना हैं कि उन्हें शिक्षणेत्तर कार्यों में संलग्न कर दिये जाने से वे चाहते हुए भी शिक्षण कार्य को पर्याप्त समय और प्राथमिकता नहीं दे पाते। कई बार तो निर्धारित पाठ्यक्रम को भी पूरा नहीं पढ़ा पाते।
- जनपद के अधिकांश विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक न होने से शिक्षकों को एक ही समय में एक से अधिक कक्षायें पढ़ानी पड़ती हैं। ऐसे स्थिति में मात्र औपचारिकता का निर्वाह होता है, वस्तुतः पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती। कई बार तो ऐसी स्थिति में शिक्षक समय से पहले ही छुट्टी कर देते हैं।
- अभिवावकों की अरुचि या उदासीनता भी शिक्षकों को हतोत्साहित करती है।
- चूंकि बच्चों को अपने परिजनों से तनिक भी सहयोग नहीं मिलता, इसलिये वे अक्सर अपना होमवर्क पूरा करके नहीं लाते। ऐसी स्थिति में शिक्षकों को गृहकार्य भी विद्यालय में ही कराना होता है। इससे पढ़ाई की गति में बाधा उत्पन्न होती है।
- सहायक सामग्री के निर्माण व प्रयोग की विधि से भी अनेक शिक्षक अनभिज्ञ हैं। इसके लिये उन्हें पर्याप्त जानकारी व समुचित प्रशिक्षण न मिलने से यह स्थिति निर्मित हुई।
- कई शिक्षक ऐसे भी हैं जो पर्याप्त योग्यता एवं दक्षता के अभाव में गणित, विज्ञान, तथा भाषा में कुछ पाठों को पढ़ा पाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसके लिये शिक्षकों की व्यक्तिगत योग्यता बढ़ाने पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया।

- यह भी पाया गया कि जो बच्चे उच्च प्राथमिक स्तर पर आते है, वे वस्तुतः उस स्तर के अनुरूप नहीं होते, इसलिये शिक्षक द्वारा समझाई जाने वाली बातों को ग्रहण कराने में काफी समय लग जाता है।
- उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय के विशेषज्ञ अध्यापकों के न होने के कारण सामान्य विषय के अध्यापकों को ही गणित और विज्ञान जैसे विषयों का शिक्षण करना होता है। ऐसे में सिर्फ खाना पूर्ति होती हैं।
- प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के शैक्षिक समर्थन की जैसी व्यवस्था है, वैसी कोई व्यवस्था उच्च प्राथमिक स्तर के लिये नहीं है। इस स्तर पर भी ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिये।

समुदाय की अपेक्षायें :

जनपद का समुदाय अपने बच्चों के शिक्षकों तथा विद्यालयों से क्या अपेक्षायें रखता है, यह जानने के लिये विभिन्न वर्गों के अभिवावकों से सम्पर्क किया गया, डाइट द्वारा वर्ष 2000 में "ग्राम शिक्षा समितियों/समुदाय की परिषदीय विद्यालयों से अपेक्षायें" शीर्षक से शोध/सर्वेक्षण कार्य कराया गया तथा ग्राम शिक्षा समितियों की बैठकों में राय एकत्रित की गई, इस आधार पर जो मुख्य बातें सामने आई वे इस प्रकार हैं :–

- अधिकतर अभिवावक परिषदीय विद्यालयों की वर्तमान शिक्षण व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं उनका मानना हैं कि विद्यालयों में बच्चे की शैक्षिक प्रगति पर पर्याप्त ध्यान देने की बजाय शिक्षण की रस्म अदायगी भर की जाती है।
- समुदाय है कि अपेक्षा है कि उनके परिवेश और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाये जो उन्हें केवल किताबी ज्ञान ही उपलब्ध न कराये बल्कि जीवनोपयोगी कौशल में भी प्रवीण करे।
- जो अभिवावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं, उनकी सबसे पहली अपेक्षा यह होती है कि बच्चा संस्कारवान बने तथा समाज, देश व विश्व के सम

सामयिक घटनाक्रम की सतत जानकारी रखे इसके लिये विद्यालयों में नैतिक शिक्षा व सामान्य ज्ञान की व्यवहारिक शिक्षा जरूरी हैं।

- कई अभिवावकों ने यह शिकायत की कि शिक्षणेत्तर कार्यों में व्यस्त रहने वाले शिक्षक नियमित रूप से कक्षा में नहीं आते। इसी प्रकार एकल अध्यापकों अथवा कम अध्यापकों वाले विद्यालय में अक्सर बहु–कक्षा शिक्षण होने के कारण शिक्षक सभी विद्यार्थियों का नाम तक नहीं जानते।
- अभिवावकों की एक मुख्य शिकायत यह भी है कि अध्यापक शिक्षण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के बजाय स्थानीय राजनीति में अधिक दिलचस्पी लेने लगते हैं।
- समुदाय की एक अपेक्षा यह भी है कि विद्यालय में बच्चों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था कर आवश्यतानुसार दवाइयॉ भी उपलब्ध करायी जायें।

ये वे अपेक्षायें हैं जिन्हें पूर्ण किये बिना शिक्षा का सार्वभौमीकरण संभव ही नहीं है। यह तय किया गया है कि ललितपुर जनपद में शिक्षकों की व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने तथा समुदाय की स्वाभाविक और तर्कसंगत अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये कार्य योजना तैयार कर एक निश्चित समय सीमा में उसका कियान्वयन किया जायेगा। अभिवावकों की शैक्षिक स्थिति को ध्यान में रख बच्चों को विद्यालय में ही सीखने के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे।

सर्वशिक्षा अभियान में प्रस्तावित आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण :

सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्यों की शत प्रतिशत प्राप्ति में सबसे महत्वपूर्ण और निर्णय के लिये सबसे पहले ललितपुर जनपद के लिये निर्धारित किये गये लक्ष्यों को सामने रखना जो इस प्रकार हैं :–

- 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को विद्यालय शिक्षा गारन्टी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा।

- इन सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा वर्ष 2007 तक तथा कक्षा 8 तक की शिक्षा वर्ष 2010 तक पूर्ण कर ली जायेगी।
- प्राथमिक स्तर पर सन् 2007 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर सन् 2010 तक सामाजिक विषमता तथा लैंगिक भेदभाव को पूरी तरह समाप्त कर लिया जायेगा।
- विद्यार्थियों को जीवनोपयोगी कौशलों में दक्ष करने वाली गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान की जायेगी।
- लक्ष्य समूह (6–14) के सभी बच्चों के स्कूल में ठहराव का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

यह तय किया गया है कि शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन के लिये ललितपुर जनपद की भौगोलिक सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी अवधारण या दृष्टि (विजन) विकसित की जायेगी जिससे इस अभियान में शिक्षा समितियों, पंचायतों तथा अन्य सामाजिक एवं प्रशासनिक इकाइयों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इसके लिये "विजनिंग कार्यशालाओं" का भी आयोजन किया जायेगा। डाइट के संकाय सदस्यों, जिला परियोजना कार्यालय के कर्मियों एवं विकास खण्ड/न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिये ये कार्यशालायें डाइट स्तर पर तथा शिक्षकों के लिये न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित की जायेंगी।

इन कार्यशालाओं में सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों, उद्देश्यों, बच्चों, शिक्षकों एवं विद्यालयों की वर्तमान स्थिति तथा उनमें बदलाव के लक्ष्यों, कक्षा–कक्षों की स्थिति में सुधार के उपायों पर गहन विचार–विमर्श के उपरांत आम सहमति से सामूहिक निष्कर्षों पर पहुंचा जायेगा और इन निष्कर्षों के आधार पर समयबद्ध कार्य योजना तैयार की जायेगी।

इस योजना का सारा दारोमदार शिक्षकों पर है इसलिये उनके शिक्षण कौशल, व्यवहार कुशलता तथा विषय सम्बन्धी ज्ञान को बढ़ाने पर विशेष ध्यान

दिया जायेगा। इसके लिये नियमित अन्तराल से श्रंखलाबद्ध शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। इन प्रशिक्षणों का कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किया जायेगा जिससे अध्यापकों को वर्ष भर आवश्यकतानुरूप प्रशिक्षण तो प्राप्त होता ही रहे, साथ ही कक्षा में उनकी उपलब्धता भी कम से कम प्रभावित हो। डाइट व ब्लाक स्तर पर होने वाली कार्यशालाओं में मुख्य बल इसी बात पर दिया जायेगा कि शिक्षकों में शिक्षण कार्य के प्रति अभिरूचि, उत्साह और उत्तरदायित्व की भावना बढे। प्रशिक्षण की प्रारंभिक रणनीति इस प्रकार तय की गई है। प्रशिक्षणों हेतु आवश्कता निर्धारण तथा प्रशिक्षण माड्यूलों का निर्माण जनपद स्तर पर डाइट द्वारा कराया जायेगा क्यांकि द्वितीय तथा तृतीय चक के प्रशिक्षणों के लिए आधार पत्रक तथा माड्यूल लेखन डाइट संकाय के सदस्यों, बी0आर0सी0 समन्वयकों एवं शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया था। माड्यूल निर्माण के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का निर्धारण डाइट स्तर पर कार्यशाला के माध्यम से किया जायेगा। इस कार्यशाला में आवश्यकता निर्धारण के पश्चात माड्यूल लेखन किया जायेगा।

प्राथमिक शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण :–

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में समस्त प्राथमिक शिक्षकों को शिक्षा मित्रों सहित को बहु कक्षा शिक्षण/बहु श्रेणी कक्षा शिक्षण का दस दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें से सात दिनों का प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर शेष तीन दिवसीय प्रशिक्षण कमशः एक–एक माह के अन्तराल पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित किया जायेगा। जिसका विवरण निम्नवत् है :–

1– विजनिंग कार्यशाला का आयोजन(तीन दिवसीय)

2– बहु कक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण।

3– विकास खण्ड स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण के फालोअप के लिए पाठ्य प्रस्तुतीकरण पर आधारित मासिक प्रशिक्षण कार्यशालांए आयोजित की जायेगी।

4– मैटेरियल मेले का आयोजन।

1– प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों/शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षणः–

वर्ष	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	दर	कुल अनुमानित व्यय
2002–03	–	–	80/–	4,22,60,400.00
2003–04	245	–		
2004–05	5646	1019		
2005–06	5747	1019		
2006–07	5852	1019		

2– प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों/शिक्षा मित्रों के टी0एल0एम0 का प्रशिक्षण :–

वर्ष	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	दर	कुल अनुमानित व्यय
2002–03	–	736	500/–	84,90,500.00
2003–04	2551	1469		
2004–05	2600	1475		
2005–06	2600	1475		
2006–07	2600	1475		

उपरोक्त कार्यक्रम वर्ष के पॉच महीनों मे आयोजित होगा। जिसके लिए प्रशिक्षण का एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण,कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखीकरण न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यशालाओं ,गोष्ठियों का अनुश्रवण समन्वयक ब्लाक संसाघन केन्द्र तथा डायट के ब्लाक मेन्टर द्वारा किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान मे केन्द्र के प्रथम वर्ष के शिक्षक प्रशिक्षण के लिए रुपये 80.00 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से रुपया 4,22,60,400.00 अनुमानित व्यय होगा।

द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षण मे अध्यापकों की आवश्यकता पर आधारित मुख्यतः भाषा एवं गणित विषय की दक्षता को केन्द्रित कर दिया जायेगा। जिसमें सात दिनों का प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर तथा शेष तीन दिनों का प्रशिक्षण एक–एक माह के अन्तराल पर न्याय पंचायत केन्द्र पर आयोजित किया जायेगा। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

((1)) न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर वर्ष के सात दिनों मे मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जिसमें ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण का फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा का उपयोग किया जायेगा।

((2)) वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिए नवीन रणनीतियों से सम्बन्धित तीन दिवसीय प्रशिक्षण न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के द्वितीय वर्ष के शिक्षक प्रशिक्षण के लिए रुपया 45,09,750.00 अनुमानित व्यय होगा।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तृतीय वर्ष में विज्ञान,सामाजिक विज्ञान,अंगेजी,संस्कृत एवं उर्दू विषय के शिक्षण के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण आठ दिवसीय होगा जिस पर रुपये 80.00 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से रुपया 1,20,12,350.00 अनुमानित व्यय होगा।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के चतुर्थ वर्ष के शिक्षक प्रशिक्षण में पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण सामाग्री निर्माण हेतु आठ दिवसीय प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर आयोजित किया जायेगा। जिसके तारतम्य में न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर लघु प्रशिक्षण कार्यशालायें आयोजित की जायेंगी।

1– एन0पी0आर0सी0 स्तर पर अनुपूरक सामाग्री विकसित करने हेतु दो दिवसीय कार्यशालायें जिसमें न्याय पंचायत में स्थिति प्राथमिक विद्यालयों के सभी शिक्षकों को सम्मिलित करते हुए आयोजित की जायेगी।

2– डायट द्वारा तैयार किये गये एजेंडे के अनुसार प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन0पी0आर0सी0 स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के सात महीनों मे आयोजित की जायेगी। इन प्रशिक्षणों पर प्रतिदिन प्रति प्रतिभागी रुपये 80.00 की दर से रुपया अनुमानित व्यय होगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पंचम वर्ष के प्रशिक्षण में उपरोक्त चार वर्षों के फालोअप से उभरी समस्याओं के निराकरण एवं शिक्षकों की आवश्यकताओं का आंकलन करके प्रशिक्षण दिया जायेगा। सह प्रशिक्षण दस दिवसीय होगा। जिसमें पॉच दिवसीय प्रशिक्षण कक्षा शिक्षण पर आधारित होगा तथा शेष प्रशिक्षण में पूर्व से दिये गये प्रशिक्षणों की पुनावृत्ति पर ध्यान दिया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों का प्रशिक्षण :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सम्वर्द्धन के साथ–साथ उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षा की गुणवत्ता सम्वर्द्धन के लिए समस्त परिषदीय,मान्यता प्राप्त विद्यालयों तथा हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कालेजों के कक्षा

6 से कक्षा 8 तक शिक्षण कार्य करने वाले प्रधानाध्यापकों और सहायक अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रमः–

विषय / स्तर / विवरण	वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
कार्यशाला / सेमिनार प्राइमरी	1– आवश्यकताओं का आकलन 2– गणित के कठिन स्थलों का चयन एवं समाधान 3–टी0एल0एम0 कार्यशाला	1– आवश्यकताओं का आकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	1– आवश्यकताओं का आकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	1– आवश्यकताओं का आकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	1– आवश्यकताओं का आकलन टी0एल0एम0 कार्यशाल
अपर प्राइमरी	1– आवश्यकताओं का आकलन 2– गणित के कठिन स्थलों का चयन एवं समाधान 3–टी0एल0एम0 कार्यशाला	1– आवश्यकताओं का आकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	1– आवश्यकताओं का आकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	1– आवश्यकताओं का आकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	1– आवश्यकताओं का आकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला
प्रशिक्षण प्राइमरी	1– मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण 2– रोस्टर ट्रेनिंग 3– आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण माड्यूल	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण गणित अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण विज्ञान अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण अंग्रजी अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण पूर्व प्रशिक्षण का वृहद मूल्यांकन एवं अनुश्रवण

विषय / स्तर / विवरण	वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006--07
अपर प्राइमरी	1– गणित अध्यापक प्रशिक्षण 2– विज्ञान अध्यापक प्रशिक्षण 3– पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	अंग्रजी अध्यापक प्रशिक्षण संस्कृत अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्याकंन	पर्यावरणीय अध्ययन अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्याकंन	हिन्दी एवं व्यायाम स्काउट एवं गाइड प्रशिक्षण मूल्य आधारित प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्याकंन	पूर्व प्रशिक्षण का वृहद मूल्यांकन एवं अनुश्रवण
क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण	1– एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का क्षमता संवर्धन पर अनुभूत समस्याओं पर प्रशिक्षण	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का क्षमता संवर्धन पर अनुभूत समस्याओं पर प्रशिक्षण	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का समस्यों के निराकरण तथा अन्य सुझाव के सन्दर्भ में प्रशिक्षण	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का मूल्यांकन प्रशिक्षण
	1– बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का प्रशिक्षण श्रेणीकरण के सन्दर्भ में	बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का प्रशिक्षण विद्यालयों में समस्याओं के आकलन पर	बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का प्रशिक्षण छात्रों ओर अध्यापकों की समस्याओं के निराकरण करने हेतु	बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का श्रेणीकरण के प्रभाव के आकलन के सन्दर्भ में	बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक द्वारा मूल्यांकन के सन्दर्भ में
	1–अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्याकंन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्याकंन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्याकंन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्याकंन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्याकंन
	1– डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण
	1– श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण
शोध	कियात्मक शोध प्रस्ताव 1– बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 2– डायट स्तर पर	कियात्मक शोध प्रस्ताव 1– बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 2– डायट स्तर पर	कियात्मक शोध प्रस्ताव 1– बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 2– डायट स्तर पर	कियात्मक शोध प्रस्ताव 1– बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 2– डायट स्तर पर	कियात्मक शोध प्रस्ताव 1– बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 2– डायट स्तर पर

विषय / स्तर / विवरण	वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
जनपद स्तरीय प्रतियोगिताएं	जनपद स्तर पर 1– टी0एल0एम0 प्रतियोगिता का आयोजन 2– कक्षा शिक्षण प्रतियोगिता 3– सुलेख प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1– कला प्रतियोगिता का आयोजन 2– टी0एल0एम0 प्रतियोगिता 3– विज्ञान प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1– सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन 2– विज्ञान प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1– टी0एल0एम0 प्रतियोगिता का आयोजन 2– सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1विज्ञान प्रति[illegible] का आयोजन 2– टी0एल[illegible] प्रतियोगिता

इन सभी प्रशिक्षणों का संचालन डाइट के नेतृत्व में किया जायेगा। इनमें दूरस्थ शिक्षा माध्यम का अधिकतम उपयोग किया जायेगा। शिक्षा के स्तर में गुणात्मक उन्नयन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये उपरोक्त आधारभूत प्रशिक्षणों के अलावा कुछ विशिष्ट प्रशिक्षणों की भी की गई है। इनकी रूपरेखा इस प्रकार है :–

नेतृत्व प्रशिक्षण :

अभी तक के अनुभवों से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यदि प्रधानाध्यापकों में नेतृत्व क्षमता का अभाव होगा तो न तो शिक्षण के स्तर में सुधार हो सकेगा और न ही किसी शैक्षिक योजना का ठीक से कियान्वयन हो सकेगा। इस कमी को दूर करने के लिये उच्च प्राथमिक स्तर वाले सभी विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों को समय प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन तथा नेतृत्व क्षमता में विकास का प्रशिक्षण डाइट स्तर पर प्रदान किया जायेगा।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण :–

वर्तमान परिदृश्य में यह स्पष्ट है कि कम्प्यूटर शिक्षा के अभाव में न तो सूचना प्रोद्यौगिकी का भरपूर दोहन किया जा सकेगा और न ही समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना संभव हो सकेगा। इस तथ्य को ध्यान में रखकर उच्च प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का निश्चय किया गया। इसके लिये

सम्बन्धित शिक्षकों को डाइट स्तर पर प्रशिक्षित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण एक माह का होगा। इसके आयोजन से पूर्व डाइट के सदस्यों को भी एक माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डाइट द्वारा एन0सी0ई0आर0टी0/सीमेट के सहयोग से किया जायेगा। डाइट के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा इस कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जायेगा। इस कार्यक्रम के परिणामों का विश्लेषण करने के बाद इसकी कमियों को दूर कर आगामी वर्षों की रूपरेखा तय की जायेगी।

लैंगिक संवेदनशीलता :

यह अनुभव किया गया है कि यदि बालिका शिक्षा की स्थिति में अपेक्षानुरूप सुधार लाना है तो विद्यालय परिसर तथा कक्षा में बालिकाओं के प्रति व्यवहार में अत्यधिक संवेदनशीलता लानी होगी। उनमें समानता, सकिय सहभागिता तथा उत्तर दायित्व की भावना विकसित करनी होगी। इसके लिये उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिये बी0आर0सी0 स्तर पर दो दिवसीय कार्यशालायें आयोजित की जायेंगी। इनमें प्रत्येक विद्यालय से एक एक शिक्षक भाग लेगा।

यह तो वे प्रशिक्षण हुये जो शिक्षकों को प्रदान किये जायेंगे, लेकिन केवल इतना कर लेने से बात बनेगी नहीं, इसीलिये यह तय किया गया है कि सकारात्मक और सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिये कुछ और भी प्रशिक्षण आयोजित किये जायें। प्रशिक्षणों की इस श्रंखला में डाइट द्वारा शिक्षा मित्रों, आचार्यों, अनुदेशकों, समन्वयकों, ए0बी0एस0ए0, एस0डी0आई0, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना कर्मियों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण की रूपरेखा इस प्रकार रहेगी।

शिक्षा मित्रों व आचार्य जी का प्रशिक्षण :

ललितपुर जनपद में वर्तमान में 178 शिक्षा मित्र तथा 154 आचार्य जी कार्यरत हैं। इन्हें नियमित प्रशिक्षण के अलावा एक माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस प्रशिक्षण में उन्हें सर्व शिक्षा अभियान की अवधारणा तथा इस अभियान में उनकी भूमिका से अवगत कराया जायेगा।

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण :

इन अनुदेशकों को प्रतिवर्ष 15 दिन का आधारभूत प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा उसके अनुक्रम में 10 दिन का रिफ्रेशर कोर्स आयोजित किया जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा का पर्यवेक्षण एन0पी0आर0सी0 तथा बी0आर0सी0 समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। इन समन्वयकों को भी तीन दिन का प्रशिक्षण दिया जायेगा जिसका उद्देश्य पर्यवेक्षण क्षमता का विकास होगा।

ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की कार्यकत्रियों का प्रशिक्षण :

जनपद में स्थापित शिशु केन्द्रों की कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के लिये सीमेंट द्वारा तैयार प्रशिक्षण माड्यूल के आधार पर सात दिन का प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु स्कूल के लिये तत्परता, बच्चों की देखभाल को प्रोत्साहित करना, समुदाय का सहयोग प्राप्त करने के लिये संवेदनशीलता का विकास, 3–6 वय वर्ग के बच्चों का संज्ञानात्मक व शारीरिक विकास भाषाई कौशल का विकास तथा बच्चों में सौन्दर्यानुभूति का विकास है। प्रशिक्षण का 40 प्रतिशत समय खेल व शैक्षिक सामग्री के विकास में लगाया जायेगा।

एन0बी0आर0सी0 व बी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण:

वर्तमान में संचालित डी0पी0ई0पी0 में केवल राजकीय/परिषदीय विद्यालयों को सहयोग एवं पर्यवेक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि सर्व शिक्षा अभियान

में सहायता प्राप्त अशासकीय हाईस्कूल एवं इंटर कॉलेजों में संचालित उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को भी सहयोग व शैक्षिक समर्थन प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। ऐसी स्थिति में एन0पी0आर0सी0 व बी0आर0सी0 समन्वयकों की क्षमता में वृद्धि करना अपरिहार्य है। इसीलिये इन समन्वयकों के लिये उनके कार्य व दायित्व सम्बन्धी अकादमिक पर्यवेक्षण के लिये सात दिन का प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इन प्रशिक्षणों के माध्यम से समन्वयकों को सर्व शिक्षा अभियान में उनकी भूमिका एवं महत्व से अवगत कराकर उन्हें सकारात्मक और परिणामोन्मुखी कार्य के लिये प्रेरित किया जायेगा प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण माड्यूल समर्थन का उपयोग किया जाएगा।

ए0बी0एस0ए0 / एस0डी0आई0 प्रशिक्षण :

सर्व शिक्षा अभियान की सफलता के लिये यह जरूरी है कि विकास खण्ड स्तर पर कार्यकम के कियान्वयन में कहीं कोई कमी न रह जाये। यह तभी संभव है जब ए0बी0एस0ए0, एस0डी0आई0 अपनी भूमिका और उत्तर दायित्व को समझें तथा पूरी जिम्मेदारी और जागरूकता के साथ उसका निर्वाह करें। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर डाइट द्वारा इनके लिये पॉच दिन का ओरिएन्टेशन कार्यकम आयोजित किया जायेगा। बाद में सीमेट द्वारा डाइट स्तर पर ही एक अनुबोधात्मक प्रशिक्षण का भी आयोजन किया जायेगा इस प्रशिक्षण के उपरान्त ए0बी0एस0ए0 / एस0डी0आई0 अपने शैक्षिक पर्यवेक्षण के दायित्व को और भी अच्छी तरह से निभा सकेंगे।

नव नियुक्त एस0डी0आई0 के लिये 15 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण सीमेट द्वारा अवश्य ही दिया जाय।

ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण :

सर्व शिक्षा अभियान में जितनी अहम भूमिका शिक्षक की है, उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका समुदाय की भी है। समुदाय की इच्छाशक्ति और सहयोग के

बिना यह अभियान मूर्तरूप ले ही नहीं सकता। इस दिशा में बेहतर परिणाम तभी प्राप्त हो सकेंगे जब ग्राम शिक्षा समितियॉ सकिय और जागरूक हों। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये ग्राम स्तर पर समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिवावकों के लिये दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। इनका प्रमुख उद्देश्य विद्यालयीन गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढाना, स्थानीय स्तर पर कारगर पर्यवेक्षण, बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन तथा ग्राम शिक्षा योजनाओं के निर्माण एवं कियान्वयन के प्रति समुदाय में उत्साह जागृत करना है।

सर्व शिक्षा अभियान परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण :

अभियान से जुड़े जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों तथा डाइट कर्मियों का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा। अभियान के प्रथम वर्ष में ही आयोजित होने वाले उक्त प्रशिक्षण में सर्वशिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्ययोजना की रणनीतियों से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। बाद में आवश्यकतानुसार रिफ्रेशर कोर्स आयोजित किये जायेंगे।

समय प्रबंधन :

सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य प्राप्त करने में समय का सुनियोजित प्रबंधन अत्यन्त आवश्यक है। वर्तमान में स्थिति यह है कि विभाग द्वारा निर्धारित किये गये लक्ष्य के अनुसार प्रतिवर्ष शिक्षण के लिये कम से कम 220 दिन उपलब्ध होने चाहिये। सत्र के प्रारंभ में कैलेण्डर देखने पर यह लक्ष्य सहज और सरल लगता है किन्तु वास्तविकता यह है कि सत्रान्त पर विश्लेषण करने से पता चलता है कि अधिकतर विद्यालयों में शिक्षण के लिये 220 तो दूर की बात है, 160 कार्य दिवस भी उपलब्ध नहीं हो पाते। यह पाया गया है कि प्रायः 10 से 15 दिन तो परीक्षाओं में निकल जाते हैं। लगभग इतने ही दिन समुदाय से सम्पर्क में लग जाते हैं। विभिन्न कार्यों में (यथा चुनाव, शिविर आदि) शाला भवनों के उपयोग, आकस्मिक रूप से होने वाली ऐसी घटनाओं जिनमें राष्ट्रीय/राजकीय शोक के

कारण छुट्टी हो जाती है तथा ऐसे ही अन्य कारणों से होने वाली छुट्टियों की संख्या लगभग 20 से 25 होती है, लगभग 10 से 15 दिन अन्य अपरिहार्य कारणों से नष्ट हो जाते हैं और इनमें शिक्षण कार्य नहीं हो पाता। इस प्रकार पूरे वर्ष में मात्र 160 या 165 शिक्षण दिवस ही उपलब्ध हो पाते हैं।

समय प्रबंधन के जरिये यह सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में हर हाल में कम से कम 220 शिक्षण दिवस अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो।

पाठ्य सामग्री की व्यवस्था :

शैक्षणिक सत्र 2000–2001 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार की गई नवीन पाठ्युस्तकों को प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान में भी वर्ष 2005 तक इन्हीं पाठ्यपुस्तकों का उपयोग किया जायेगा। इसके बाद एन0सी0ई0आर0टी0 उ0प्र0 द्वारा प्राथमिक कक्षा की पाठ्यपुस्तकों में आवश्यकतानुसार संशोधन परिवर्द्धन किया जायेगा। इन पुस्तकों के निःशुल्क वितरण की व्यवस्था की जायेगी। जिससे जनपद के लगभग 4 लाख बालक/बालिकायें लाभान्वित होंगी। इन पर लगभग 564 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है प्राथमिक शिक्षकों को शिक्षक संदर्भिकायें भी उपलब्ध करायी जायेंगी। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को एक सेट उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा जुलाई 1999 में प्राथमिक कक्षाओं के लिये तथा जनवरी 2000 में उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिये अनुमोदित संशोधित पाठ्यक्रम सभी विद्यालयों को उपलब्ध करा दिया गया है। शिक्षकों को पाठ्यक्रम का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा।

एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा कक्षा 6–8 के लिये नवीन पाठ्यक्रमानुसार पाठ्य पुस्तकें तैयार की जा रही हैं। जुलाई 2002 से प्रारम्भ होने वाले पत्र में इन पाठ्य पुस्तकों को लागू किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत किशोरी बालिकाओं के लिए विशेष रूप से जीवनोपयोगी विशक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगीं

गुणवत्ता विकास में डाइट की भूमिका

अकादमिक नेतृत्व उपलब्ध कराना :

डाइट द्वारा गुणवत्ता विकास के लिए जनपद व विकास खण्ड स्तर पर कार्य योजनायें तैयार कर अकादमिक नेतृत्व उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए जनपद, विकासखण्ड न्यायपंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का आयोजन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण के लिए अभिमुखीकरण एवं कियान्वयन, विभिन्न स्तर पर कार्यरत अभिकर्मियों की क्षमता का उत्तरोत्तर विकास, शोध एवं मूल्यांकन, नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण सामग्री विकास, ई.एम.आई.एस. द्वारा प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण तथा आवश्यकतानुसार उनका उपयोग आदि दायित्वों का निर्वाह किया जायेगा।

डाइट द्वारा अपने इन दायित्वों का सफल निर्वहन के लिए उपर्युक्त रणनीतियों का विकास कर उनपर अमल किया जायेगा। इसकी संक्षिप्त रूपरेखा इस प्रकार रहेगी।

अभिकर्मियों की क्षमता का विकास :

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए डाइट द्वारा 'संस्थागत क्षमता विकास कार्यक्रम' लागू किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना डाइट की महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक है। उक्त कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को शिक्षण विधि तथा विषयवस्तु पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना, एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. समन्वयकों के पर्यवेक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना, वैकल्पिक शिक्षा, ग्राम शिक्षा समिति प्रशिक्षण आदि दायित्वों का निर्वहन पूर्व में दिये जा चुके कार्यक्रमानुसार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त

विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से स्त्रोत संरचना (रिसोर्स नेटवर्किंग) का काम भी किया जायेगा। उच्च प्राथमिक व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम शोध कार्य का सार्थक उपयोग कर अभियान के कियान्वयन को और अधिक गति प्रदान की जायेगी। बाहरी संस्थान के अनुभवी व्यक्तियों तथा उक्त संस्थाओं के अनुभवों से लाभ उठाने के लिए डाइट के संकाय सदस्यों के निमित्त व्याख्यानों, परिचर्चाओं व वार्ताओं का आयोजन किया जायेगा।

अकादमिक संसाधन समूह को सशक्त बनाना :

सर्व शिक्षा अभियान को ध्यान में रखकर अकादमिक संसाधन समूह को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया जायेगा। इस समूह का गठन जनपद स्तर पर गुणवत्ता उन्नयन के कार्यक्रमों का आयोजन, कियान्वयन तथा अनुश्रवण कर प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों से प्राप्त फीडबैंक का विश्लेषण करने के उद्देश्य से किया गया है। इस समूह के सदस्यों में डाइट कर्मियों के अलावा बाह्य विशेष व योग्य उत्साही शिक्षक भी शामिल हैं। इब इस समूह से हाईस्कूल तथा इंटर के शिक्षकों को भी जोड़ा जायेगा तथा एस.सी.आई.आर.टी. के सहयोग से इनकी क्षमता सम्वर्द्धन के लिए डाइट स्तर पर 5 दिवसीय कार्यशालायें भी आयोजित की जायेंगी।

स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता बढ़ाना :

सर्व शिक्षा अभियान के सफलता का बहुत कुछ दारोमदार स्वयंसेवी संगठनों पर भी निर्भर है। डाइट ने तय किया है कि जनपद में सक्रिय संगठनों को इस अभियान से जोड़कर उनमें उपलब्ध अकादमिक संसाधनों का आधिकाधिक उपयोग किया जायेगा। समुदाय को जागरूक बनाने की दिशा में भी इन संगठनों को सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित किया जायेगा।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण :

इक्कीसवीं सदी में कम्प्यूटर के उपयोग के बिना समय के साथ तालमेल बनाये रख पाना असम्भव है। डाइट द्वारा जनपदीय परिवेश की आवश्यकतानुसार कार्यक्रमों के नियोजन व अनुश्रवण में कम्प्यूटर के उपयोग को अधिकाधिक प्रोत्साहित किया जायेगां इतना ही नहीं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं इसके लिए सम्बंधित विद्यालयों के शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।

सहायक शिक्षण सामग्री का विकास करना :

बच्चों में शिक्षण के प्रति लालसा ओर जिज्ञासा उत्पन्न करने की दृष्टि से तद्नुरूप शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक सामग्री का विकास किया जायेगा। यह कार्य एन.पी.आर.सी. पर संकुल प्रभारी द्वारा योग्य शिक्षक की सहायता से किया जायेगा। इसके लिए डाइट स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी बाद में इसी कम में विकास खण्ड स्तर पर उक्त सामग्री का विकास किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि यह कार्य डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत भी किया गया थां उसके अनुभवों का लाभ उठाकर सामग्री विकास की प्रकिया कक्षा शिक्षण की आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री तैयार करने के एिल शिक्षकों को 500 रूपये अनुदान के रूप में उपलब्ध कराये गये थे। अनुदान की यह व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान में भी जारी रखी जायेगी।

कार्यशालाओं व गोष्ठियों का आयोजन :–

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रो पर न्याय पंचायत समन्वयक के नेतृत्व में होने वाली बैठकों को और अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से डायट स्तर पर एक वार्षिक कार्ययोजना भी बनायी जायेगी। इस वार्षिक कार्य योजना को बनाने में बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों

की सहायता भी ली जायेगी तथा तैयार की गयी वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर निम्नवत कार्यशालाओं /गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा।

1– छात्र/छात्राओं के सम्प्राप्ति स्तर की स्थिति।

2– अनुपूरक अध्ययन सामाग्री निर्माण।

3– विज्ञान /भाषा शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामाग्री विकास।

4– छात्र / छात्राओं के गणवेश में आने हेतु प्रेरित करने के लिए संगोष्ठी।

5– कक्षा कक्षों में प्रशिक्षण का प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए गोष्ठी विचार।

6– छात्र/छात्राओं के सम्प्राप्ति स्तर के मूल्याकन हेतु टैस्ट आइटमों का निर्माण।

7– विद्यालय प्रबन्धन में समुदाय की सहभागिता कैसे बढ़ायी जाये।

8– छात्र/छात्राओं के बुद्धि लब्धि के परीक्षण हेतु टैस्ट आइटमों का निर्माण।

सर्व शिक्षा अभियान की सफलता के लिए यह भी जरूरी है कि शिक्षकों के सामने उपस्थित कठिनाईयों को जानकर उनका यथासमय निराकरण कर दिया जाये। इसके लिए डाइट द्वारा समय–समय पर गोष्ठियों तथा कार्यशालाओं के आयोजन की व्यवस्था की जायेगी। उल्लेखनीय है कि डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत वर्तमान में भी न्यायपंचायत स्तर पर शिक्षकों की मासिक गोष्ठी आयोजित की जाती हैं यह गोष्ठी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर केन्द्रित रहती है। इसमें शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं का समाधान तो किया ही जाता है इसके साथ–साथ आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण तथा सामग्री निर्माण जैसे कार्य भी किए जाते हैं। विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया है कि इन मासिक संगोष्ठियों का सिलसिला सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी जारी रखा जायेगा। डी.पी.ई.पी. के अनुभवों को ध्यान में रखकर गोष्ठियों के एजेंडा में आवश्यक परिवर्तन कर इन्हें और उपयोगी बनाया जायेगा। इसके अलावा वार्षिक कार्ययोजना को ध्यान में रखकर आवश्यकतानुसार अन्य गोष्ठियां कार्यशालायें भी आयोजित की जायेंगी।

इन कार्यशालाओं में बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर के आंकड़ों की विवेचना, अनुपूरक अध्ययन सामग्री का निर्माण, विज्ञान शिक्षण के लिए सहायक अध्ययन सामग्री का विकास मूल्यांकन के लिए टेस्ट आइटम का निर्माण तथा स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के एिल कहानियों व कविताओं का संकलन किया जायेगा।

शोध तथा मूल्यांकन कार्य :

किसी भी कार्य की सफलता के लिए उससे सम्बंधित परिस्थितियों परिवेश आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं का आंकलन बहुत जरूरी होता है। यह आंकलन सम्बंधित क्षेत्र में सघन सर्वेक्षण ओर शोध के माध्यम से ही सम्भव है। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य की महत्ता ओर विशालता को ध्यान में रखकर यह निश्चय किया गया है कि डाइट द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, सहायक सामग्री, कक्षा शिक्षण, निरीक्षण विद्यालय प्रबंध, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वस्तु स्थिति का सर्वेक्षण कराकर व्यवहारिक कठिनाईयों को जानने ओर उन्हें दूर करने के उद्देश्य से कियात्मक शोध काय्र करवाये जायेंगे। उक्त शोध कार्यों के निष्कर्ष तथा विश्लेषण के नतीजों को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, प्रशिक्षकों व निरीक्षकों तक पहुंचाकर आवश्यक शिक्षण क्षमता का भी अध्ययन तथा मूल्यांकन कर आवश्यकतानुसार उसमें सुधार के लिए समुचित मार्ग दर्शन व प्रशिक्षण दिया जायेगा। समय–समय पर बच्चों के सम्प्राप्ति स्तर का अवलोकन करने के लिए 'क्लासरूम आर्ब्जवेशन स्टडी' भी की जायेगी।

एक्शन रिसर्च :

जनपद में शिक्षकों द्वारा एक्शन रिसर्च का कार्य संपादित किये जाने की दृष्टि से 5 दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन सीमेंट इलाहाबाद तथा एन.सी. आर.टी. लखनऊ के सहयोग से किया जायेगा। बी.आर.सी. व एन.पी.आर.सी. को इतना सक्षम बनाया जायेगा कि वे शिक्षकों की समस्याओं को समझकर उनका निराकरण करने के लिए स्वयं कार्य योजना तैयार कर सकें। इस प्रकार कियात्मक शोध की प्रकिया को संकुल स्तर से विद्यालय स्तर तक ले जाया

जायेगां कियात्मक शोध के लिए जो क्षेत्र प्रस्तावित किये गये हैं उनमें प्रमुख इस प्रकार हैं।

1. शिक्षकों को दिये जाने वाले अनुदान का सार्थक और परिणामपरक उपयोग किस प्रकार सम्भव है।
2. बहु कक्षा शिक्षण की स्थिति में सभी विद्यार्थियों को लाभान्वित कर सकने योग्य विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार किया जाये।
3. बच्चों को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहयोग किया प्रकार प्राप्त किया जाये।
4. यदि बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर कम है तो उसके कारणों की पहचान तथा निराकरण के उपाय।
5. कक्षा शिक्षण में जनभागीदारी बढ़ाने के उपाय।
6. ग्राम शिक्षा समितियों की निष्क्रियता के कारण ओर उन्हें सक्रिय बनाने के उपाय।
7. शिक्षकों को दिये जाने वाले प्रशिक्षणों का कक्षा में बेहतर कियान्वयन किस तरह सुनिश्चित किया जाये।
8. विद्यालयों में बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन किस तरह सम्भव हो।
9. कार्य निष्पादन के आधार पर चिन्हित कमजोर विद्यालयों की समस्यायें।
10. विद्यालय विकास योजना का प्रभावी कियान्वयन कैसे हो।
11. सर्व शिक्षा अभियान में महिला शिक्षिकाओं की भूमिका।
12. कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षण तकीनीक क्या है।
13. विद्यालय में ठहराव बढ़ाने का उपाय।

उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण तथा उनका उपयोग :

अक्सर यह देखा गया है कि आंकड़े तो एकत्रित कर लिए जाते हैं किन्तु व्यवस्था में विद्यमान कमियों को दूर करने के लिए उनका कोई उपाय नहीं किया

जाता इस स्थिति को दूर करने के लिए डाइट द्वारा ई.एम.आई.एस. से प्राप्त आंकड़ों का गहन विश्लेषण किया जायेगा ताकि नियोजन एवं कियान्वयन की प्रकिया में उनका समुचित उपयोग हो सके। उल्लेखनीय है कि इन आंकड़ों के विश्लेषणों से प्रत्येक ब्लॉक, गांव तथा विद्यालय की मूलभूत समस्याओं ओर अपेक्षाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती हैं। इसके लिए इनके माध्यम से समस्त विद्यालयों की बिन्दुबार स्थिति जानी जा सकती है। सर्वशिक्षा अभियान को प्रभावी बनाने के लिए इन आंकड़ों के माध्यम से विभिन्न विद्यालयों की आवश्यकताओं को रेखांकित कर उन्हें पूरा किया जायेगा।

शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन :

शिक्षण प्रकिया को नियन्त्रित और गतिशील बनाये रखने में मूल्यांकन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से बच्चे के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा कियात्मक पक्ष का भलीभांति आंकलन किया जा सकता हैं वर्तमान में मासिक अर्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन की जो प्रणाली विद्यमान है उसमें अनेक खामियां हैं। इन खामियों को दूर किए बिना मूल्यांकन के वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती। वर्तमान में आठवीं कक्षा तक की परीक्षायें स्थानीय स्तर पर होती हैं तथा विद्यालय में ही उनका मूल्यांकन होता है। प्रायः यह देखा गया है कि स्थानीय दबावों के चलते अत्यंत कमजोर बच्चों भी अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं पहली ओर दूसरी कक्षाओं में जनरल प्रमोशन की व्यवस्था के कारण शिक्षकों, बच्चों एवं अभिभावकों को कोई चिन्ता ही नहीं रहती। इस स्थिति में बदलाव के लिए यह तय किया है कि पांचवी कक्षा की परीक्षायें एन.पी.आर.सी. स्तर पर तथा कक्षा 8 की परीक्षा जिला स्तरीय माध्यमिक विद्यालयों में आयोजित की जायेंगी। उक्त दोनों ही कक्षाओं का मूल्यांकन डाइट स्तर पर किया जायेगा। इन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी डाइट स्तर पर विषय के कुशल अध्यापकों द्वारा तैयार किये जायेंगे। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के बिन्दु वार मूल्यांकन तथा उन्हें आवश्यक आवश्यकतानुसार फीडबैक उपलबध कराने के लिए तदनुरूप सतत एवं व्यापक

मूल्यांकन प्रणाली अमल में लाई जायेगी। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति के मूल्यांकन के लिए बनाई गयी मूल्यांकन प्रणाली का इस समय फील्ड ट्रायल किया जा रहा है। इसमें रह गई कमियों का परीक्षण कर उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक रूप से जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली तैयार होगी उसका उपयोग सर्वशिक्षा अभियान में किया जायेगा। इस प्रणाली के तहत शिक्षकों के लिए कोई प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित नहीं किया जायेगा बल्कि इसे सर्व शिक्षा अभियान में नियमित शिक्षक प्रशिक्षण का ही एक अंग बनाया जायेगा। इस सम्बंध में आवश्यकता होने पर डाइट, बी.आर.सी. व एन.पी.आर.सी. स्तर के अभिकर्मियों को प्रशिक्षित किया जायेगा ताकि वे विद्यालयों में इसका कियान्वयन अपेक्षानुरूप करवा सकें।

डाइट द्वारा वर्तमान में आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण व कार्यशालाओं उनकी अवधि तथा उनके प्रतिभागियों के प्रकार का वर्णन निम्नानुसार है :–

विजनिंग कार्यशाला	डाइट के संकाय सदस्य, जिला परियोजना कार्यालय का स्टाफ, सहा0बे0शि0अधि0, एस0डी0आई0, बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 समन्वयक	4 दिन
शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षको का प्रशिक्षण	चुने हुए प्रशिक्षक	10 दिन
शिक्षा मित्र/आचार्य जी का प्रशिक्षण 1– आधार भूत प्रशिक्षण 2– रिफ्रेशर प्रशिक्षण	शिक्षा मित्र / आचार्य जी	 30 दिन 15 दिन
वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का	अनुदेशक	

प्रशिक्षण 1– आधार भूत प्रशिक्षण 2– रिफ्रेशर प्रशिक्षण		 15 दिन 10 दिन
वैकल्पिक शिक्षा के पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण	बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक	3 दिन
ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की कार्यकत्रियों / सहायिकाओं का प्रशिक्षण	ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की कार्यकत्रियों / सहायिकायें	7 दिन
बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण	बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक	7 दिन
ए0बी0एस0ए0 / एस0डी0आई0 का प्रशिक्षण	ए0बी0एस0ए0 / एस0डी0आई0	5 दिन
बी0आर0जी0 का प्रशिक्षण	बी0आर0जी0 के सदस्य	3 दिन
कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	डाइट स्टाफ एवं चुने हुए शिक्षक	1 माह
अंग्रेजी तथा संस्कृत के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षक	5 दिन
उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	5 दिन
नेतृत्व प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक	7 दिन
एकशन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	डाइट स्टाफ, बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, चुने हुए शिक्षक	5 दिन
मैटेरियल मेला	चुने हुए शिक्षक	3 दिन

सतत् व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	डाइट स्टाफ, बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, चुने हुए शिक्षक	3 दिन
अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	डाइट स्टाफ, बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक	3 दिन
कार्यानुभव प्रशिक्षण	बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, चुने हुए शिक्षक	5 दिन
अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला	चुने हुए शिक्षक / शिक्षिकायें	3 दिन
प्राथमिक / उच्च प्रा0 कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री निर्माण कार्यशाला	प्राथमिक / उ0प्रा0वि0, हाईस्कूल, इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	3 दिन
प्राथमिक / उच्च प्रा0 कक्षाओं में गणित शिक्षण हेतु सामग्री निर्माण कार्यशाला	प्राथमिक / उ0प्रा0वि0, हाईस्कूल, इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	3 दिन
अकादमिक सन्दर्भ समूह की क्षमता विकास कार्यशाला	अकादमिक सन्दर्भ समूह के सदस्य	5 दिन
कक्षा शिक्षण मे श्रव्य– दृश्य माध्यम के उपयोग सम्बंधी कार्यशाला	बी.आर.सी. समन्वयक, चुने हुए विद्यालय के शिक्षक	02 दिन
बहुश्रेणी शिक्षण हेतु सेल्फ लर्निंग मेटीरियल का विकास सम्बंधी कार्यशाला	चुने हुए शिक्षक	05 दिन
वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी.	02 दिन

हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला	समन्वयक	
संस्थागत क्षमता विकास कार्यशाला	डाइट के संकाय सदस्य	03 दिन

अकादमिक पर्यवेक्षण में समेकित भूमिका :

सर्व शिक्षा अभियान में अकादमिक पर्यवेक्षण का महत्व भी बहुत अधिक है। इस कार्य में डाइट बी.आर.सी. एवं एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका रहेगी। इसके लिए निर्धारित की गई रूप रेखा के अनुसार एन.पी.आर.सी. अपने द्वारा किए गए अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी.आर.सी. को सौंपेगा एवं बी.आर.सी. उक्त प्रतिवेदन का आंकलन व विश्लेषण कर उसे डाइट के समक्ष प्रस्तुत करेगा। डाइट के अकादमिक सदस्य इस प्रतिवेदन में उल्लेखित की गई विभिन्न समस्याओं एवं उनके निदान के उपायों पर विचार विमर्श कर भविष्य का एजेंडा तैयार करेंगे। जनपद स्तर पर डाइट अकादमिक नेतृत्व में अपना कार्य सम्पादित करेंगे। प्रभावशाली तथा परिणामोन्मुखी कार्य संस्कृति विकसित करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान में प्रत्येक स्तर पर मासिक संगोष्ठियों का आयोजन, श्रेणीकरण, भ्रमण तथा कार्यों का अनुश्रवण एवं विश्लेषण किया जायेगा। अशासकीय उच्च विद्यालयों, हाईस्कूल, इण्टर कॉलेज में 6–8 कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, शिशु केन्द्रों तथा शिक्षा गारंटी केन्द्रों को भी अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में लाया जायेगा।

गुणवत्ता विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. का प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डाइट स्तर पर किया जायेगा। अकादमिक प्रशिक्षण प्रणाली को अधिकाधिक मजबूत ओर सक्षम बनाना इस प्रशिक्षण कार्य का मुख्य उद्देश्य होगा।

कार्य निष्पादन के आधार पर विद्यालयों, एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. का वर्ग विभाजन कर अपेक्षित संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उनकी स्थिति में सुधार पर विशेष बल दिया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी.आर.सी.)की भूमिका :

डाइट के नेतृत्व में बी.आर.सी. अपनी वार्षिक कार्य योजना तैयार करेंगे जिनमें निम्न कार्यों का समावेश अनिवार्य रूप से होगा।

1. सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण।
2. विद्यालयों में प्रशिक्षणों के प्रभाव का पर्यवेक्षण।
3. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, शिशु केन्द्रों तथा शिक्षा गारंटी केन्द्रों का नियमित पर्यवेक्षण।
4. समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायतराज संस्थाओं व अन्य विभागों के तालमेल से समुदाय के सदस्यों का प्रशिक्षण।
5. उपलब्ध आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण।
6. अकादमिक समस्याओं को दूर करने के लिए डाइट तथा एन.पी.आर. सी. के मध्य सेतु का कार्य करना।
7. शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों का सहयोग।
8. विद्यालय विकास कार्यक्रम के तहत अकादमिक अनुश्रवण।
9. सामग्री निर्माण के लिए कार्यशालाओं का आयोजन।
10. सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए समुदाय, अभिभावकों तथा संचार माध्यमों को संवेदनशील बनाना।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों की भूमिका :

सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए एन.पी.आर.सी. भी अपनी वार्षिक कार्य योजना तैयार करेंगे। जिनमें निम्न कार्यों का समावेश अनिवार्य–रूप से होगा।

1. शिक्षकों के लिए मासिक प्रशिक्षणों तथा कार्यशालाओं का आयोजन।
2. विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई. तथा शिक्षा गारंटी केन्द्रों का अकादमिक पर्यवेक्षण।

3. ग्राम शिक्षा समिति डब्लू.एम.जी., पी.टी.ए. तथा एम.टी.ए. सदस्यों का प्रशिक्षण।
4. ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण।
5. स्कूल भ्रमण तथा आदर्शपाठों का प्रस्तुतिकरण।
6. शोध मूल्यांकन तथा अध्ययन में शिक्षा का सहयोग।
7. विद्यालय विकास कार्यक्रम का अनुश्रवण।
8. एन.पी.आर.सी. अभिभावकों, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के लिए स्रोत केन्द्र की भूमिका निभायेंगे।

नवाचार कार्यक्रम :

जनपद में अनेक स्थानों पर यह देखा गया कि ड्राप आउट होने अथवा अधिक आयु हो जाने की झेंप के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए नवाचार कार्यक्रम प्रारम्भ करने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य बालिकायें तथा कामकाजी एवं बाल श्रमिक बच्चे हैं। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को गुणवत्ता परक अर्थात कार्यानुभव आधारित शिक्षण प्रदान किया जायेगा। इसके तहत बालिकाओं को उनकी रुचि और इच्छा के अनुरूप कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, फैशन डिजायनिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, खाद्य प्रसंस्करण आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इससे जहां ड्राप आउट की दर में कमी आयेगी, वहीं विद्यालयों में उनका ठहराव बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। डाइट द्वारा विभिन्न ग्रामों में समुदाय ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, स्कूल न जाने वाले अथवा ड्रॉप आउट करने वाले बच्चों के अभिभावकों, जन प्रतिनिधियों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों के साथ किये गए फोकस ग्रुप डिस्कशन में यह तथ्य उभर कर सामने आया कि अपने व्यवसाय में संलग्न बच्चों को विद्यालय तक जाने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें जीवनोपयोगी कौशल में दक्ष करने

वाला प्रशिक्षण प्रदान किया जायें ताकि स्वावलम्बी बन सकें। नवाचार कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को ऐसी ही शिक्षा उपलब्ध कराना है।

ललितपुर जनपद में नवाचार कार्यक्रम के लिये जो रूप रेखा तैयार की गई है, उसके तहत सबसे पहले सभी छह विकास खण्डों में तीन–तीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार बच्चों को कौशल में प्रशिक्षित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण इस प्रकार नियोजित होगा कि सबसे पहले चिन्हित विद्यालयों में कच्चा माल उपलब्ध कराया जायेगा, उस कच्चे माल से तैयार किये गये माल का विक्रय कर इससे प्राप्त बचत धनराशि का कुछ अंश बालक–बालिकाओं को पारिश्रमिक के रूप में प्रदान किया जायेगा तथा मूल धनराशि से पुनः कच्चामाल खरीदा जायेगा। इस प्रकार एक बार प्रारम्भ होने के बाद यह प्रकिया बिना किसी अतिरिक्त लागत की नियमित रूप से चलती रहेगी।

अनुपूरक शिक्षण सामग्री का विकास :

बच्चों में शिक्षण के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए यह जरूरी है कि कक्षा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के साथ–साथ सहायक शिक्षण सामग्री का भी उपयोग किया जाये। इसके लिए यह तय किया गया है कि जनपद में स्थानीय उपलब्ध विशेषज्ञों के सहयोग से ऐसा सहायक शिक्षण सामग्री तैयार की जायेगी जिसमें जनपद की भौगोलिक, ऐतिहासिक व पुरातात्विक विशेषताओं की जानकारी जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों की जानकारी तथा जनपद की विशिष्ट पहचान बनाने वाली गतिविधियों की जानकारी समाहित होगी। इस सामग्री के जरिये बच्चों को जनपद के महान व्यक्तियों के जीवन से प्रेरणा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया जायेगा। इस सामग्री को तैयार करने के लिए उपलब्ध साहित्य की सहायता लेने के साथ–साथ विभिन्न स्तरों पर

कार्यशालायें भी आयोजित की जायेंगी। अनुपूरक शिक्षण सामाग्री उपलब्धता की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :–

- कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम विद्यालयों में वितरित कर दिये गये हैं।
- प्राथमिक स्तर की शिक्षक संदर्शिकायें भी प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध करा दी गई हैं।
- कक्षा 6 से 8 तक का पाट्यक्रम प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध करा दिया गया हैं।

कक्षा की प्रकिया में समुदाय की भागीदारी बढ़ाना :

शिक्षा से सम्बंधित कोई भी कार्यक्रम समुदाय की सक्रिय भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता। ग्राम शिक्षा समितियों का गठन इसी उद्देश्य से किया गया था। किन्तु विभिन्न कारणों से यह समितियां अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकी। सर्व शिक्षा अभियान मे इन समितियों को सक्रिय और सकारात्मक बनाने के लिए ठोस ओर सुनिश्चित परिणाम वाले कदम उठाये जायेंगे। इन समितियों के अपेक्षित मापदण्ड पर खरे न उतरने वाले कारणों को चिन्हित कर उन्हे दूर करने की कार्य योजना भी तैयार कर ली गई है।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढीकरण :

पुरस्कार एवं प्रोत्साहन की व्यवस्था :

सर्व शिक्षा का संचालन पूरे जनपद में सघन स्तर पर किया जायेगा। इसकी सफलता और सार्थकता तभी सम्भव है जब इस अभियान से जुड़ी प्रत्येक इकाई अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन गम्भीरतापूर्वक करे। इसके लिये अभियान की नियमित मोनीटरिंग के अलावा उत्कृष्ट कार्य का

प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत व प्रोत्साहित करना बड़ा जरूरी है। इससे उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होगी और वे पहले से भी अधिक ऊर्जा के साथ अपना कार्य सम्पादित करेंगे। ललितपुर जनपद में पुरस्कार की जो रूपरेखा तय की गई है उसके अनुसार उत्कृष्ट कार्य का प्रदर्शन करने वाले 2 बी0आर0सी0 को 10–10 हजार रुपये व प्रशस्ति पत्र तथा प्रत्येक विकास खण्ड में एक एन0पी0आर0सी0 को 7 हजार रुपये व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड में समुदाय की भागीदारी बढाने व उत्कृष्ट कार्य करने वाली दो ग्राम शिक्षा समितियों को कमशः 15 हजार व 10 हजार रुपये का पुरूस्कार व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा। यह समितियां अपने विवेकानुसार इस धनराशि का उपयोग विद्यालय को समृद्ध बनाने के लिये कर सकेंगी। शिक्षकों को नवाचार के लिये प्रेरित करने के लिये उच्च शैक्षिक मानदण्ड स्थापित करने वाले योग्य व प्रतिभाशाली शिक्षकों को भी पुरस्कृत किया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक विकास खण्ड से एक एक शिक्षक का चयन कर उन्हें 5–5 हजार रूपये नकद व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।

विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति बढाने के लिये विशिष्ट योजनायें

1 न्याय पंचायत स्तर पर व्यायाम शिक्षक की व्यवस्था :

वर्तमान में पूरे जनपद में उच्च प्राथमिक स्तर पर मात्र एक व्यायाम शिक्षक पदस्थ है। सर्वशिक्षा अभियान के तहत यह तय किया गया है कि प्रत्येक न्याय पंचायत में एक व्यायाम शिक्षक की नियुक्ति की जायेगी। जो अपने क्षेत्र के सभी विद्यालयों में बारी–बारी से जाकर वहॉ खेल गतिविधियॉ संचालित करेगा तथा बच्चों को विभिन्न खेलों के नियमों से भी अवगत करायेगा। खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये

प्रतियोगात्मक स्पर्धाओं को भी बढावा दिया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय में खेलों से सम्बन्धित आवश्यक सामग्री भी कय की जायेगी।

2 बाल मनोवैज्ञानिक की व्यवस्था (डाइट मे सलाहकार के रूप में :

जनपद के विभिन्न विद्यालयों का सर्वेक्षण करने पर यह अनुभव किया गया कि मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की मानसिकता न समझ पाने के कारण शिक्षक उनके विकास के लिये कोई कारगर उपाय नहीं कर पाता है। इसका परिणाम यह होता है कि शिक्षण में पिछड़े हुये बच्चे धीरे धीरे कुंठित होने लगते हैं और अन्ततः वे विद्यालय आना ही छोड़ देते हैं। इसी प्रकार कुछ बच्चे अलग अलग कारणों से चिड़चिड़े, लड़ाकू, दब्बू या बीमार से रहने लगते हैं। यदि इन बच्चों की मनोदशा को समझकर उनके मन में घर बैठे हीनता बोध को दूर करने के लिये मनोवैज्ञानिक उपाय अपनाये जायें तो न केवल इन बच्चों के मन से हीनता की भावना निकाली जा सकती है बल्कि वे भी पढाई में मन लगाकर कक्षा के अन्य बच्चों के समकक्ष आ सकते हैं। इसीलिये जनपद मुख्यालय में बाल मनोवैज्ञानिक की व्यवस्था की जायेगी जो बारी–बारी से जनपद के प्रत्येक विद्यालय में जाकर बच्चों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण कर उनकी मानसिक उन्नति के लिये आवश्यक उपाय करेगा।

अध्याय – 10

परियोजना कियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्वशिक्षा अभियान वस्तुतः जनपद में वर्तमान में संचालित डी.पी.ई.पी. के स्थान पर कियान्वित किया जाने वाला ऐसा अभियान है जिसमें जनपद के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को नामांकित कर उन्हें अगले 10 वर्षों में अपरिहार्य रूप से कक्षा 8 तक की शिक्षा प्रदान करना है। वर्ष 2001 से प्रारम्भ होने वाला यह अभियान वर्ष 2010 तक चलेगा। इसमें बालक–बालिकाओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने पर तो विशेष बल दिया ही जायेगा साथ ही साथ इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एवं प्रबंधन कौशल का भी विकास किया जायेगा। अभियान के सभी कार्यक्रम एवं उनका प्रबंधन उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परिषद द्वारा किया जायेगा।

यह भी स्पष्ट है कि इस अभियान की सफलता का दारोमदार टीम भावना पर आधारित है। विशेष बात है कि इसमें शामिल सभी व्यक्तियों को अपनी व्यक्तिगत श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के भी पर्याप्त अवसर मिलेंगे। विभिन्न योजनाओं के लिए ग्राम शिक्षा समितियों को व्यापक अधिकार दिए गए हैं, ऐसा इसलिए भी किया गया है ताकि अभियान में समुदाय की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो। इसमें समयबद्ध समीक्षा की भी व्यवस्था की गई है ताकि दृष्टिगत होने वाली कमियों को तुरंत ही दूर किया जा सके। अभियान में उत्तर दायित्वों का विकेन्द्रीकरण अभियान में शामिल आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति तक किया गया है ताकि अभियान की प्रगति का जायजा नित्य प्रति लिया जा सके।

संवेदनशील और लचीला प्रबंधतंत्र :

सर्व शिक्षा अभियान को पूर्वाग्रहों से पूरी तरह मुक्त रखा गया है ताकि समय–समय पर होने वाले आंकलन से सामने आने वाली आवश्यकताओं के

अनुरूप इसकी रणनीतियों में तत्काल अपेक्षित परिवर्तन किए जा सकें। इसके प्रबंधन को लचीला ओर अधिकाधिक संवेदनशील बनाने का उद्देश्य भी यही है कि अपने पूर्ववर्ती अभियानों की तरह यह अभियान भी केवल कागजों तक ही सीमित न रह जाए। अभियान के उद्देश्य और लक्ष्य पूरी तरह स्पष्ट हैं। सबको शिक्षित करने का लक्ष्य प्राप्त किये बिना अन्य कोई भी उपलब्धि इसे सफल या उपयोगी नहीं बना सकती।

इन्हीं कारणों से इस महत्वाकांक्षी अभियान के प्रशासनिक कार्यों में पर्याप्त लचीलापन लाने, हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने, अभियान के कियान्वयन में वित्तीय व्यवधान उत्पन्न न होने देने, संसाधनों की समुचित व्यवस्था, कोई भी रणनीति बनाने से पहले उसके हर पहलू पर विचार करने के लिए एक ऐसा प्रबंध तंत्र विकसित किया गया है, जिसमें विफलता के लिए कोई अवसर ही नहीं हैं। इस प्रबंध तंत्र को निम्न चार्ट से समझाया जा सकता है।

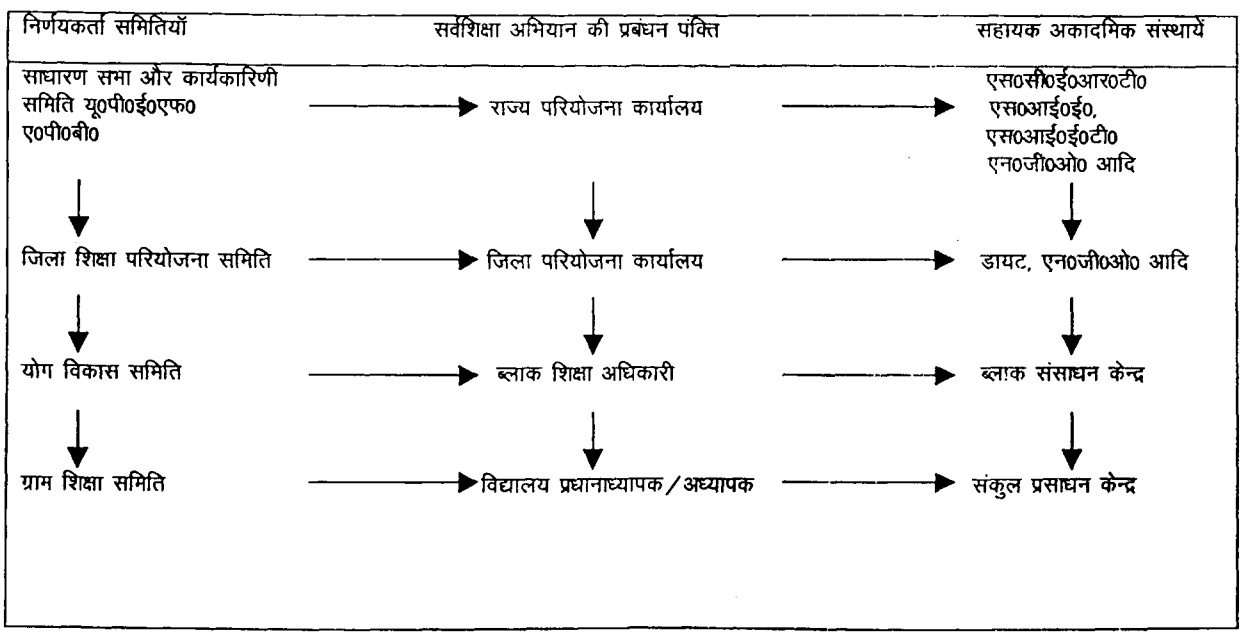

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति आवश्यक है। पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा समितियों को सुदृढ़ीकृत एव क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियों, नामांकन, ठहराव परिक्रमा सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से संबंधित समस्त विकास कार्यो एवं एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु पंचायतीराज समितियों का सहयोग लिया जायेगा।

संगठनात्मक ढांचा एवं नीति निर्धारण :

ग्राम शिक्षा समिति :

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कार्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया। जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं। समिति का स्वरूप निम्नवत है :–

1– ग्राम पंचायत का प्रधान समिति का अध्यक्ष होगा।

2– ग्राम पंचायत में स्थिति बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक और यदि वहॉ एक से अधिक स्कूल हों तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा।

3– प्रत्येक विद्यालय का प्रधान अध्यापक सदस्य होगा।

4– बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित किये जायेंगे।

5– ग्राम के आदर्श सेवा निवृत्त/राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत शिक्षक।

अधिकार एवं दायित्व :

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी –

क– पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबन्धन करना।

ख– ऐसे बेसिक सकूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनायें तैयार करना।

ग– पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।

घ– बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये ब्लाक पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत को सुझाव देना।

ड़– ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझे जायें।

च– बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कार्यों को करना, जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें।

उ0प्र0 जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत यह समिति नीति निर्धारण के साथ साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परिसर में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित हैं। वर्तमान में स्थिति यह है कि ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में जनता की सहभागिता हासिल करने में अपेक्षित रूप से सफल नहीं हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबंधन एवं शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कार्यों का सम्पादन अपेक्षानुरूप़ हो सके यह सुनिश्चित किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एवं सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ साथ बस्ती/ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में पर्याप्त सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारंभिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सकें।

उपयुर्क्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, सचल विद्यालय की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एवं अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण इसी समिति का अधिकार एवं दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों, आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0):

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सकिय एवं कियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :

1– न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना।

2– अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना, उनकी शैक्षिक कठिनाइयों पर विचार विमर्श एवं उनका निराकरण करना साथ ही प्रतिभावान एवं दक्ष अध्यापकों का चयन कर उनका उपयोग अन्य विद्यालयों के लिए भी करना।

3– ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराना।

4– ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार, परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।

5– न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म–नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :

जिले की भांति प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यकम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी है।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित हैं :–

1–	ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
2–	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/उप विद्यालय निरीक्षक	सदस्य सचिव
3–	समन्वयक ब्लाक संसाधन केन्द्र	सदस्य उपसचिव
4–	विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान	सदस्य
5–	विकास खण्ड से एक शिक्षित महिला ग्राम प्रधान	सदस्य
6–	विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक	सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

इस समिति के मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी कियान्वयन एवं अनुश्रवण करना है । यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/पी0एम0आर0वाई0 के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन – ब्लाक स्तर :

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत हैं, जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को कियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक परियोजना कियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होंगे। विकास खण्ड के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों, ब्लाक संसाधन केन्द्रों के मध्य

समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा। इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेंगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका होगी। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। सार रूप में विकास खण्ड स्तरीय अभिकरण के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगेः–

1– सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

2– विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।

3– ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।

4– ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

5– ब्लाक स्तर पर शैक्षिक ऑकड़े संकलित करना।

6– सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचनायें एकत्र करना।

7– खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचनायें संकलित कराना।

8– विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनु0जा0/अनु0जन0जा0 के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।

9– विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।

10– विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षामित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।

11– ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।

12– अध्यापकों, शिक्षामित्रों, आचार्यों आदि कर्मचारियों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई0जी0एस0 तथा ए0आई0ई0 के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेंगे तथा ई0जी0एस0 एवं ए0आई0ई0 केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं का विवरण एवं कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भूमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढाने के उद्देश्य से यात्रा भत्ता तथा रख रखाव हेतु धनराशि प्रतिवर्ष/प्रति विकास खण्ड उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हें ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0) :

इस जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत सभी विकास खण्डों में ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। परियोजना के अन्तर्गत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्रों को विद्युतीकृत एवं सुसज्जित किया जाना प्रस्तावित है। यहॉ समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके हैं और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा, जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यों के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण में सहायता करेंगे साथ

ही एक सह समन्वयक जिसे वित्तीय लेखा की जानकारी हो। इस प्रकार दो सह समन्वयक के पद और सृजित किये जायेंगे।

शैक्षिक गुणवत्ता सम्वर्द्धन व समर्थन हेतु देखा गया है कि बी0आर0सी0 समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण में निकलता है, अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर व कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकृत करने की योजना है जिसके लिये प्रति बी0आर0सी0 एक लाख रूपये का प्रविधान किया जा रहा है। एक अध्यापक/समन्वयक से कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा साथ ही अनुश्रवण भ्रमण हेतु स0बे0शि0अधि0 को वाहन किराये पर लेने का प्राविधान किया गया है।

कार्य एवं दायित्व :

1– अध्यापकों, वी0ई0सी0, एम0टी0ए0, डब्लू0एम0जी0, आदि को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।

2– विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।

3– विकास खण्डों की एकेडमिक, आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना, शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म–नियोजन करना।

4– ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

5– न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।

6– ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।

7– विकास खण्ड के अन्तर्गत स्कूल से बाहर बच्चों के संबंध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूटराईज्ड विवरण तैयार करना।

8– ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय–समय पर एकत्रीकरण व सेम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समिति :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारण एवं रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एवं सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं।

समिति का गठन निम्नवत है :–

➢ जिलाधिकारी	अध्यक्ष
➢ मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
➢ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव
➢ प्राचार्य डायट	सदस्य
➢ जिला श्रम अधिकारी	सदस्य
➢ जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
➢ वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा)	सदस्य
➢ अधिशाषी अभियन्ता (आर0ई0एस0)	सदस्य
➢ अधिशाषी अभियन्ता (पी0डब्ल्यू0डी0)	सदस्य
➢ जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
➢ दो शिक्षा विद् (महाविद्यालय से)	सदस्य

जिलाधिकारी द्वारा नामित

➢ दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला कम से (एक वर्ष के लिये)	सदस्य
➢ दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त)	सदस्य
➢ शिक्षक संगठन के अध्यक्ष	सदस्य
➢ स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्व :

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिला स्तर पर उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुये इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने, रणनीति निर्धारण के संबंध में इसके निर्णय प्रभावी होंगे। प्रवेश धारण, गुणवत्ता संवर्धन, निर्माण के लिये तकनीकी पर्यवेक्षण के लिये संस्थाओं का निर्धारण एवं प्रचार–प्रसार के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। यह समिति जिले के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एवं निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई0जी0एस0/ई0आई0ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :

उ0प्र0 जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला प्राथमिक शिक्षा समिति गठित की गई है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है :–

1–	जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2–	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव
3–	अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
4–	जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
5–	जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
6–	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) यदि कोई हो	पदेन सदस्य
7–	तीन व्यक्ति, जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।	सदस्य
8–	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा।	सदस्य

9– शिक्षक संगठन का अध्यक्ष सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद के अधीक्षण और निर्देशों के अधीन रहते हुये निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी।

क– जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

ख– नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

ग– ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रचार–सुधार के लिये योजनायें तैयार करना।

अतः उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के लिये स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगी।

प्रशासनिक तन्त्र – जिला परियोजना कार्यालय :

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी कियान्वयन उनका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का कियान्वयन करेंगे। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी, जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद "उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद" के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमें तैनाती की जायेगी। जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे :–

1– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारीपदेन जिला परियोजना अधिकारी

2– उप बेसिक शिक्षा अधिकारी 1 प्रतिनियुक्ति पर
ई0जी0एस0 / ए0आई0ई0

3– समन्वयक 4 प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर

4– सलाहकर 2 रु0 10000 नियत वेतन प्रति पद

5– ई0एम0आई0एस0 अधिकारी 1 रु0 10000 नियत वेतन प्रति पद

6– कम्प्यूटर आपरेटर/सांख्यिकी सहायक 3 रु07000 नियत वेतन प्रति पद

7– सहायक लेखाधिकारी 1 प्रति नियुक्ति पर

8– लिपिक 1 नियत मानदेय के आधार पर

9– परिचारक 1 नियत मानदेय के आधार पर

उपरोक्त में से उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के सरटेनिबिलिटी प्लान के अन्तर्गत कोई भी पद सृजित नहीं है। उपयुर्क्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना अधिकारी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे तथा परियोजना कार्यक्रमों के कियान्वयन में उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होंगे तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के कियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त अन्य बेसिक शिक्षा अधिकारी/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति–उप विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने अति महत्वपूर्ण कर्तव्य की तरह करेंगे। परियोजना के कियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

निर्माण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भांति रखी जायेगी। निर्माण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु विभागीय ब्लाक वार अभियन्ता को प्रतिनियुक्ति पर रखा जावेगा, जो समय पर निर्माण सम्बन्धी सभी उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होगे। निर्माण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नहीं दिया जायेगा। यह विद्यालय भवन

में सम्मिलित माना जायेगा तथा तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा। अभियन्ताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य सन्तोष जनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

एजुकेशनल मेनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्टम (ई0एम0आई0एस0):

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ एवं क्रियाशील ई0एम0आई0एस0 सेल स्थापित किया जायेगा। जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही ई0एम0आई0एस0 डाटा कैप्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डायस साफ्टवेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। वर्ष 1997–98 से वर्ष 2000–2001 तक के शैक्षिक ऑकड़े उपलब्ध हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये साफ्टवेयर डाटाबेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। उससे शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण, आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अध्यावधिक एवं उपयुक्त ई0एम0आई0एस0 तथा प्रोजेक्ट मानिटरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवर्ष शैक्षिक सांख्यिकी के व्यापक कार्य को संपादित करने के लिये स्थापित कम्प्यूटराईज्ड ई0एम0आई0एस0 के संचालनार्थ एक ई0एम0आई0एस0 अधिकारी एवं तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स /सांख्यिकी सहायक रखे जायेंगे। जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा की रिपोर्ट व विश्लेषण तत्परता से उपलब्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय अपने स्तर पर ही ई0एम0आई0एस0 के विभिन्न महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स पर रिपोर्ट

तैयार कर सके। इस प्रकार वस्तुतः जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकड़ों के एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा, जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन एवं अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के कार्य एवं दायित्व :

जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटराईज्ड सूचना प्रबन्ध प्रणाली में तैनात ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे :–

- विद्यालयों हेतु सांख्यिकीय प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण कराना।
- समय से फील्ड स्टाफ (बी0आर0सी0 समन्वयक, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, प्रधानाध्यापकों) का प्रशिक्षण आयोजित कराना।
- माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुये प्रपत्रों का एकत्रीकरण कराना।
- भरे हुये प्रपत्रों की सैम्पुल चैकिंग संपादित कराना तथा परिवर्तन यदि कोई हो, अभिलिखित करना।
- समयबद्ध रूप में प्रति वर्ष दिसम्बर के अन्त तक डाटा एन्ट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।
- संकुलवार व विकासखण्डवार जनपद की ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कराना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
- सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिये नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों/कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।
- माइक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकरण, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सभी संबंधित को प्रस्तुत/प्रेषित करना।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी की शैक्षिक योग्यता कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण, प्रक्षेपण तकनीक आदि में अभीष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षण :–

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, संकुल प्रभारी, बी0आर0सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हें ई0एम0आई0एस0 सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हें भरने संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकड़ों के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आंकड़ों की शुद्धता की जांच हो सके।

1– ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर) :

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा इसमें जिला परियोजना अधिकारी, सभी समन्वयक, स्टाफ, कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

2– ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर) :

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एवं बी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेंगे।

3– ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (न्याय पंचायत स्तर पर) :

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा इसमें एन0पी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेंगे।

4– **ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्तर पर) :**

एस0पी0ओ0/सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी0पी0ओ0 एवं बी0आर0सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेंगे। प्रथम तीन दिन ई0एम0आई0एस0 प्रबंधन एवं दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

ऑकड़ों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांच :

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार आंकड़ों को एकत्रित किया जायेगा एवं कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री के पश्चात ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरे हुये प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

ऑकड़ों का उपयोग :

ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इंडीकेटर्स जैसे – जी0ई0आर0, एन0ई0आर0 ड्राप आउट दर, रिपीटीशन दर छात्र अध्यापक अनुपात, कक्षा कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होंगे। इन इन्डीकेटर्स का उपयोग डिसिजन सपोर्ट सिस्टम्स में किया जायेगा ताकि बार–बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदनुसार कार्यकमों का समावेश/संशोधन किया जा सके। डायस के अन्तर्गत ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों से स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या ज्ञात नहीं हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर की

बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्त्रोत से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर नहीं हो पाता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माईक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकड़ों तथा ई0एस0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तद्नुसार कार्य योजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश/संशोधन अभीष्ट होगा। ई0एम0आई0एस0 एवं माईक्रोप्लानिंग के आंकड़ों का उपयोग निम्न कार्यों हेतु भी किया जायेगा :–

1– नवीन विद्यालयों हेतु असेवित बस्तियों की पहचान।

2– शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण।

3– छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान।

4– एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।

5– छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षामित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।

6– बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण।

7– निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन।

8– अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण।

9– शिक्षकों का विवरण।

10– विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षक का रोस्टर।

11– विकलांगतावार आंकड़ों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एवं सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित

कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके लिये उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

कोहॉर्ट स्टडी :

छात्र छात्राओं के ठहराव में वृद्धि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्रापआउट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहॉर्ट स्टडी करायी जायेगी। यह स्टडी बाह्य एजेन्सी द्वारा कराई जायेगी। जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिये पृथक–पृथक की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रु0 2 लाख रखी गयी है।

प्रोजेक्ट मेनेजमेंट एन्फोरमेशन सिस्टम :

ई0एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के कियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के समबन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जावेगा तथा प्रगति को बढाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एल0ए0सी0आई0 के अन्तर्गत कम्प्यूटराईज्ड वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोग किया जायेगा, जिसके लिये भी ई0एम0आई0एस0 प्रयोग में लाया जायेगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :

गुणवत्ता में सुधार के लिये जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं। जनपद का प्रशिक्षण संस्था उ0प्र0 जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सुदृढ़ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक

कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुये इसको और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। परियोजना के अन्तर्गत इसके निम्नलिखित कार्य होंगे :–

1– विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/संदर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना।

2– राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यों के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।

3– ब्लाक स्तर के संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षा विधियों और लक्ष्यों से अवगत कराना।

4– जिला स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एवं उपचार के लिये शोध कार्य करना और उसके परिणामों/निष्कर्षों की जानकारी सर्व संबंधित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।

5– जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तापरक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।

6– ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक कियाकलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।

7– जिले स्तर पर अन्य विभागों एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यों में नियोजन करना।

8– जिले स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

9– न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिये बेस लाइन सर्वे कराना।

10– शिक्षा के लिये नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11– शैक्षिक आंकड़ों (ई0एम0आई0एस0 के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अभिकर्मियों को प्रशिक्षण देना।

12– शिक्षकों, समन्वयकों, ई0सी0सी0ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना।

निधि का हस्तांतरण (फ्लो ऑफ फंड) :

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमेट के अप्रेजल के पश्चात एवं "उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद" के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिये अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण अकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सीधे बी0आर0सी0 को हस्तांतरित की जायेगी जिससे बी0आर0सी0 पर निश्चित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे ग्राम शिक्षा समिति, स्वयं सेवी संस्थाओं आदि के सीधे खातों के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी। शिक्षण गुणवत्ता सम्बर्द्धन में अवरोध होने की स्थिति में अध्यापक को निर्माण कार्य से पृथक रखा जावेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधानित हैं, अतः रुपये 5000 मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू हैं। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एवं उसी के लेखा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होकर ब्लाक

संसाधन /न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर भी संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन /न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर भी संयुक्त खाता खोला जायेगा जिसका परिचालन उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्तीय संदर्शिका में लेखा–जोखा रखने के वित्तीय नियम स्पष्ट निर्धारित है। परचेज एवं प्रोक्योरमेंट के नियम भी इसी सन्दर्शिका में निर्धारित किये गये हैं, जो परियोजना में भी अपनाये जायेंगे तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूपरेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा सम्बन्धित स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय–समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेंगे। परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है, जिनके बैंक में खाते पूर्व से ही संचालित हैं। जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एवं व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

फण्ड फ्लो डायग्राम

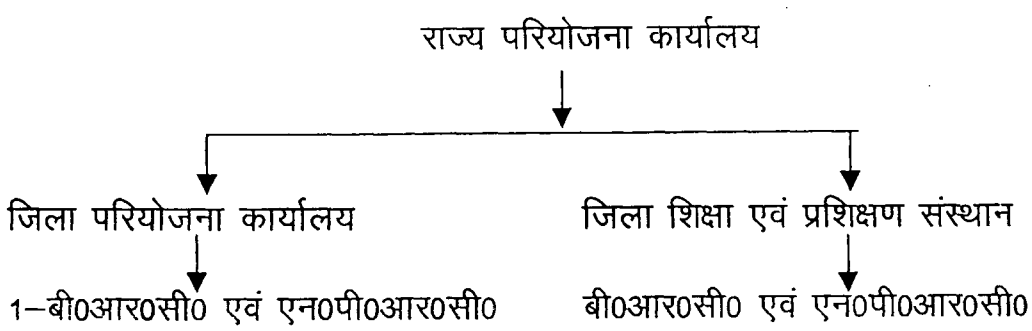

सम्प्रेक्षण व्यवस्था :

उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे जोखे का स्वतंत्र सम्प्रेषण (इन्डिपैन्डेन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट के माध्यम से किया जायेगा। यह कार्य वित्तीय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्टैण्ट का चयन व टर्म्स ऑफ रिफरैन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार/भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा।

राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा भी समय–समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापना :

परियोजना का कियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों, बी0आर0सी0 समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेंगी। इन बैठकों में योजना कार्यों को सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की जायेगी एवं उनके स्थानीय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा। इसी प्रकार प्राचार्य डायट द्वारा संकाय सदस्यों व बी0आर0सी0 समन्वयकों की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी और कार्यक्रमों के कियान्वयन तथा अनुभूति कठिनाइयों पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा। राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्गदर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेंगे। साथ ही समय–समय पर पर्यवेक्षण एवं

अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा और कमियों का निराकरण करते हुए सुधार लाया जायेगा।

प्रत्येक माह जनपद से कम्प्यूटराईज्ड पी0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी, जिसका विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षों के आधार पर कार्य योजना के कियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा। वार्षिक ई0एम0आई0एस0 डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इण्डीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के कियान्वयन नियोजन में किया जायेगा तथा यथा सम्भव उपचारात्मक प्रयास अपनाये जायेंगे।

आगामी वर्षों के लिए वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष से प्राप्त अनुभव, अनुभूत कठिनाइयों, प्राप्त विभिन्न इंडीकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेंगे।

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के 11 रिले केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद विवाद/ वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

SARV SHIKSHA ABHIYAN
LALITPUR
2003-2004

	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2003-2004 Phy	Fin
A	ACCESS			
A1	New Primary School Unserved	259	86	22274
A2	New Upper Primary Schools	280	67	18760
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	66	7920
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04	2.25	86	1161
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04	9	86	4644
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)	10	201	12060
A8	Teaching Learning Equipment		0	0
A8.1	PS	10	86	860
A8.2	UPS	50	67	3350
A9	TLE UPS not covered OBB	50	0	0
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0
	Total		0	71029
	Interventions for out of school children		0	
A11	Alternative Schools		0	
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.845	154	3253.25
A11.2	Honraria	1	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0
A11.4	Contingency	0.468	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0
A11.6	Adm. & Management Cost	6.056	0	0
A12	AIE/ Primary-including all models of DPEP(per child)- Shiksha Ghar	0.845	95	2006.875
A13	AIE Upper Primary	1.2	50	1800
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0
A15	Bridge/Remedial course PS	180	3	540
A16	Bridge Course at NPRC level	0.845	48	1622.4
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.35	0	0
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0
	ACCESS Subtotal		0	80251.53
R	RETENTION		0	
R1	Reconstruction - PS	191	0	0
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0
R3	Additional Classrooms		0	
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	0	0
R4.1	Toilets Upper Primary	10	0	0
R4.2	Toilets Primary	10	0	0
R5.1	Drinking Water Primary	15	36	540
R5.2	Drinking Water Upper Primary	15	36	540
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	754	3770
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	203	1015
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0
R7.2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2.25 pm	2.25	0	0
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0
R7.4	Salary of Fresh SM(PS)	2.25	578	7803
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0
R10.1	School Improvement grant(p.a /school) Ps	2	774	1548
R10.2	School Improvement grant(p.a /school) UPs	2	283	566
R12	Promoting Girls Education		0	0
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0
R12.2	MCDA	75	0	0
R12.3	Meena Manch	4	0	0
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0
	Opening of ECCE centers		0	
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.375	0	0
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0
R13.5	Training		0	
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0
R16	Community Mobilization		0	
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day	0.48	415	199.2
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	5000
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog.	60	0	0
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0
	RETENTION Sub Total		0	20981.2
Q	QUALITY IMPROVEMENT		0	
Q1	Training Programmes		0	
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	250	525
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	0	0
Q1.3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	2451	3431.4
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	1027	1078.35
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/person/or 20 days)	0.07	0	0
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0
Q2	IED Provision for disable children	1.2	950	1140
Q2.1	IED-Medical Assessement	2.3	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0
Q2.5	Support Services	5	0	0

R7.2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2 25 pm	2.25	0	0	0	0	578	14305.5	983	24329.25	1016	25146	2577	63780.75
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0	0	0	405	38880	438	42048	471	45216	1314	126144
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0	578	7803	405	10023.75	33	816.75	34	841.5	1050	19485
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	0	0	774	1548	774	1548	864	1728	864	1728	3276	6552
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	181	362	283	566	290	580	294	588	294	588	1342	2684
R12	**Promoting Girls Education**		0	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0	0	0	60	270	40	180	0	0	100	450
R12.2	MCDA	75	0	0	0	0	10	750	10	750	0	0	20	1500
R12.3	Meena Manch	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	25	625	20	500	20	500	65	1625
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	0	0	30	42	42	58.8	42	58.8	114	159.6
	Opening of ECCE centers		0	0	0		0		0		0		0	0
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0		0		0		0		0	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.38	0	0	0	0	150	562.5	150	562.5	150	562.5	450	1687.5
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0	150	225	150	225	150	225	450	675
R13.5	Training		0	0	0		0		0		0			
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0	150	10.5	150	10.5	150	10.5	450	31.5
R16	Community Mobilization		0	0	0		0		0		0			
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0	0	0	182	509.6	182	509.6	182	509.6	546	1528.8
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0	0	0	48	240	48	240	48	240	144	720
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC	0.48	0	0	415	199.2	366	175.68	366	175.68	366	175.68	1513	726.24
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0	6	30	6	30	6	30	18	90
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	2212	0	0	7	466.9	7	466.9	7	466.9	21	3612.7
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog	60	0	0	0	5000	10	600	5	300	5	300	20	6200
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	0	0	1335	3337.5	1427	3567.5	1427	3567.5	4169	10472.5
	RETENTION *Sub Total*		0	**6477**	0	**20981.2**	0	**103838.9**	0	**102998.48**	0	**94456.98**	0	**327752.59**
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0	0	0		0		0		0			
Q1	Training Programmes		0	0	0		0		0		0			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	0	0	250	525	405	850.5	37	77.7	34	71.4	726	-1524.6
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	126	264.6	0	0	404	848.4	49	102.9	34	71.4	613	1287.3
Q1.3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	610	854	2451	3431.4	5646	7904.4	5751	8051.4	5856	8198.4	20314	28439.6
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	0	0	1027	1078.35	1019	1069.95	1031	1082.55	1031	1082.55	4108	4313.4
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0	0	0	578	809.2	987	1381.8	1020	1428	2585	3619
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	12	8.4	12	8.4	0	0	24	16.8
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	48	33.6	48	33.6	48	33.6	144	100.8
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0	0	0	30	42	30	42	0	0	60	84
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0	13	4.55	13	4.55	0	0	26	9.1
Q2	IED Provision for disable children	1.2	519	207.6	950	1140	1012	1214.4	1112	1334.4	1221	1465.2	4814	5361.6
Q2.1	IED-Medical Assessement	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th. /batch of 32 teachers	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.8	Aids and Appliances	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q2.9	Parents Counselling and IEP formation	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Rig. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	5	12.5	5	12.5	5	12.5	15	37.5
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	5	10	5	10	5	10	15	30
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0		0		0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	2551	1275.5	2600	1300	2608	1304	2608	1304	10367	5183.5
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	736	368	1469	734.5	1475	737.5	1487	743.5	1487	743.5	6654	3327
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	80500	4025	88552	4427.6	90373	4518.65	92129	4606.45	351554	17577.7
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	26853	4027.95	18251	2737.65	22101	3315.15	22843	3426.45	23600	3540	113648	17047.2
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	1117	167.55	1117	167.55	1117	167.55	3351	502.65
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0	152	7.6	402	20.1	402	20.1	956	47.8
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	839	12585	839	12585	839	12585	2517	37755
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	278	2085	278	2085	278	2085	834	6255
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
	QUALITY Sub Total		0	**5722.15**	0	**14947.4**	0	**37483.3**	0	**37042.05**	0	**37474.65**		**132669.55**
C	**CAPACITY BUILDING**		0	0	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0	0	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0			
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	6	864	6	864	6	864	18	2592
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	6	396	6	396	6	396	18	1188
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	6	216	6	216	6	216	18	648
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	7	70	7	70	7	70	21	210
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	6	36	7	42	7	42	7	42	27	162
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	6	12	6	12	6	12	18	36
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	6	60	6	60	6	60	18	180
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	6	30	7	35	7	35	7	35	27	135
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0	7	35	7	35	7	35	21	105
C2.11	Contigency	12.5	0	0	6	75	7	87.5	7	87.5	7	87.5	27	337.5
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	48	172.8	48	172.8	48	172.8	144	518.4
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	6	30	6	30	6	30	18	90
C3	School Complex (NPRC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.1	Construction	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C3.1	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0	0	0	48	6912	48	6912	48	6912	144	20736
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	0	0	48	240	48	240	48	2¦40	144	720
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	48	48	48	48	48	48	48	48	192	192
C3.4	Contingency	2.5	0	0	48	120	48	120	48	120	48	120	192	480
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	48	115.2	48	115.2	48	115.2	48	115.2	192	460.8
C4	District Project Office/Management		0	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618
C4.1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	7	1260	7	1260	7	1260	7	1260	28	5040
C4.3	Salary of AE	15	0	0	1	180	1	180	1	180	1	180	4	720
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	1	30	1	30	1	30	1	30	4	120
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	1	30	1	30	1	30	1	30	4	120
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	1	10	1	10	1	10	1	10	4	40
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	2	36	2	36	2	36	6	108
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	23	230	28	280	28	280	28	280	107	1070
C4.9	Consumaables	40	0	0	1	40	1	40	1	40	1	40	4	160
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	1	30	1	30	1	30	1	30	4	120
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100	4	400
C4.12	Pay to JE	10	0	0	6	720	10	1200	10	1200	10	1200	36	4320
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	1	10	1	10	1	10	1	10	4	40
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0	754	1055.6	839	1174.6	839	1174.6	839	1174.6	3271	4579.4
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	223	312.2	203	284.2	278	389.2	278	389.2	278	389.2	1260	1764
C4.16	Contingency	100	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100	4	400
C4.17	AWP & B	10	0	0	1	10	1	10	1	10	1	10	4	40
	Total		0	930.2	0	4514	0	14335.3	0	14335.3	0	14335.3		48450.1
C5	MIS		0	0	0		0		0		0			
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	1	566	0	0	0	0	0	0	1	566
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	1	144	1	144	1	144	3	432
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	1	90	1	90	1	90	3	270
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	1	100	1	100	0	0	2	200
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.7	*Upgradation and Networking*	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
	CAPACITY Sub Total		0	930.2	0	5080	0	14859.3	0	14859.3	0	14759.3	0	50488.1
	GRAND TOTAL		0	32961.4	0	121260.13	0	211830.56	0	214903.86	0	204310.96	0	785266.84

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention — **Lalitpur**

	2002-03	2003-04	20004-05	2005-06	2006-07	Total
Civil	10982.0	42114.0	25822.0	22421.0	8616.0	109955.0
Management	312.2	4089.8	5403.8	5403.8	5303.8	21079.4
Programme	21667.2	75056.3	180604.8	187079.1	190391.2	654232.4
Total	**32961.4**	**121260.1**	**211830.6**	**214903.9**	**204311.0**	**785266.8**
Percentage - Civil	**33.3**	**34.7**	**12.2**	**10.4**	**4.2**	**14.0**
Percentage - Management	**0.9**	**3.4**	**2.6**	**2.5**	**2.6**	**2.7**
Percentage - Programme	**65.7**	**61.9**	**85.3**	**87.1**	**93.2**	**83.3**
Percentage - Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th. /batch of 32 teachers	17.2	0	0
Q2.8	Aids and Appliances	15	0	0
Q2.9	Parents Counselling and IEP formation	10	0	0
Q2.10	Awareness workshop	9.3	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	6.8	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Pig. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0
Q5	Teacher Learning Material		0	
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	2551	1275.5
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	1469	734.5
Q5.3	Free Text book PS	0.05	80500	4025
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	18251	2737.65
Q5.5	School Library	0.15	0	0
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0
Q5.9	Schools Awards	25	0	0
	QUALITY Sub Total		0	14947.4
C	CAPACITY BUILDING		0	
C1	DIET Capacity Building		0	
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0
C1.6	Hiring	25	0	0
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0
C1.8	Seminar	200	0	0
C1.9	Research/Action Research	200	0	0
C1.10	Exposure Visit	50	0	0
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0
C1.14	Contingency	50	0	0
C2	Block Resource Center		0	0
C2.1	Civil Construction	800	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0
C2.6	Travelling Alowance & Meetings	6	6	36
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0
C2.9	TLM(per center)	5	6	30
C2.10	Consumables	5.0	0	0
C2.11	Contigency	12.5	6	75
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0
C3	School Complex (NPRC)		0	0
C3.1	Construction	70	0	0
C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	48	48
C3.4	Contingency	2.5	48	120
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	48	115.2
C4	District Project Office/Management		0	0
C4.1	Staffing		0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	7	1260
C4.3	Salary of AE	15	1	180
C4.4	Equipment Maintenance	30	1	30
C4.5	Furniture/Fixtures	30	1	30
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	1	10
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0
C4.8	Travelling Allowances	10	23	230
C4.9	Consumables	40	1	40
C4.10	Telephone/FAX	30	1	30
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	1	100
C4.12	Pay to JE	10	6	720
C4.13	Hiring of Vehicle	10	1	10
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	754	1055.6
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	203	284.2
C4.16	Contingency	100	1	100
C4.17	AWP & B	10	1	10
	Total		0	4514
C5	MIS		0	
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	566
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0
C5.6	Computer Software	20	0	0
C6.7	Upgradation and Networking	30	0	0
C5.8	Printing & Distribution of Data Formats	40	0	0
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0	0
C5.10	Computer Consumable	25	0	0
C5.11	Training Of Computer Staff	10	0	0
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0
	CAPACITY Sub Total		0	9080
	GRAND TOTAL		0	121280.13

PROJECT COST
SARVA SHIKSHA ABHIYAN
Lalitpur

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
		Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	86	22274	0	0	4	1024	0	0	90	23298
A2	New Upper Primary Schools	451	22	9922	67	18760	0	0	4	1120	0	0	93	29802
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	66	7560	66	7920	66	7920	66	7920	66	7920	330	39240
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	86	1161	86	2128.5	90	2227.5	90	2227.5	352	7744.5
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	86	4644	86	9288	90	9720	90	9720	352	33372
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	201	12060	201	24120	213	25560	213	25560	828	87300
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	86	960	0	0	4	40	0	0	90	900
A8.2	UPS	50	42	2100	67	3350	0	0	4	200	0	0	113	5650
A9	TLE UPS not covered OBB	50	25	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	25	1250
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
	Total		0	**20832**	0	**71029**	0	**43656.5**	0	**48011.5**	0	**45627.5**		**229156.5**
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	154	3253.25	154	3253.25	154	3253.25	154	3253.25	616	13013
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm & Management Cost	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	Ghar	0.85	0	0	95	2006.875	95	2006.875	95	2006.875	95	2006.875	380	8027.5
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	50	1800	50	1800	50	1800	50	1800	200	7200
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	48	2880	48	2880	48	2880	144	8640
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	3	540	1	180	1	180	1	180	6	1080
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	48	1622.4	48	1622.4	48	1622.4	48	1622.4	192	6489.6
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	1	250	1	250	1	250	3	750
	ACCESS Subtotal		0	20832.00	0	**80251.53**	0	**55649.03**	0	**60004.03**	0	**57620.03**	**0**	**274356.60**
R	**RETENTION**		0	0	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	0	0	30	5730	11	2101	0	0	41	7831
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	0	0	2	766	0	0	0	0	2	766
R3	**Additional Classrooms**		0	0	0		0		0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	0	0	138	9660	176	12320	100	7000	414	28980
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	13	910	0	0	125	8750	72	5040	20	1400	230	16100
R4.1	**Toilets** Upper Primary	10	0	0	0	0	20	230	10	100	0	0	30	300
R4.2	Toilets Primary	10	15	150	0	0	50	500	50	500	0	0	115	1150
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	36	540	6	108	6	108	6	108	54	864
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	36	540	6	108	6	108	6	108	54	864
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	754	3770	754	3770	839	4195	843	4215	3190	15950
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	181	905	203	1015	203	1015	278	1390	282	1410	1147	5735
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0